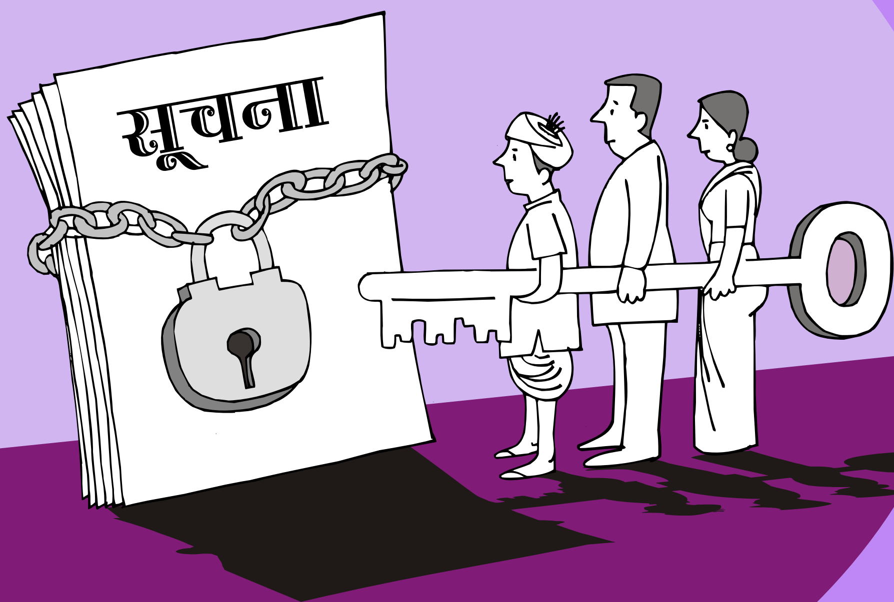
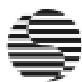
सूचना का अधिकार और पर्यटन

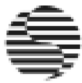


इक्वेशंन्स्

सूचना अधिकार और पर्यटन



इक्वेशंन्स्



इक्वेशंन्स्

इक्वेशंन्स्-न्यायोचित पर्यटन विकल्प (इक्विटेबुल टूरिज्म ऑप्शंस)
न. 415, 2सी-क्रॉस,
4था मेन, ओ.एम.बी.आर. लेआउट
बानसवाडी
बंगलोर-560043
फोन: +91-80-25457607/25457659
फैक्स: +91-80-25457665
ईमेल: info@equitabletourism.org
वेबसाइट : www.equitabletourism.org

सूचना का अधिकार और पर्यटन : सितमबर 2009

अनुवाद : श्री देव कुमार; संपादन श्री सीताराम शास्त्री

इस प्रकाशन की शैली नेशनल कांउनसिल फोर पीपलस राईट टू इनफोरमेशन (National Council for People's Right to Information) द्वारा प्रकाशित प्रवेशिका-सूचना का अधिकार,2005 (Primer on Right to Information Act, 2005) पर आधारित है।

विषय–सूची

आमुख

सूचना अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) सार्वजनिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को कानून सम्मत सभी जानकारियां प्राप्त करने का कानूनी अधिकार एवं अवसर प्रदान करता है। यह कानून राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पेशागत, शैक्षणिक अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, इस देश के नागरिक के रूप में हमारे जीवन एवं अधिकारों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस प्रकार यह कानून हमें एक सशक्त हथियार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग हम शासन व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने में कर सकते हैं। इसने आम आदमी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णय-प्रक्रिया की दिशा एवं लक्ष्यों को प्रभावित करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने के लिए जगह बनायी है।

इस अधिकार से हम सब को सूचना के व्यापक क्षितिज तक पहुंच हासिल हुई है। आप अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण या मरम्मत की योजना के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं या स्थानीय/राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सागर-तट पर तटीय नगरभाग जैसे स्थानीय संसाधनों लोगों की पहुंच पर रोक लगाने वाली (जैसे आपके पड़ोस में मनोरंजन पार्क के निर्माण के कारण) या आपके पहाड़ी गाँव/इलाके में स्की रिसॉर्ट खुलने के कारण जल स्रोत की सुविधा पर रोक लगाने वाली किसी प्रस्तावित योजना के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं, या वैसी किसी परियोजना के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं जिसको विस्तारित शहरी सीमा में लाये जाने के कारण आपको अपनी कृषि भूमियों को राजस्व भूमि में बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हर नागरिक को चालू या योजनाधीन विकास योजनाओं की जानकारी हासिल करने का अधिकार है। अब इस बाबत सूचना न देना, नौकरशाहों का विशेषाधिकार नहीं रह गया है।

देश में अनियंत्रित तथा संभाला नहीं जा सकने वाले पर्यटन के विस्तार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना के

अधिकार का कैसे उपयोग किया गया है या कैसे उपयोग किया जा सकता है, यह समझने का प्रयास इस पुस्तिका में किया गया है। पर्यटन स्थानीय समुदायों तथा उनको संसाधनों की उपलब्धता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। गोवा राज्य में पर्यटन उद्योग की माँग के कारण स्थानीय समुदायों की जल आपूर्ति कम कर दी गयी है। पर्यटकों को जल एवं अन्य सुविधाओं की आपूर्ति, स्थानीय समुदायों के लिए आपूर्ति की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गयी है। समुद्री तटों पर होटलों के निर्माण ने स्थानीय मछुआरों एवं छोटे व्यापारियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, तटों पर होटलों के निर्माण से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है।

जनतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया के मौलिक सूत्रों का उल्लंघन करके पर्यटन के वर्तमान स्वरूप को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन विदेशी मुद्रा पैदा करता है तथा इससे जुड़ी सेवाओं में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार भी पैदा करता है। लेकिन, करीब से देखने से पता चलता है कि यह कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है जैसे लोगों का अनैच्छिक विस्थापन, प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक दोहन, सामुदायिक सम्पत्तियों पर अतिक्रमण, मजदूरों का शोषण आदि। पर्यटन उद्योग उन संसाधनों का इस्तेमाल करता है, जो स्थानीय स्वशासी निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्वच्छ जल, भूमि तथा स्थानीय आधारभूत संरचना आदि। इसलिए, स्थानीय संसाधनों के ऐसे किसी इस्तेमाल के पहले लोगों को जानकारी से लैस सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। फिर भी जमीनी अनुभव यह सूचित करते हैं कि पर्यटन का विकास पूरी तरह से ऊपर से नीचे की ओर संचालित प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय समुदायों की उपेक्षा की जाती है तथा उन्हें पूरी तरह नकारा जाता हैं। ऐसे में यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी पर्यटन का विकास, पहले असहमति व्यक्त करने के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर बनाये तथा सूचना के अधिकार एवं पारदर्शिता पर आधारित पद्धतियां विकसित करे।

अब सूचना का अधिकार उपलब्ध रहने से आप पंचायत, राज्य तथा केन्द्र स्तर पर आप अपनी सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि संबंधित योजनाएं क्यों बनायी जा रही हैं या लागू की जा रही है तथा आपके क्षेत्र या जिला में पर्यटन में धन कैसे और कहां से निवेश किया जा रह है। देश की शासन व्यवस्था में रूपांतरण की माँग करने में सूचना का अधिकार (RTI) एक शक्ति काम करता है। जरूरत इस बात की है कि हम दबाव बनाना जारी रखें तथा इसका प्रयोग जानकारी हासिल करने में करें, जिस पर वास्तव में हमारा हक है।

अध्याय 1 :

सूचना का अधिकार

क्या ये प्रश्न कभी आपके मन में आते हैं .....?

- क्यों कृषि भूमियां उद्योग स्थापित करने के लिए छीनी जा रही हैं?
- उच्च पथों (हाइवे) के निर्माण के लिए क्यों लोगों को उनकी स्वभूमियों और आजीविकाओं को छोड़कर जाने को कहा जा रहा है?
- क्यों आपके शहर या गाँव के सामने समुद्री तटों को होटलों एवं सैरगाहों का निर्माण कर अवरुद्ध किया जा रहा हैं? उन्हें तटों पर ये सब बनाने की स्वीकृति कौन प्रदान कर रहा है?
- क्यों स्थानीय प्रशासन इनकी गतिविधियों के बारे में सूचना देने से इनकार करते हैं?
- जब आप उनसे मास्टर योजना/जिला योजना दिखाने की मांग करते हैं, तो वे इंकार क्यों करते हैं?
- ग्राम सभा के सदस्यों को भावी योजनाओं तथा गतिविधियों के प्रोजेक्ट प्लान का ब्यौरा देने से क्यों इनकार किया जाता है, जिसमें भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहीत करने तथा उस स्थान की पारस्थितिकी एवं पर्यावरण के प्रभावित होने की संभावना रहती है?
- स्थानीय पंचायत के वित्तीय उपयोग प्रतिवेदन (Financial Utilization Report) स्थानीय लोगों को क्यों उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं?
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको पथकर (Toll) क्यों देना पड़ता है, जबकि सरकारी बाबुओं की कारों को इससे मुक्त रखा गया है?
- वनों के सुरक्षा गॉर्डो द्वारा स्थानीय लोगों को जंगल में जाने से क्यों रोका जाता है, जबकि पर्यटन वाहनों को वहाँ 24 घंटे घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है। ऐसा क्यों है?

- समुद्री तटों पर खाद्य पदार्थ तथा छोटी-मोटी चीजें बेचने वालों को पुलिस क्यों भगाती है, जबकि उसी स्थान पर बाहरी लोगों को पार्टियां करने की इजाजत दी जाती है?
- जंगलों के बीच से सड़क बनाने की इजाजत सरकार कैसे दे रही है?
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में डॉक्टर तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य कर्मी क्यों नहीं होते हैं, जबकि दूसरी तरफ इलाज के लिए देश में विदेशियों को बुलाया जाता है?
- सरकार ने जन उद्देश्य की बात कहकर आपकी भूमि का अधिग्रहण किया है। ये जन उद्देश्य क्या हैं तथा किसके लिए हैं?
- ग्राम पंचायत के द्वारा बार-बार अपील करने के बाद भी स्कूल भवन के निर्माण के लिए राशि निर्गत नहीं की जाती है, जबकि उसी ग्राम पंचायत में पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है। ऐसा क्यों होता है?

इन प्रश्नों के अलावे कई प्रकार के अन्य प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन, हमने सरकार या स्थानीय प्रशासन से जब कभी इन प्रश्नों का जवाब मांगा है, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमें प्रश्न पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। यह सूचना अत्यंत गोपनीय है।

ऐसी स्थिति में कई सवाल खड़े होते हैं।

- क्या यह सच है कि इस देश में सरकार यजनता के द्वारा और जनता के लिएङ्क है ?
- यदि, यह वास्तव में जनता के द्वारा जनता के लिए है, तब हमलोग अर्थात् भारत की जनता को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि क्यों और किन परिस्थितियों में सरकार कोई विशेष निर्णय लेती है?

> *हम सभी लोग **टैक्स अदा करते हैं।** जब हम छोटी से छोटी चीज, जैसे साबुन या माचिस खरीदते हैं, तो बिक्रीकर, उत्पादकर आदि के रूप में टैक्स देते हैं। **इस प्रकार, सरकार किसी भी कार्य के लिए जो पैसा खर्च करती है, उसे हम ही तो अदा करते हैं।***

- ऐसे अधिकतर मामले हमारे जीवन एवं हमारी आजीविका से संबंधित होते हैं, तो यह गोपनीय कैसे हो सकते हैं?
- सरकार में शामिल लोग (मंत्रीगण तथा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी) क्या इस देश की आम जनता से ऊपर हैं? क्या हमारा संविधान उन्हें विशेष दर्जा देती है? यदि ऐसा नहीं है, तो उन्हें हमारे प्रति जवाबदेह होने से कौन-सी बात रोकती है?
- क्या ये मंत्री या सरकारी अधिकारी सड़क निर्माण करने में अपना पैसा खर्च करते हैं या स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र में दवा वितरण अपने खर्च से करते हैं या सरकारी स्कूलों में अपने व्यक्तिगत पैसे से शिक्षकों की नियुक्ति तथा वेतन भुगतान करते हैं?

सरकार हमारी है और इसे चलाने वाले लोग हमारे द्वारा, हमारे लिए चुने तथा नियुक्त किये जाते हैं। उनके तमाम खर्चे तथा वेतन हमारे पैसों से दिये जाते हैं, अर्थात् हम लोगों द्वारा अदा किये गये टैक्सों से दिये जाते हैं। इसके अलावा, देश की तथा जनता की सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाले निर्णयों को छोड़कर, हमारा संविधान इन्हें कोई विशेष दर्जा नहीं देता है। तब यह प्रश्न उठता है कि :

- किस प्रकार हम सरकार को जवाबदेह ठहरायें?

सरकारी निर्णयों तथा कार्यो के बारे में जब तक हमें मूल जानकारी नहीं होगी, तब तक हम सरकार से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम हमें सरकार से प्रश्न पूछने तथा उन मामलों में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो हमें हजारों तरीकों प्रभावित करते हैं। इस अधिकार का नवाचारी पद्धति से प्रयोग करके सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है, उनकी आयोजना, निर्णय-प्रक्रिया तथा इस देश की जनता के लिए दायी विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रश्न किये जा सकते हैं।

- क्या हमें ऐसा कोई कानूनी अधिकार है, जिसके तहत, सरकार और उसकी पदाधिकारी सभी स्तरों पर हममें से हरेक को जवाब देने के लिए बाध्य हैं?

इस सवाल का जवाब है - हां। **वर्ष मई 2005 में, संसद द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम** (Right to Information Act or RTI Act) **हमें इसी अधिकार से सशक्त करता है।** सरकारी कार्यो से संबंधित सभी जानकारियां हासिल करने के लिए यह अधिनियम हमें कानूनी अधिकार एवं शक्ति देता है। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, ताकि व्यक्ति यह जान सके कि जनता का पैसा कहां खर्च हो रहा है। केन्द्रीय अधिनियम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के हर क्षेत्र में लागू है। इस कानून के दायरे में संविधान या किसी कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के तहत गठित सभी निकाय समेत सभी सरकारी संगठन और सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं नियंत्रित सभी गैर सरकारी/निजी संगठन आते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में वास्तव में एक महत्वपूर्ण विधान है, जो एक आम आदमी को सरकारी कार्यो के ज्यादातर मामलों पर 30 दिनों के भीतर जानकारी चाहने और पाने का अधिकार देता है।

सूचना अधिकार अधिनियम हमें कैसे सहायता देता है?

सूचना अधिकार अधिनियम हमें सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी निष्क्रियता तथा भ्रष्टाचार जगजाहिर हो और इससे हमारी शिकायतों का समाधान हो सके। सूचना का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उल्लिखित अभिव्यक्ति के अधिकार से व्युत्पन्न है। अगर हमारी सरकार एवं सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यो के बारे में हमें जानकारी नहीं हो, तो हम इन पर कोई विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह बात 1977 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से कही गयी है।

सरकार के केन्द्र में जनता द्वारा शासन और अभिशासन चलाये जाने की बुनियादी धारणा के इर्द-गिर्द जनतंत्र काम करता है। यह बात तभी हकीकत में बदल सकती है, जब नागरिक जानकारी से लैस हों। इसलिए, नागरिकों का जानकारी का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है।[1]

इसके अलावा, चूंकि सरकार जनता की ओर से चलायी जाती है, इसलिए वे ही अधिकारपूर्ण मालिक हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)[2] ने सर्वप्रथम सूचना के अधिकार का मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे के पटल पर रखा। इसके बाद, भारत में 9 राज्यों ने सूचना अधिकार (RTI) का कानून बनाया। मई, 2005 में संसद के दोनों सदनों ने ठढख अधिनियम को 2005 के अधिनियम 22 के रूप में पारित किया और 12 अक्टूबर, 2005 से इसे पूरे देश में लागू किया गया। हालांकि, सूचना का अधिकार तभी से अस्तित्व में है, जब भारत का संविधान लागू हुआ। वर्तमान RTI अधिनियम, इस अधिकार को केवल क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है।

सूचना अधिकार का महत्व [3]

1. 10 रुपये के शुल्क पर (बीपीएल कार्डधारी के लिए निःशुल्क), यह सरकारी निर्णयों, कार्यो, नियमों, खर्चो, निर्णय के पीछे कारणों, सरकारी आदेशों

---

[1] सूचना के अधिकार पर शैलेश गांधी की पुस्तिका दृ‘RTI : द वीपन ऑफ द कॉमन मैन’ पर आधारित।

[2] MKSS एक जन संगठन है, जो केन्द्रीय राजस्थान के गांवों में मजदूरों एवं किसानों के साथ काम करता है। इस क्षेत्र की जनता द्वारा इसका गठन वर्ष 1990 में लोकतंत्र में सहभागिता की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया, ताकि वे सम्मान व न्यायपूर्वक जीवन जी सकें। सामुदायिक भूमि संघर्ष के लिए स्थापित इस संगठन, ने बाद में न्यूनतम मजदूरी के लिए संघर्ष में लोगों को यह अंतर्दृष्टि प्रदान की कि गरीबों को अपने किसी भी अधिकार तक पहुंच के लिए शासन की व्यवस्था की पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग करनी होगी। यह स्पष्ट महसूस किया गया कि सरकार एवं जनहित को प्रभावित करने वाले उन सभी निकायों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक सूचना तक पहुँच ही एक मौलिक हथियार है। MKSS ने सबसे पहले राजस्थान तथा उसके बाद पूरे भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की अगुआई की। सरकारी परियोजनाओं में दिहाड़ी मजदूरों एवं किसानों को कम मजदूरी भुगतान करने के मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए एवं सामान्यतः भ्रष्टचार के खुलासे के लिए उन्होंने सूचना के अधिकार का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : MKSS गाँव देवडुंगरी, पोस्ट- बारर जिला - राजसमंद - 313341, राजस्थान। टेलीफोन -91-2909-243254 टेली फैक्स 91-2909-250180 मोबाइल : 09414007305 ईमेल : arunaroy@jpl.dot.net.in,mkssrajasthan@yahoo.com

[3] यह अध्याय सूचना के अधिकार पर शैलेश गांधी की पुस्तिका - ‘RTI द वीपन ऑफ द कॉमन मैन’ पर आधारित है। pg2 एंड ‘राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट ऑफ 2005’ ए प्राइमर बाय नेशनल काउंसिल फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फार्मेशन, 2005।

की प्रतियाँ, समझौतों तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों इत्यादि के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। वस्तुतः सरकार के ज्यादातर कार्यो का अनुश्रवण जनता द्वारा किया जा सकता है।

2. किसी सरकारी कार्यालय में गये बगैर, प्रत्येक नागरिक बहुत कम शुल्क पर RTI अधिनियम का उपयोग कर सकता है।

3. नागरिक व्यक्तिगत रूप से सवाल उठाने में तथा गलतियों के खिलाफ अवाज उठाकर उसे सुधारने में असहाय महसूस करते हैं। यह RTI अधिनियम, जानकारी (सूचना) के लिए नागरिकों के अधिकार पुनर्स्थापित करता है तथा उन्हें उनका अनुश्रवण करने के लिए इस अधिकार के प्रयोग की शक्ति प्रदान करता है।

सरकार आपके क्षेत्र में विकास कार्यो पर काफी पैसा खर्च करती है। आपको, अपने क्षेत्र में पंचायतों/नगर परिषद द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विस्तृत ब्यौरे की मांग करनी चाहिए। कितना पैसा खर्च किया गया? किस पर खर्च किया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान एवं दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में इसी प्रकार की जानकारी जनता द्वारा मांगी गयी थी। जब ये जानकारियां मूर्त रूप से सत्यापित की गयीं, तो पता चला कि कई कार्य केवल कागजों पर ही किये गये हैं, हकीकत में कार्य हुए ही नहीं थे। तो क्या आप अपने क्षेत्र की सरकार को जवाबदेह बनाना नहीं चाहेंगे ?

4. RTI अधिनियम द्वारा प्रदत्त यह अधिकार हमारे शुद्ध निर्वाचकीय लोकतंत्र को एक वास्तविक सहभागी लोकतंत्र में तबदील करता है, जिसके द्वारा हम बेहतर शासन व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं तथा उसका अनुश्रवण कर सकते हैं, साथ ही, नीति निर्धारण में प्रथम सहभागी बन सकते हैं।

5. जानकारी (सूचना) प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति इस कानून का प्रयोग कर सकता है। इस संबंध में, आवेदन की गयी जानकारी तथा प्राप्त जानकारी से व्यक्ति का क्या प्रयोजन है, या, इनसे उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या हित है, यह बताने या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

'सूचना' क्या है?[4]

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) इसे इस प्रकार परिभाषित करती है :

(ष) सूचना'' का अर्थ किसी रूप में कोई भी सामग्री है, जिसमें रिकॉर्ड सहित दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, मंतव्य, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, सर्कुलर, आदेश, लॉगबुक, संविदाएं, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में संग्रहित डाटा तथा किसी निजी निकाय से संबंधित में जानकारियां, जो किसी सरकारी प्राधिकार द्वारा उस वक्त लागू किसी कानून के तहत हासिल किया जा सकता है।

सूचना के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं :

(i) सरकार से किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित जानकारी की मांग।

(ii) कार्य, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करना।

(iii) सरकारी संविदाओं, भुगतान, प्राक्कलन, इंजीनियरिंग कार्यो के मापन आदि का फोटोप्रतियों की मांग।

(iv) सरकार से सड़कों, फ्लाइओवरों, पुलों, नालियों, भवनों आदि के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के नमूनों की मांग।

(v) निर्माणाधीन या निर्मित किसी सार्वजनिक विकास कार्य के निरीक्षण की मांग।

(vi) निर्माण के नक्शों, रिकॉर्ड खातों तथा रजिस्टरों आदि सरकारी दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग।

(vii) अपने आवेदनों तथा शिकायतों की प्रास्थिति (status) की मांग।

(viii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स ;टिप्पणियोंद्धए उद्धरण या सत्यापित प्रतियां लेना।

---

[4] वही

(ix) सामग्रियों के सत्यापित नमूने लेना।

(x) जहां सूचनाएं कम्प्यूटर या किसी जुगत में संग्रहित है वहां वहाँ डिस्केटों, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेटों या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में या प्रिंट आउट के जरिये जानकारी प्राप्त करना;

सूचनायें सभी लोक प्राधिकारियों यानी सभी सरकारी निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित सरकार द्वारा खासी मात्रा में वित्त पोषित सभी संगठनों से मांगी जा सकती हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम नागरिकों के इस महत्वपूर्ण अधिकार का संहिताकरण है। यह अधिकार भारत के गणतंत्र बनने के समय से था, लेकिन न्यायालय की सहायता के बिना इसे लागू करना मुश्किल था। सूचना अधिकार अधिनियम (RTI ACT) की निम्नलिखित शर्तें हैं:

- एक समय सीमा, अर्थात् 30 दिनों की सीमा, के भीतर मांगी गयी जानकारी देना होगा।
- जानकारियाँ देने का तरीका।
- धारा 8(1)[5] द्वारा कुछ सूचनाओं को इस कानून से मुक्त रखा गया है । इनकी जानकारी नहीं दी जायेगी।
- लेकिन धारा 8 (2)[6] निर्दिष्ट करती है कि यदि सूचना से कोई बड़ा जनहित सिद्ध होता है, तब इस छूट के बावजूद, सभी मांगी गयी सूचनायें देनी होंगी।
- लोक प्राधिकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में एक जन सूचना पदाधिकारी (PIO) की नियुक्ति करनी है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि आवेदित सूचना, बिना किसी परेशानी के, 30 दिनों के भीतर अर्थात् तय समय सीमा के भीतर आवेदक को दी जाये।

---

[5] कुछ सूचनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान न करने की सरकार को छूट दी गयी है।

[6] ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923, या उप धारा (1) के अनुसार मान्य छूटों के बावजूद, यदि जनहित में खुलासा करना रक्षित हितों की हानि से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कोई लोक प्राधिकार जानकारी मुहैया करा सकता है।

- सूचना (जानकारी) पाने के लिए नागरिकों को संबंधित कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी (PIO) को आवेदन करना है।
- यदि सूचनायें नहीं दी जाती हैं या गलत तरीके इनकार किया जाता है, तो आवेदक अपीलीय अधिकारी (Appellate Authority) से अपील कर सकते हैं, जो उसी विभाग में सूचना पदाधिकारी का वरिष्ठ अधिकारी होगा। अपीलीय अधिकारी को अपना निर्णय 30 दिनों के भीतर देना है।
- सूचना अधिकार अधिनियम आपको विभिन्न अधिकारियों द्वारा संचिका पर दर्ज कारण सहित टिप्पणियों को भी जानने का अधिकार प्रदान करता है।
- यदि उपरोक्त प्रक्रिया के बावजूद यह संतोषजनक नतीजा नहीं देता है तो आवेदक राज्य या केन्द्रीय सूचना आयुक्त से अपील कर सकता है, जो RTI अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार होता है।
- RTI अधिनियम सूचना देने में तय समय से विलंब होने पर जनसूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये की दर से दंड का भी प्रावधान करता है। यही प्रावधान बदनीयती से सूचना देने से इंकार करने तथा गलत सूचना देने पर भी लागू है। सूचना प्रदान करने में विलंब होने से सूचना के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।

इस प्रकार, RTI अधिनियम, लोक प्राधिकारों द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक कालबद्ध एवं सुपरिभाषित प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। जनसूचना पदाधिकारी (PIO) के लिए दंडात्मक प्रावधान, इस अधिनियम को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि झखज सूचना के लिए नागरिकों की माँग को लापरवाही से नहीं ले।

प्रत्येक राज्य का यह अधिकार है कि वह RTI अधिनियम के अनुरूप शुल्क, प्रक्रियाओं तथा प्रारूपों के मामलों में अपने नियम बनायें। ये नियम केवल आवेदन शुल्क तथा आवेदनों या अपीलों के लिए एक तय प्रारूप ही निर्दिष्ट कर

सकते हैं। वे सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क का विशेष प्रावधान भी कर सकते हैं। लेकिन ये सभी नियम RTI अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं और इन्हें अधिनियम के अनुरूप ही रखने होंगे।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005[7] की विशिष्टतायें

- आप केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से, पंचायती राज संस्थाओं से तथा (गैर सरकारी संगठनों समेत) वैसे अन्य सभी संगठनों एवं संस्थाओं के साथ.साथ सूचना (जानकारी) माँग सकते हैं जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित हैं, या उनके स्वामित्व में हैं या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खासी मात्रा में वित्त प्राप्त हैं **(धारा 2 (a) और (h))।**
- प्रत्येक विभाग में एक या एक से अधिक अधिकारी को जन सूचना पदाधिकारी (PIO) के रूप नियुक्त किया गया है। वे आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हैं तथा जनता द्वारा मांगी गयी जानकारी प्रदान करते हैं **(धारा 5 (1))।**
- इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उप जिला स्तर पर सहायक जन सूचना पदाधिकारी (APIOs) हैं, जो सूचना के लिए आवेदन तथा जन सूचना पदाधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील ग्रहण करते हैं और उन्हें उपयुक्त अधिकारी के पास भेजते हैं। **(धारा 5 (2))।**

सभी कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे झखज के नाम के साथ एक बोर्ड प्रदर्शित रखें। कभी-कभी यह जानकारी वेब से प्राप्त की जा सकती है। यदि

---

[7] इस चैप्टर को नेशनल काउंसिल फॉर पीपुल्स राइट टू इंफार्मेशन, 2005 की एक प्रवेशिका राइट टू इंफार्मेशन एक्ट ऑफ 2005 से लिया गया है। वर्ष 2006 में प्रवर्तित नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफार्मेशन (NCPRI) ने जनता के सूचना अधिकार को प्रोत्साहन देकर जनता को सशक्त करने तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। इस अधिकार के प्रयोग के माध्यम से यह भ्रष्टाचार एवं सामाजिक उदासीनता से लड़ने की आह्वान करता है, ताकि सरकार, अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों को, जिनका लोक कल्याण से गहरा वास्ता है, जनता के प्रति और अधिक मानवीय एवं जवाबदेह बनाया जा सके, और साथ ही कार्यकुशलता तथा किफायत को बढ़ावा दिया जा सके। छउझठख सहभागी, न्यायोचित, धर्मनिरपेक्ष और मानवीय लोकतंत्र के समर्थन के प्रति प्रतिबद्ध है। आप इनसे ncpri@gmail.com. पर सम्पर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.righttoinformation.info देखें।

आवेदन गलत झखज से की गयी है, तो यह उस PIO की जिम्मेदारी है कि वह इसे 5 दिनों के भीतर सही झखज के पास भेज दे।

- सूचना चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को जन सूचना पदाधिकारी (PIO), सहायक जन सूचना पदाधिकारियों (APIOs) के पास आवेदन करना चाहिए :**(धारा 6(1))।** कानूनी तौर पर इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। एक सादे कागज पर हाथ से लिखकर भी आवेदन किया जा सकता है। फिर भी, यदि विभाग ने आवेदन का कोई प्रारूप तैयार किया हो, तो यह उचित होगा कि उसे विशेष प्रारूप में आवेदन किया जाये, ताकि आवेदन पर कार्रवाई में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
- जहां आवेदक अशिक्षित या शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण आवेदन लिखकर नहीं दे सकता है, वहाँ PIO उसके मौखिक निवेदन को लिखित रूप में बदलने के लिए सारी उचित सहायता प्रदान करेंगे **(धारा 6 (1))।**
- जहाँ आवेदक के ज्ञानेद्रियों से अशक्त हों, वहाँ अधिकारी उसे सूचना हासिल करने में जरूरी सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें निरीक्षण के लिए उचित समझी जाने वाली सहायता भी शामिल हैं **(धारा 7(4))।**
- आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कारण या सम्पर्क के लिए आवश्यक पता के सिवा और कोई व्यक्तिगत विवरण देने की जरूरत नहीं है **(धारा 6 (2))।**
- प्रत्येक आवेदन तथा जानकारी करने के लिए विहित रूप से एक उपयुक्त शुल्क जमा करना होगा। लेकिन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा **(धारा 7(5)),** या यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान नहीं की जाती है, तब भी शुल्क नहीं लिया जायेगा **(धारा 7(6))।**
- PIO से माँगी गयी सूचना सामान्यतः 30 दिनों के भीतर देनी है या इनकार करनी है। APIO के मामले में यह समय सीमा 35 दिनों की है **(5(2))।**
- किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी है **(7(1))।**

- यदि आवेदक को, तय समय सीमा के भीतर PIO के तरफ से कोई जवाब नहीं प्राप्त होता है या उसके जवाब या प्रतिक्रिया से आवेदक असंतुष्ट है, तो वह 30 दिनों के भीतर झखज से वरिष्ठ अधिकारी से अपील कर सकता है **(धारा 19(1))।** यदि जन सूचना पदाधिकारी (PIO) आपका आवेदन लेने से इनकार करता है या संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहता है, तो आपको उच्च अधिकारी से अपील करने का अधिकार है, जिसे अपीलीय अधिकारी के रूप में जाना जाता है। यदि PIO तय समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान नहीं करता है, तो RTI अधिनियम के तहत संबंधित PIO पर जुर्माना का प्रावधान है।
- यदि अपील स्वीकृत की जाती है, तो सूचना दी जायेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो केन्द्र या राज्य के सरकारी संस्थाओं के संबंध में माँगी गयी जानकारी के लिए आवेदक को 30 दिनों के भीतर क्रमशः केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग से अपील करने का अधिकार है **(धारा 19(3))।**
- यदि कोई PIO, RTI अधिनियम के तहत माँगी गयी सूचना तय समय सीमा के भीतर नहीं देता है या अस्वीकार करने की सूचना देने में असफल रहता है, तो उस झखज को दंड स्वरूप प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान करना होगा जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है **(धारा 20 (1))।**
- केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग (CIC & SIC, क्रमशः) किसी भी नाजायज विलंब या सूचना देने से इंकार करने से होने वाली हानि या अन्य क्षति के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए संबंधित अधिकारी को आदेश जारी सकता है **(धारा 19(8)(b))।**
- यदि कोई जन सूचना पदाधिकारी (PIO) :

(i) बिना किसी उचित कारण के लगातार सूचना के लिए दिये गये आवेदन को स्वीकार करने या तय समय के भीतर जानकारी देने में असफल रहता है।

(ii) या बदनीयती से सूचना के लिए अनुरोध ठुकराता है,

(iii) या, जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना प्रदान करता है,

(iv) या, अनुरोध किये गये विषय से संबंधित सूचना को नष्ट करता है,

(v) या, सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है,

तो संबंधित (केन्द्र या राज्य) सूचना आयोग संबंधित जनसूचना पदाधिकारी के खिलाफ उस पर लागू सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा करेगा **(धारा 20 (2))**। हालांकि शुरू के कुछ महीनों तक, केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) तथा राज्य सूचना आयोग (SIC) की संवैधानिक भूमिका स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में कई राज्यों में वे नागरिकों के सूचना के अधिकार[8] पर सक्रिय भूमिका अदा करने लगे हैं। फिर भी, पिछले वर्ष केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग[9] की कार्यप्रणाली की काफी आलोचना

[8] 1 फरवरी, 2007 को पंजाब राज्य सूचना आयुक्त श्री पी.के. वर्मा पर RTI अधिनियम के तहत मांगी गयी पर्याप्त सूचना नहीं देने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह देश का सर्वाधिक आर्थिक दंड है। दंड की राशि इस प्रकार 50 हजार हुआ कि एक ही PIO को दो भिन्न मुद्दों पर दो अलग.अलग आवेदन दिये गये थे और संबंधित PIO ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया था। देखें http://www.infocommpunjab.com/htm/documents/orders_01-02-07.doc इस दस्तावेज (मल्कीत सिंह बनाम PIO हाउसफेड) में यह दूसरा आदेश है। अधिक जानकारी के लिए देखे :

http//in.news.yahoo.com/070215/43/6c5o9.html

हाल के एक मामले में कर्नाटक राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग को इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों में जानकारी मांगने वालों पर आवेदन वापस लेने के लिए दबाव डाले जाते हैं तथा बाध्य किये जाते हैं। आयोग ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि एक बार सूचना प्राप्त करने के आग्रह के बाद इसे वापस लेने या हल्का करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो RTI अधिनियम के तहत सूचना की जानकारी लेने तथा सूचना तक पहुंच के अधिकार को मजबूती प्रदान करता है। इस कदम, से जिनके बारे में या जिनके खिलाफ जानकारी माँगी गयी है, उन पार्टियों द्वारा सूचना की माँग करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर आवेदन वापस लेने के लिए विभिन्न तरीकों से दबाव बनाने के रवैये पर रोक लगने की संभावना है।

हाल ही में, गुजरात राज्य सूचना आयोग (GSIC) ने वड़ोदरा नगर निगम (VMC) के जनसूचना पदाधिकारी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। RTI अधिनियम की धारा 20 के तहत, तय समय सीमा भीतर आवेदक को जानकारी नहीं प्रदान करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया था। PIO ने इस आधार पर सूचना देने से इंकार किया था कि जिनके बारे में सूचना माँगी गयी थी वह एक ब्लैक लिस्टेड आर्किटेक्ट था। जनता द्वारा लगातार आंदोलन करने तथा आवाज उठाते रहने का केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एवं राज्य सूचना आयोगों (SICs) पर प्रभाव पड़ा है। इस तथ्य के बावजूद कि CIC तथा SIC

हुई है। *'परिवर्तन'* तथा *'दिल्ली सूचना अधिकार मंच'* समेत कई गैर.सरकारी संगठनों (NGOs) के एक समूह ने बहुत सारे असंतुष्ट आवेदकों के लंबित मामलों से उपजी विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चिंता जतायी है, जिनमें सूचना आयुक्तों द्वारा उनके आवेदनों को सिरे से खारिज करने के आरोप किये गये हैं। इस समूह ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनमें मामलों के लंबित रहने के अलावा कार्यवाही में पारदर्शिता के अभाव के भी मामले हैं। NGO प्रतिनिधियों की शिकायत थी कि RTI अधिनियम की **धारा 8** को अर्थात् सार्वजनिक करने से छूट पाने वाली सूचनाओं की सूची को और विस्तृत किया गया है, और अधिनियम को थोडे से मुद्दों तक सीमित कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने इस बात पर चिंता जतायी थी कि कई आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिये गये कि मांगी गयी सूचना न्यासीय प्रकृति (fiduciary nature) की है या व्यक्तिगत या संगठन के संस्थागत हितों को चोट पहुंचाने वाली है।[10] इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी अधिकारियों पर लगातार निगरानी रखें तथा दबाव बनाये रखें, ताकि RTI अधिनियम का मूल उद्देश्य कमजोर न पड़ जाये।

सेवानिवृत्त नौकरशाहों से ग्रसित हैं, नागरिक संगठनों द्वारा इन निकायों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य समझाने और इस प्रकार, उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए इन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पिछले कुछ वर्षों में कई NGOs ने कर्नाटक सरकार की इस आधार पर कड़ी आलोचना की है कि राज्य में RTI अधिनियम का भारी उल्लंघन हुआ है। इन NGOs के प्रतिनिधियों का आरोप था कि भ्रष्टाचार में राजनेताओं के साथ नौकरशाह भी लिप्त हैं, जिसकी वजह से अधिनियम के तहत सूचना मांगे जाने पर वे तथ्यों को छुपाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार निर्मूलन वेदिका के वी.एच. वीरेश का कहना है कि सूचना एकत्रित करने के नाम पर दूर–दराज के क्षेत्रों में जनता के पैसों से की गयी यात्राओं के आंकड़ों को अधिकारी दबा देते हैं। RTI के तहत जब भी इसकी जानकारी माँगी जाती है, वे इनकार कर देते हैं। एक अन्य आंदोलनकारी गुरु रवीन्द्रनाथ ने जानकारी दी है कि RTI के तहत आवेदन करने के बाद उन्हें आधी–अधूरी सूचना प्राप्त हुई, वह भी चार महीने बाद। उन्होंने आरोप लगाया कि बृहत बंगलौर महानगर पालिका ने रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक कम्पलेक्सों के निर्माण की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन जब इस पर जानकारी मांगी गयी, तब उन्होंने इंकार कर दिया। श्री वीरेश का कहना है कि मांगी गयी सूचना प्रदान करने में टालमटोल करने या उसे छुपाने का प्रयास करने पर, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करे। RTI को समुचित ढंग से प्रभावी बनाने के लिए गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही बेहद जरूरी है।

[9] देखें- इंफो पैनल पर RTI आंदोलनकारियों को वाचडॉग की तरह काम करना है'' हिमांशी धवन 17 फरवरी, 2007, 23.17 hrs.
http://timesofindia.com/NEWS/India/RTI_to_now_act_as_watchdog_over_info_panel/articleshow/1633822.com

[10] वही

सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रश्न का निर्माण कैसे करें, इस पर विचार कीजिए, ताकि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह पूरा हो सके।

- यदि आप भूमि आरक्षित या अनारक्षित की नीति के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप इसे नियंत्रित करने वाले नियमों की एक प्रति की मांग करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्यों खेल के मैदान को व्यावसायिक कम्प्लेक्स में परिवर्तित किया जा रहा है, तो इससे संबंधित पत्राचार के प्रतियों की मांग करें।
- MKSS ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सिविल कार्यो की प्रतियां हासिल करके यह साबित कर दिया कि वे कार्य वास्तव में हुए नहीं थे।
- श्री शैलेश गांधी ने मुम्बई में सरकार द्वारा जनता के करोड़ों रुपयों की लूट का खुलासा सूचना के अधिकार के माध्यम से किया है, जिसमें सरकार ने सार्वजनिक भूमि को वर्ग-विशेष (कार्पोरेशन्स तथा डेवलपर्स) को कौड़ी के भाव बेच दिया था।
- शिवाजी राउत ने सतारा में रोजगार गारंटी योजना (EGS) की नामावली (muster rolls) प्राप्त की, जिसकी जांच के बाद घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की आजीविका की सहायता के लिए आवंटित सार्वजनिक राशि की इस लूट को रोकने के लिए नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक आंदोलन की शुरुआत की गयी है।
- विशाखापत्तनम के शंकर ने समुद्री तटों पर स्थित मौजूदा एवं प्रस्तावित निर्माणों की जानकारी हासिल की थी। इस सूचना के आधार पर उसने कोस्टल रेग्यूलेशन जोन नोटिफिकेशन (तटीय क्षेत्र नियमन अधिसूचना) के उल्लंघन पर प्रश्न उठाते हुए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

सूचना अधिकार आवेदन पत्र में आवेदन करते समय आपके द्वारा मांगी जाने वाली सूचना का स्पष्ट उल्लेख करें।[11] केन्द्रीय सरकारी निकायों के लिए शुल्क

[11] सूचना अधिकार आवेदन के प्रारूप की प्रति के लिए परिशिष्ट II देखें।

के साथ संलग्न सूचना के अधिकार का आवेदन कई डाकघरों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। फिर भी, कई सूचनायें ऐसी हैं, जिन्हें 'गोपनीय जानकारी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इन्हें सार्वजनिक करने से इनकार किया जा सकता है।[12]

[12] परिशिष्ट III देखें

अध्याय 2 :

पर्यटन के संदर्भ में सूचना के अधिकार के माध्यम से लोगों का सशक्तीकरण

लोकतांत्रिक नीति निर्धारण के मूल सूत्रों का उल्लंघन करके पर्यटन को इसके वर्तमान स्वरूप में विकसित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनियंत्रित पर्यटन द्वारा देश के समुदायों तथा पर्यावरण पर ढाये जाने वाले कुप्रभावों का बढना पर्यटन का एक चिंताजनक आयाम है। पर्यटन मुख्यतः प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है तथा सुरक्षित एवं अछूते क्षेत्रों परें इसके फैलाव की अेसर भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सरकारी नीतियाँ शायद ही कभी पर्यटन विकास के नकारात्मक नतीजों को स्वीकार करती है। पर्यटन के प्रस्तावकों ने इसके गंभीर परिणामों की चिंता किये बगैर इसे उद्योग के रूप में विकसित किया है और इसे जनोन्मुख बनाने के बजाय शुद्ध मुनाफा-मुखी बना दिया है; स्थानीय लोगों के हितों के बदले उद्योग एवं पर्यटकों की जरूरतों को तरजीह देने के फलस्वरूप, उद्योग के एकांतिक उपयोग के लिए सामुदायिक संसाधनों का निजीकरण होता है और पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए जगह बनाने के लिए स्थानीय समुदायों का विस्थापन किया गया है। औपचारिक तथा ज्यादा लाभकर पर्यटन उद्योग में कम भागीदारी तथा संसाधनों की उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप स्थानीय समुदायों को बहुत कम फायदे हुए हैं। **कुल मिलाकर, पर्यटन का विकास गंभीर सवाल खड़े करता है कि इसके वास्तविक लाभुक कौन हैं। यह जरूरी है कि पर्यटन का विकास असहमति व्यक्त करने और सूचना के अधिकार एवं पारदर्शिता पर आधारित कार्यपद्धतियां विकसित करने के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक अवसर पैदा करे।**

सूचना अधिकार अधिनियम बन जाने से अब आप पंचायत, राज्य और केन्द्र स्तर पर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों खास योजनाएं तैयार की जा रही हैं, कार्यान्वित की जा रही हैं और आपके क्षेत्र या जिले में पर्यटन परियोजनाओं के लिए पैसा कैसे और कहां से आ रहा है।

आज विकास का जो मॉडल है, वह स्पष्ट रूप से देश की जनता के बहुमत के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसे देश के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से संपन्न वर्गो की जरूरतों के लिए बनाया गया है। लोकतंत्र के उद्धार तथा विकास की गति एवं स्वरूप को निर्धारित करने के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए समुदायों एवं प्रभावित लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। देश में वास्तविक लोकतंत्र के पुनरुत्थान के लिए सूचना के अधिकार को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।

कुछ दिलचस्प मामलों के अध्ययन तथा सूचना के अधिकार पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ[13]

ये अध्ययन तथा जानकारियां इसकी एक बानगी प्रस्तुत करते हैं कि पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के प्रसंग में सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग कैसे किया गया है या कैसे किया जा सकता है, साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि सूचना का अधिकार क्यों हमारे लिये एक महत्वपूर्ण औजार है :

जब से सूचना अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया है, विभिन्न समूहों एवं व्यक्तियों द्वारा भिन्न.भिन्न तरीकों एवं माध्यमों से सूचना के अधिकार के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। अंतिम लक्ष्य यही रहा है कि लोकतंत्र में ययजनताङ्ख के रूप में हमारे अधिकार, जानकारी से लैस होने के हमारे अधिकार तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग हो। सूचना के अधिकार का प्रयोग लोगों ने हर आर्थिक स्तर पर, सामाजिक तथा पेशेवर स्तर पर किया है। इस देश का हर व्यक्ति सूचना की अपरिहार्य जरूरतों को

[13] प्रारंभ में ही यह जिक्र करना जरूरी है कि ज्यादातर जानकारियां, 'हमजानेंगे याहू ग्रुप मेल', KRIA कट्टे याहू ग्रूप मेल तथा 'रिश्वत विरोधी अभियान' से संग्रह किये गये हैं। कुछ केस अध्ययन देश के विभिन्न नागरिक-सामाजिक संगठनों के द्वारा दर्ज अनुभवों से लिए गये हैं, जो सरकार तथा इसकी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने, जनता के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने तथा देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ समूह, जो सूचना के अधिकार पर तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस प्रकार हैं :

http://groups.google.com/group/aiddelhirticall?hl =en

http://groups.google.com/group/Right-to-Intormation-Act-2005?hl=en

http://groups.google.com/group/youthtaskforcedelhi?hl=en

http://www.parivartan.com/



महसूस किया है, जो हमें राष्ट्र निर्माण तथा लोकतंत्र के सच्चे अर्थो में सुशासन का अनोखा अवसर प्रदान करता है।

इसके लिए हर स्तर पर पहल किये गये हैं। न केवल व्यक्ति, बल्कि सरकार ने भी कई स्तरों पर देश में सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों एवं उपक्रमों का आयोजन किया है।

नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा पहल :

आंध्र प्रदेश सरकार ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) तथा पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए पूरे राज्य में बड़े.बड़े भूखंडों का अधिग्रहण किया है। ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशाखापत्तनम एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को विस्तृत रूप से निशाना बनाया है। इन सभी गतिविधियों ने इस क्षेत्र पर तटीय समुदायों तथा ग्रामीण मुछआरों के जीवन तथा उनकी आजीविका को सीधे प्रभावित किया है। इन समुदायों की एक बड़ी संख्या को अपने घरों तथा परंपरागत आजीविकाओं से जबरन बेदखल किया गया है। विशाखापत्तनम तथा भीमुनिपत्तनम के तटीय विस्तार में आंध्र प्रदेश सरकार ने सैरगाहों, डिस्कोथेस्कों, स्टार होटलों, मल्टीप्लेक्स कम्पलेक्सों,

नेचर केयर पार्को आदि विकसित एवं स्थापित करने के लिए 'वाइजाग बीच रिसॉर्ट्स लिमिटेड' नामक एक निजी कंपनी के चेयरमैन के साथ 2000 करोड़ रुपये के निवेश के सहमति पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार विशाखापत्तनम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सैटेलाइट पोर्ट तथा रिफाइनरियों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर चुकी है। यदि, उपरोक्त योजनाओं को लागू किया जाता हं, तो आंकलन के अनुसार लगभग 45,000 ग्रामीण मछुआरा परिवार विस्थापन के शिकार होंगे तथा वे असहाय स्थिति में पड जायेंगे।

इक्वेशंस ने आंध्र प्रदेश में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग तथा राज्य पर्यटन विभाग में सूचना के अधिकार के लिए आवेदन किये हैं। हमने निम्नलिखित जानिकारियों की मांग की है :

1. कौन-सी पर्यटन परियोजनाये विशाखापत्तनम जिले में निर्माणाधीन हैं ?
2. विशाखापत्तनम जिले में पर्यटन परियोजनाओं में खर्च होने वाली राशि का हमें ब्यौरा दें?
3. आंध्र प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी (PPP) के दिशा-निर्देश क्या हैं?
4. क्या आंध्र प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी दिशा-निर्देशों को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश तथा पारित किये गये हैं?
5. यदि ऐसा हुआ है, तो गजट नोटिंग्स; टिप्पणियोंद्ध की जानकारी दें?
6. यदि ऐसा नहीं है, तो किस आधार पर आंध्र प्रदेश में पर्यटन पर च्च्च परियोजनाएं पारित/अनुमोदित की गयी हैं?
7. भीमिली-विशाखापत्तनम के बीच किये गये निर्माणों का ब्यौरा दें?

8. भीमिली-विशाखापत्तनम के बीच क्या अनधिकृत निर्माण भी हैं ?
9. यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?
10. भीमुनिपत्तनम तथा विशाखापत्तनम के बीच निर्मित सड़कों तथा अन्य कार्यों में खर्च की गयी राशि का ब्यौरा दें ?
11. आंध्र प्रदेश में पर्यटन विभाग तथा ययवाइजाग बीच रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेडङ्ग के बीच हुई चजण से संबंधित फाइलों के निरीक्षण की अनुमति दें।
12. आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग तथा 'वाइजाग बीच रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड' के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र (MOU) की प्रति।

इन सभी विभागों से सभी सूचना अधिकार आवेदनों के जवाब संतोषजनक नहीं हैं। फिर भी, हमने उपरोक्त परियोजना तथा उस पर किये जाने वाले/किये गये निवेशों के बारे में प्रथम स्तरीय जानकारी प्राप्त की है।

पर्यटन विभाग ने प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 के संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस पर अपीलीय अधिकारी के पास एक अपील दायर की गयी, लेकिन उन्होंने हमें जवाब भेजा कि वे इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी नहीं हैं तथा आवेदन पर्यटन विभाग को देना चाहिए। यह RTI अधिनियम के उस प्रावधान का सरासर उल्लंघन है, जिसके अनुसार, यदि सूचना अधिकार आवेदन गलत PIO के पास जाता है, उस PIO की जिम्मेदारी है कि वह सूचना अधिकार आवेदन को 5 दिनों के भीतर उपयुक्त PIO के पास भेज दे।

संबंधित विभागों ने शेष प्रश्नों का सिर्फ मूल जानकारियां दी हैं।

इस संबंध में यहां बताना जरूरी है कि हमारा एक नेटवर्क साझेदार, विशाखापत्तनम के 'फिशरमैन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन' के श्री शंकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तटीय विनियम क्षेत्र (CRZ) के नियमों का उल्लंघन कर किये गये सभी निर्माणों को ध्वस्त करने से संबंधित दाखिल याचिका पर न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। विशाखापत्तनम के ऋषिकोण्डा बीच

(beach) पर तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के उल्लंघन के मामले में हमारे विशाखापत्तनम जिला नेटवर्क की साझा संस्था FYWA (Fishermen Youth Welfare Association) तथा DFYWA (District Fishermen Youth Welfare Association) ने मुकदमे में विजय हासिल की है। उपरोक्त दोनों संगठन ``KERATAM' नेटवर्क में साझेदार संगठन हैं, जिनके साथ **इक्वेशंस** का काफी करीबी तालमेल है तथा आंध्र प्रदेश के तटीय जिले में एक साथ कार्य करते हुए RTI कारवां का आयोजन किया है।

FYWA के श्री शंकर तथा DFYWA के श्री अर्जुल दासु ने आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में विशाखापत्तनम जिले में CRZ उल्लंघन के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की हैं।

उपरोक्त याचिकाओं पर आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई, 2007 को कई आदेश जारी किये तथा VUDA (विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण - Vishakapatnam Urban Development Authority) तथा विशाखापत्तनम जिला कलेक्टर को सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र में तटीय विनियम क्षेत्र (CRZ) का उल्लंघन कर निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया।[14]

उच्च न्यायालय ने इनके अधिकारियों से कथित निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही पर एक रिपोर्ट तथा निर्माण सामाग्रियों को वहाँ से हटाने के फोटोग्राफ ढाई महीने के भीतर भेजने को कहा।

न्यायालय ने पर्यावरण, वन, विज्ञान, एवं तकनीकी विभाग के मुख्य सचिवों से सभी तटीय जिलों में तैनात अधिकारियों के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार एक कार्यशाला के आयोजन की संभावना पर विचार करने को कहा, ताकि

---

[14] आन्ध्र प्रदेश के न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय में, हैदराबाद W.P.No. 1937, 2007.

फिशरमैन यूथ वेलफेयर एसोशियेशन (राजिस्टर्ड नं. 775/03) पेद्दा जालारी पेटा, वाल्टेयर बस डिपो) लॉर्सन बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम-17, इसके प्रतिनिधि- टी शंकर तथा, अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा।

बनाम,

आन्ध्र प्रदेश सरकार
इसके प्रतिनिधि - मुख्य सचिव, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन,
सचिवालय, हैदराबाद तथा अन्य।



उन्हें तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कानून की जानकारी दी जा सके तथा वे इनकी सुरक्षा के उपाय किये जा सकें।[15]

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण (VUDA) को इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया।

- इसी प्रकार के एक अन्य प्रयास में, विशाखापत्तनम जिले में KERATAM[16] नेटवर्क तथा गोदावरी जिले में KADALI[17] ने अपने साझेदार संगठनों की सहायता से यह खुलासा किया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सैरगाहों, डिस्कोथेस्क, स्टार होटलों, मल्टीप्लेक्सों, कमपलेक्सों, नेचर केयर पार्को, मनोरंजन पाकों आदि के विकास तथा निर्माण के लिए 'वाइजाग बीच रिसॉर्ट लिमिटेड' के चेयरमैन के साथ 2000 करोड़ रुपये के निवेश के सहमति

---

[15] कोर्ट के आदेश के लिए हाइपरलिंक है :

http://hc.ap.nic.in/orders/wp_8177_2007.html

[16] KERATAM सात NGO संगठनों का एक नेटवर्क है, जो विशाखापत्तनम जिले के तटीय पट्टी पर फैले मछुआरा समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहा हैं। पर्यटन एवं आतिथ्य परियोजनाओं द्वारा विशाखापत्तनम-भीमुनिपत्तनम मार्ग पर CRZ उल्लंघन के मामले में KERATAM के अभियान ने 7 गांवों के लोगों को विस्थापित होने से बचाया है।

[17] KADALI नेटवर्क 7 NGO संगठनों का एक समूह है, जो आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में सक्रिय है।

> पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर किया है। यह सब वाइजाग के तटीय क्षेत्र में पर्यटन तथा विकास के नाम पर किया गया है। इन कवायदों के अलावा, आन्ध्र प्रदेश सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी के तहत विशाखापत्तनम में सैटेलाइट पोटर्स, रिफाइनरी आदि का निर्माण पहले ही प्रारंभ कर चुकी थी तथा टेक्सटाइल उद्योग, रसायन उद्योग स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही थी। यह आकलन किया गया कि यदि उपरोक्त योजनाएं लागू की जाती हैं, तो लगभग 45000 ग्रामीण मछुआरा परिवार विस्थापित हो जायेंगे तथा उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जायेगी। इस आकलन के नतीजे के फलस्वरूप MOU को रद्द कर दिया गया।

सरकार की ऐसी गुप्त योजनाओं से स्थानीय समुदायों को अवगत कराने तथा जमीनी स्तर पर उनके जनविरोध के निर्माण के लिए **KERATAM** एक्शन ऐड **(Action Aid - Andhra Pradesh)** तथा इक्केशंस ने मिलकर विशाखापत्तनम के समूचे तटीय क्षेत्र में सितम्बर, 2006 में सूचना अधिकार अधिनियम-2005 पर एक कारवां आयोजित किया था। इसके तहत, विशाखापत्तनम जिले में लगभग 750 किमी. के क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण मछुआरों, तटीय समुदायों तथा अंततः पूरे समाज को संवेदित करना, सूचना पाने के महत्व की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना था। कारवां के दौरान आयोजकों ने मछुआरा समुदाय को सूचना अधिकार आवेदनों को दाखिल करन में सहायता की। इस तथ्य को



मान्यता दी गयी तथा इस पर जोर दिया गया कि नागरिक के रूप में जनता सूचना के बगैर अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को ठीक से प्रयोग नहीं कर सकती है तथा शासन संबंधी सूचना एक राष्ट्रीय संसाधन है।

इसी प्रकार के कार्यक्रम पूर्वी गोदावरी जिले में एक्शन ऐड (AP) तथा इक्केशंस के सहयोग से KADALI नेटवर्क द्वारा आयोजित किये गये।

अभियान के एक हिस्से के रूप में, उन्होंने RTI के आयुक्तों, जिला प्रशासन तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों को इसमें भाग लेने तथा RTI अधिनियम के तहत सूचनाओं की उपलब्धता के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए आमंत्रित किया था।

तटीय विनियम क्षेत्र (CRZ) के उल्लंघन के एक अन्य मामले में, आंध्र प्रदेश में हमारे साझा संगठनों में से एक और KERATAM नेटवर्क के सदस्य संगठन, फिशरमैन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन (FYWA) के श्री टी शंकर ऋषिकोंडा, तेन्नेटि पार्क में कई इमारतों के निर्माण रुकवाने में सफल रहे तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से वाइजाग के 'रामकृष्णा बीच' पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश पारित करवाने भी सफल रहे। तटीय विनियम क्षेत्र (CRZ) के उल्लंघन के प्रमाण के तौर पर उन्होंने विभिन्न विभागों से सूचना अधिकार आवेदनों के माध्यम से एकत्रित की गयी जानकारियों को प्रस्तुत किया।[18] आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्माण के लिए टेंडर पाने वाली कंपनी को निर्माण कार्य करने से रोक दिया।

विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव तथा ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि अब विवादित स्थल पर कंपनी द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किये जायें। इस आदेश में यह स्पष्ट कहा गया कि न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन होने पर इसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उन पर अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही होगी।

निर्माण कार्य में अविलंब रोक को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम के मुख्य जिला न्यायालय को वरिष्ठ सिविल

न्यायाधीश स्तर के एक अधिकारी को कथित स्थल पर 7 फरवरी, 2007 को दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया तथा न्यायालय को फैक्स द्वारा एक रिपोर्ट भेजकर यह जानकारी देने का निर्देश दिया कि निर्माण कार्य को रोका गया है अथवा नहीं।

तटीय विनियम क्षेत्र (CRZ) के उल्लंघन का मुद्दा उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तटीय क्षेत्रों के भंगुर पारिस्थितिकी तथा इस पर निर्भर हजारों तटीय निवासियों की आजीविका के विकल्पों के बारे में चिंतित हैं। संवेदनशील (CRZ) अधिनियम का क्रियान्वयन एकतरफा रहा है तथा ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा अधिकांशतः इसे नजरअंदाज किया गया है। विभिन्न गुटों जैसे पर्यटन एवं औद्योगिक लॉबियों ने अपने निहित स्वार्थ के कारण इस अधिसूचना से हमेशा छुटकारा पाने का प्रयास किया है। 1996 में, जबसे (CRZ) अधिसूचना पारित की गयी है, तब से पर्यटन उद्योग इसे कमजोर करने के लिए की गयी गुटबंदी में हमेशा आगे रहा है। (CRZ) अधिसूचना का 20 बार संशोधन किया गया है तथा हर बार इसे

---

[18] हैदराबाद में, आन्ध्र प्रदेश के न्यायाधिकरण के उच्च न्यायालय में, W.P.M.P. No. 2452/2007

फिशरमैन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड नं. 775/03), पेद्दा जालारीपेटा, वाल्टेयर बस डिपो, लॉर्सन बे कॉलोनी, विशाखापत्तनम-17। प्रतिनिधि- इसके अध्यक्ष टी शंकर, पुत्र/पेद्दैयाश्री

अंकितावेलफेयर एसोसियेषन, रजि. सं. 523/04, ऐ गैर-मुनाफा संगठन, 51-8-40/34, केवआर.एम. कॉलोनी, सीतम्माधारा, शिखपट्टणम; प्रतिनिधत्व- एस.के.अलीशा, पु. /एस.के.लाल साहेब।

बनाम,

उच्च न्यायालय के फाइल में दर्ज W.P. No. 1937/2007 में याचिकाकर्ता, तथा

आन्ध्र प्रदेश सरकार; प्रतिनिधि - इसके मुख्य सचिव, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, सचिवालय, हैदराबाद।

डायरेक्टर जेनरल आफ फायर सर्विसेज, आन्ध्रप्रदेश,

आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; प्रतिनिधि - इसके सदस्य सचिव, पर्यावरण भवन, सनथनगर, हैदराबाद।

विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण; प्रतिनिधि- इसके उपाध्यक्ष, सीरीपुरम, विशाखापत्तनम।

ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम; प्रतिनिधि-इसके आयुक्त, विशाखापत्तनम।

आंध्र प्रदेश राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, न्यायालय में प्रतिनिधि-इसके चेयरमैन तथा मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, सचिवालय, हैदराबाद।

भारत सरकार; प्रतिनिधि- इसके सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नयी दिल्ली।

एमआइसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ए4 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पलेक्स, कुशाइगुडा, हैदराबाद, प्रतिनिधि- इसके प्रबंध निदेशक।

और अधिक कमजोर बना दिया गया है। 26 दिसम्बर, 2004 में सुनामी ने खुलकर इस घोर उपेक्षा की एक झलक दिखायी तथा निर्दोष लोगों ने इसकी भारी कीमत चुकायी। वर्तमान संदर्भ में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा (CRZ) के व्यवहार के स्थान पर CMZ लागू करने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह और अधिक जरूरी हो जाता है कि तटीय क्षेत्रों को आकर्षक संसाधनों के खान के रूप में देखने वाले औद्योगिक लाबियों के इशारे पर कपटपूर्ण सौदे की योजना की तैयारी कर रहे MoEF की कलई खोलने के लिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया जाय।[19]

गुजरात में ष्दरिया किनारा संवाद यात्रा; गुजरात के स्वयंसेवी संगठनों तथा व्यक्तियों का एक समूहद्ध ने समुदायों की आजीविका से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए गुजरात के 1663 किमी लंबे तटीय क्षेत्र में एक अभिज्ञता यात्रा (exposure visit) का आयोजन किया। इस यात्रा के दौरान, 400 गाँवों के 40 हजार से ज्यादा लोगों से सीधे सम्पर्क किया गया, उनसे साक्षात्कार किया गया तथा बातचीत की गयी।

गुजरात के एक दूरदराज के गाँव लाटी में दलित फालियास (दलित वास) के निवासियों ने गाँव में सड़क, पीने का अच्छा पानी आदि सुविधाओं के न होने की शिकायत की। इन्होंने कई बार अपनी शिकायतों को ग्राम सभा में रखते हुए इन सुविधाओं की मांग की है।

---

[19] **प्रस्तावित CMZ अधिसूचना का एक प्रस्ताव यह है कि तटीय सुरक्षात्मक संरचनाओं द्वारा सभी CMZ II क्षेत्र (इसे मध्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्तमान एवं भविष्य की आर्थिक संभावनाओं जैसे खान, पर्यटन आदि से परिपूर्ण है) संरक्षित रखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र यदि एक बार इस प्रकार सुरक्षित घोषित कर दिये जायें तो इन ढांचों की आड़ में सभी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है तथा इन कार्यो पर तटीय विनियंत्रक नियम या प्रक्रिया लागू नहीं होंगे। ये संरक्षित ढांचे प्रस्तावित अधिनियम में अभी भी अपरिभाषित एवं अस्पष्ट हैं।**

यह एक तथ्य है कि तकनीकी रूप से हमारे ज्यादातर तटीय क्षेत्र आर्थिक संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। इसलिए, यदि कल सभी तटीय क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों के लिए छूट दे दी जाये, जिनमें खनन से लेकर सघन पर्यटन विकास शामिल हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

अभिज्ञता यात्रा के दौरान प्रत्येक गाँव में सूचना के अधिकार तथा इसके उपयोग से संबंधित पर्चे बाँटे गये।

इन गाँवों के लोगों ने अपने.अपने मुद्दों से संबंधित आवेदन दायर करने के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया। पंचायत की राशि का कहां और कैसे उपयोग किया गया, उन्हें इसकी जानकारी की मांग करने के लिए एक आवेदन तैयार करने के बारे में बताया गया। जब अभिज्ञता परिदर्शन (exposure visit) समाप्त होने को आया, तब फालिया के निवासी आये और बताया कि जैसे ही उन्होंने आवेदन किया, उनके गाँव में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया।[20]

समीक्षक इन्हें छोटे प्रयासों की संज्ञा दे सकते हैं। परन्तु, वास्तव में जब देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न समूहों तथा व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रयास किये जाते हैं तब इससे सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ जाता है। पारदर्शिता की माँग तथा अमुक निर्णय क्यों लिया गया या आवंटित राशि कहां खर्च की गयी आदि प्रश्नों पर सूचना के अधिकार के लिए जोरदार आग्रह से वैसे नौकरशाहों में हड़कंप मचा गया है, जिनके पास सरकारी निर्णयों को लागू करने के लिए विस्तृत शक्तियाँ होती हैं।

इसलिए जब हमें यह सूचना प्राप्त होती है **कि 1997–1998 से केरल पर्यटन विभाग ने प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रोमोशन काउंसिल (DTPC)[21] का गठन किया है, तब से स्थानीय जनता को निम्नलिखित बातें जानने का अधिकार प्राप्त है :**

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन निकायों को सौंपे गये उत्तरदायित्वों/कार्यों का ब्यौरा,
2. आवंटित राशियों का ब्यौरा,

[20] समुदायों की आजीविका से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए गुजरात के 1663 किमी.लंबे तटीय विस्तार में अभिज्ञता का ब्यौरा KRIA Katte याहू ग्रुप मेल से लिया गया है।

[21] जिला कलेक्टर DTPC के चेयरमैन होते हैं; पर्यटन विभाग का एक अधिकारी सदस्य सचिव होता है तथा जिला के पंचायतों से प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। चूंकि सभी DTPC सरकारी निकाय हैं तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए वे RTI एक्ट के दायरे में आते हैं।

3. प्रत्येक जिला में DTPC के कार्यो/गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट,

4. इस्तेमाल की गयी राशियों का ब्यौरा।

केरल में पंचायत चुनाव के बाद DTPC को पुनर्गठित किया गया। इसके बारे में जनता को जानने तथा इसकी योजना प्रक्रिया में भी भागीदारी का अधिकार है।



इसी प्रकार, **केरल सरकार का पर्यटन विभाग पूरे राज्य में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर निवेश कर रही है। राज्य उच्चपथों के अलावा, वे पंचायतों को भी फंड मुहैया करा रहे हैं, विशेषकर उन पंचायतों में जहाँ पर्यटन की संभावना है, जैसे कोट्टायम जिला का कुमारोकम पंचायत।**

केरल पंचायती राज एक्ट के अनुसार, केरल में पंचायतों को सड़क निर्माण का अधिकार दिये गये हैं तथा राज्य के बजट के अनुसार उन्हें वित्तीय आवंटन किये जाते हैं।

इस मामले में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जनता को निम्नलिखित मुद्दों पर जानकारी मांगने का अधिकार है :

1. क्या पर्यटन विभाग (DOT) ने पंचायतों को कोई फंड उपलब्ध कराया था ?
2. कितना फंड मुहैया कराया गया ?
3. फंड का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ ?
4. क्या अन्य योजनाओं के तहत पंचायत को सड़क निर्माण के लिए फंड मिला था ?
5. यदि हाँ, तो इसकी राशि कितनी थी तथा यह कहाँ से उपलब्ध करायी गयी थी ?
6. क्या इसका इस्तेमाल हुआ है ?
7. यदि हाँ, तो ऐसे फंड के इस्तेमाल का ब्यौरा।

उत्तरांचल राज्य की पर्यटन विवरणिका 'बुग्याल्स' में ईको-टूरिज्म शिविरों का जिक्र करता है। 'बुग्याल्स' ऊपरी हिमालय स्थित घास के



मैदान हैं, जहां की पारिस्थितिकी विशेष किस्म की है और भंगुर है। ये घास के मैदान पंचायतों के सार्वजनिक संसाधन हैं तथा स्थानीय लोग एवं गुज्जर

समुदाय जैसी घुमक्कड़ जातियाँ इसका उपयोग अपने जानवरों के लिए चारागाह के रूप में करती हैं।

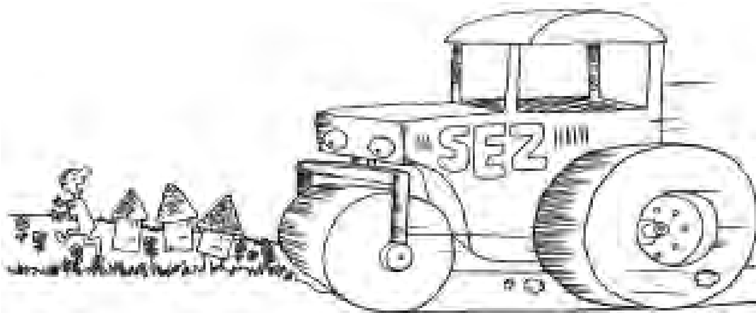
उत्तरांचल पर्यटन विभाग अपने स्तर पर बुग्यालस् में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है तथा बड़ी संख्या में निजी पर्यटन संचालकों को भी वहां ईको-टूरिज्म के लिए अनुमति प्रदान कर रहा है।

स्थानीय जनता को निम्नलिखित तथ्यों व सूचनाओं को हासिल करने के अधिकार है :

1. क्या इन व्यवसायों को स्थानीय पंचायतों की अनुमति है?
2. ईको-टूरिज्म के विकास के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है? ऐसे विकास के लिए कैसी भूमि (वन/कृषि/ सार्वजनिक/पंचायती/ बंजरभूमि) अधिगृहीत की गयी है?
3. मुआवजे में क्या दिया गया है (यदि भूमि ली गयी है)? क्या इससे समुदाय तथा पंचायत सहमत हैं?
4. ऐसी अनुमतियों के साथ संलग्न शर्ते (यदि कोई हों तो) ?
5. क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति ली थी ?
6. क्या पर्यावरण पर प्रभाव का कोई आकलन (Environment Impact Assesment - EIA) किया गया है? क्या इस पर जन सुनवाई हुई थी ? कब, कहाँ और कौन लोग इसमें भाग लिये थे ?
7. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रमाण पत्र की एक प्रति।

EIA प्रमाण–पत्र गोपनीय नहीं होते हैं। एक पर्यावरण कार्यकर्ता, कल्पवृक्ष के कांची कोहली द्वारा दायर सूचना अधिकार आवेदन पर मुख्य सूचना आयुक्त ने निर्णय दिया है कि EIA प्रमाण पत्र सार्वजनिक दस्तावेज हैं।

सूचना के अधिकार का प्रयोग किसी भी भंगुर क्षेत्र की परिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, चाहे वह तटीय क्षेत्र हो या पहाड़ – किसी भी क्षेत्र के अक्षत पर्यावरण को पर्यटन विकास के लिए सरकार का निशाना बनने से रोकनेके लिए। भूमि अधिग्रहण की एक बाढ़ सी आयी है, जैसे, नयी सड़कों के निर्माण के लिए कृषियोग्य भूमि का अधिग्रहण, सेना के लिए शूटिंग रेंज स्थापित करने के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण, संरक्षित क्षेत्रों के भीतर होटल बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण, कृषियोग्य भूमि, चारागाह तथा तटीय क्षेत्रों में सपन्न वर्गों के पर्यटन गलियारे विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण आदि,



और अब विकास का नया अवतार SEZs (विशेष आर्थिक क्षेत्र), भूमि के एक विशाल क्षेत्रों को हड़पने के लिए मुँह बाये खड़ा है।

तमाम नियमों के बावजूद, कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जहाँ सूचना अधिकार आवेदनों के माध्यम से संबंधित मुद्दों पर नागरिक–सामाजिक संगठनों द्वारा जानकारी प्राप्त करने में भारी निराशा का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष द्वारा सूचना के अधिकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के संबंध माँगा गया ब्यौरा देने से इनकार कर दिया गया। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने सूचना के अधिकार के तहत राज्य सरकार तथा टाटा उद्योग समूह, सलीम उद्योग समूह तथा रिलायंस के बीच हुए अनुबंध की जानकारी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने राज्य में पिछले 10 वर्षों में

उद्योग के लिए की गयी भूमि के उपयोग की विस्तृत जानकारी की मांग की थी।

जन सूचना पदाधिकारी ने टाटा विशेष से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर दिया, हालांकि सलीम ग्रूप के संबंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में उन्होंने ज्यादा उदारता दिखायी। नेता प्रतिपक्ष को राज्य जन सूचना पदाधिकारी (SPIO) द्वारा यह जानकारी दी गयी कि पश्चिम बंगाल सरकार तथा रिलायंस के बीच कोई चजण नहीं हुआ है। उत्तर में यह भी कहा गया कि राज्य में पिछले 10 वर्षो में उद्योग के लिए भूमि के उपयोग का लेखा.जोखा एक साथ प्रदान करना संभव नहीं है।



नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया कि सिंगूर से संबंधित जानकारी को छुपाने के लिए RTI अधिनियम के सेक्शन 8(1)(d) का गलत ढंग से उद्धृत किया गया। सेक्शन 8(1)(d) के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार के बावजूद नागरिकों को व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों तथा व्यावसायिक गोपनीयता वाली सूचना देने की बाध्यता नहीं है। ये जानकारियां सार्वजनिक करने से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान हो सकता है। इसके फलस्वरूप कंपनी के व्यापार रहस्य का खुलासा हो सकता है, अतएव इन्हें सार्वजनिक करने से छूट दी गयी। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक द्वारा सिंगूर में कृषि भूमि पर छोटी कार परियोजना के बारे में प्रेस वक्तव्य दिये जाने और सार्वजनिक घोषणाएं के किये जाने के बावजूद, राज्य जन सूचना पदाधिकारी ने सिंगूर में टाटा प्रोजेक्ट की जानकारी देने से इंकार कर दिया।[22]

[22] देखें : ``RTI ? गवर्नमेंट इज क्लूलेस, स्टेट्समैन न्यूज सर्विस, http://www.\thestatesman.net/page.news.php?clid=23&theme=&usrsess=1&id=14432

इसी के अनुरूप, विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा बृहत स्तर पर जन विरोधी विकास योजनाओं की बाढ़ के मद्देनजर, पुणे स्थित नेषनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज (NCAS) के एक कार्यकर्ता शोधकर्ता ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुख्य SEZ के परियोजना प्रस्तावों की प्रतियों के लिए केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय (MOC) से आवेदन किया था। मांगे गये परियोजना प्रस्तावों में उड़ीसा में पोस्को (POSCO), गोपालपुर (उड़ीसा) में टाटा, उत्तर प्रदेश में रिलायेंस एनर्जी तथा उड़ीसा के कलिंगनगर में IDCO परियोजनाओं के प्रस्ताव शामिल थे।

इस पर MoC ने यह कहते हुए मांगी गयी सूचना देने से इनकार कर दिया कि इससे तीसरे पक्ष (कंपनियों) की व्यावसायिक गोपनीयता तथा व्यापार रहस्य को नुकसान हो सकता है तथा यह RTI अधिनियम की धारा 8(1)(d) तथा (9) के अंतर्गत सुरक्षित है।

अपील करने के बाद जवाब में MoC ने अपने मुख्य जन सूचना पदाधिकारी (CPIO) को निर्देश दिया कि यदि मांगी गयी सूचना प्रदान करने से गोपनीयता के उपबंध का उल्लंघन नहीं होता है, तो SEZ प्रस्तावों की प्रतियां उपलब्ध करायी जायें। इसके अलावा, जवाब में यह भी कहा गया कि वह (आवेदनकर्ता), आदेश के 90 दिनों के भीतर मुख्य सूचना आयुक्त से आगे अपील कर सकती हैं। लेकिन, आदेश में उस समय सीमा का जिक्र नहीं था, जिसके अंदर CPIO को जवाब देना था।[23]

SEZ के द्वारा बडे पैमाने पर जन विरोधी विकास के आलोक में, जानकारी प्रदान करने से इनकार से, इस तर्क को और अधिक बल मिलता है कि सरकार की ये नीतियाँ पूर्णरूपेण निवेश चालित हैं, जन विरोधी हैं तथा भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

फिर भी, हाल ही में गोवा अपने क्षेत्र में और SEZ स्थापित न करने से खुली घोशणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह उस अनवरत

[23] अधिक जानकारी के लिए मधुमंती से सम्पर्क करें :
रिसर्च एसोसिएट, नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज, (NCAS) सेरेनिटी काम्प्लेक्स, रामनगर कॉलोनी, पाशन, पुणे-२१ महाराष्ट्र (www.ncasindia.org) टेली./फैक्स : 020-22952003/4.

दबाव का नतीजा था, जो राज्य के सभी ग्रामीणों षिक्षित मध्यम वर्ग, पेषेवर समूहों, आन्दोलनकारियों, चर्च तथा मीडिया ने सरकार पर बनाया था।[24] **दिलचस्प रूप से** SEZ **के खिलाफ लड़ाई तब शुरू हुई, जब आंदोलन के प्रवर्तकों में से एक ने अपने गाँव में गरीबों के लिए मुफ्त घर देने के प्रतीयमानतः छलपूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम के ब्यौरे का उद्भेदन किया।** उन्होंने परियोजना ब्यौरा तथा उससे संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त (minutes) के निरीक्षण के लिए सूचना के अधिकार-आवेदन दायर किया था। प्रदत्त सूचना से गुप्त SEZ परियोजना का भी खुलासा हुआ। आवेदन के अनुसार, उस वक्त SEZ की अवधारणा के बारे में हमें जरा भी आभास नहीं था, लेकिन प्रस्तावित स्थल से महज 2 किमी. दूर रहने से किसी भी तरह हमें इससे जानना था।

उन्होंने SEZ अधिनियम तथा नियमों का अध्ययन करना शुरू किया। साथ.ही.साथ वर्ष 2007 के प्रारंभ में सैकड़ों सूचना अधिकार आवेदन दायर किये तथा काफी मशक्कत से विभिन्न SEZ परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों को एकत्रित किया। सबसे अधिक सूचना अधिकार आवेदन दायर करने वाले मोंटेरो ने सिर्फ आवेदनों तथा अपीलों पर 18 हजार रुपये खर्च कर दिये। संबंधित विभागों से प्राप्त दस्तावेजों ने SEZ परियोजनाओं में भारी अनियमितताओं तथा चकित करने वाले कानूनी उल्लंघनों को उजागर कर दिया। इस समूह ने सूचना अधिकार आवेदन के दायरे को वर्णा औद्योगिक क्षेत्र (Verna Industrial Area) से विस्तारित कर समूचे राज्य को अपने इस अभियान के दायरे में लिया और इस प्रक्रिया में समूचे राज्य में प्रावधानों के उल्लंघनों को खोज निकाला। SEZ के खतरों तथा उजागर धोखाधड़ी की जानकारी से लैस होकर इस समूह ने प्रारंभ में अपने गाँव में जागरूकता निर्माण अभियान शुरू किया और बाद में इस अभियान को पूरे राज्य में चलाया। जैसे.जैसे लोग SEZ के प्रावधानों तथा धोखाधड़ी के बारे में जानते गये, समर्थकों की संख्या बढ़ती गयी।[25]

---

[24] देखें : गोवा : हाउ द बैटल वाज वन, लेखक-रिफत मुमताज तथा मधुमिता सरदार, http://www. infochangeindia.org/features475.jsp
[25] Ibid

उपरोक्त केस अध्ययन (case study) उस विश्वास को पुनःस्थापित करता है कि बड़ी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं बशर्ते कि हम सूचना के अधिकार तथा सरकार से प्राप्त जानकारी का उपयोग करें। सरकार को भी अपनी तरफ से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना तक पहुँच विस्तृत बनी रहे तथा वहां आसानी से पहुँचा जा सके।

वर्ष २००६ के मामले में, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) **की इस दलील को खारिज करते हुए कि वह सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता है, केन्द्रीय सूचना आयुक्त (CIC) ने इस खेल निकाय को अप्रैल, 2006 में मेलबोर्न कॉमनवेल्थ खेलों के समापन समारोह में खर्च की गयी राशि के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। उस वक्त यह बात सामने आयी थी कि उसने खिलाड़ियों के बजाय ऐश्वर्या राय जैसे प्रसिद्ध कलाकारों को समारोह में शामिल करने में ज्यादा खर्च किया था।**

अपीलकर्ता वीरेश मलिक[26] ने अप्रैल 2006 में सूचना अधिकार आवेदन के साथ भारतीय ओलंपिक संघ के जनसम्पर्क पदाधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों से ब्यौरा हासिल करने के संबंध में IOA से पहल की थी। वीरेश ने वर्ष 2004-2006 के बीच के अंकेक्षित लेखा तथा खजअ द्वारा मेलबोर्न खेलों के लिए किये गये खर्च के ब्यौरे की मांग की थी।

नोडल मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, ने यह खुलासा किया कि भारतीय ओलंपिक संघ के 396 लाख रुपये के कुल बजट में, केन्द्र एवं राज्य सरकार ने 320 लाख रुपये का योगदान दिया था। केन्द्रीय महालेखा अंकेक्षक ने भी उसके खातों का अंकेक्षण किया था।

फिर भी, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने आवेदन को नजरअंदाज करते हुए कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। IOA से किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलने के बाद आवेदक ने मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) से सम्पर्क किया। सुनवाई

[26] सूचना अधिकार के पुराने आंदोलनकारी हैं।

के दौरान, IOA ने यह कहते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया कि चूंकि उसकी स्थापना संसद के अधिनियम या किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा नहीं हुई है, इसलिए उसे सार्वजनिक प्राधिकार नहीं माना जाना चाहिए और इस प्रकार यह सूचना अधिकार अधिनियम की सीमा में नहीं आता है।

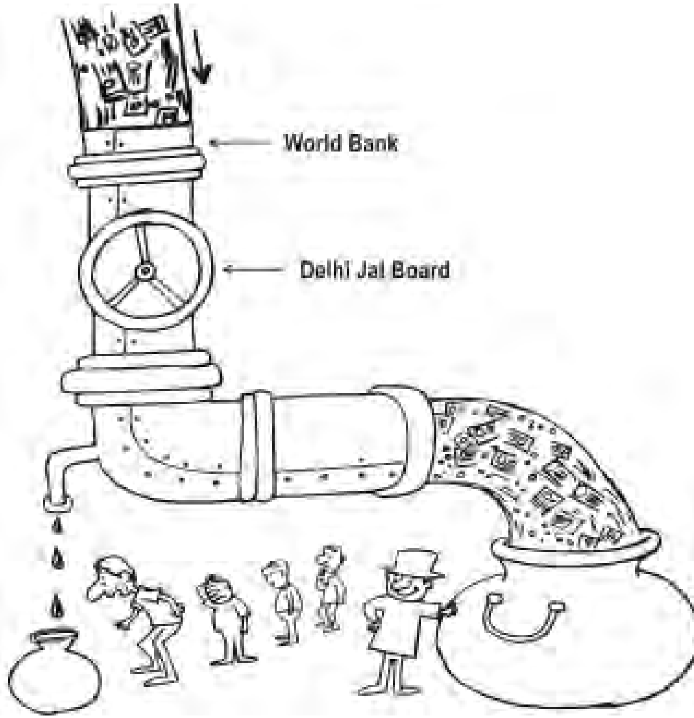
परन्तु, CIC ने यह टिप्पणी की कि श्चूंकि, IOA को सरकार द्वारा ''बड़ी वित्तीय सहायता'' दी गयी थी, और साथ ही, यह ''सार्वजनिक कार्यो का वहन करता है'' .....कि यह एक नोडल एजेंसी है, जिसके माध्यम से ही केवल कोई नागरिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग ले सकता है, ऐसे में उसे अपने कार्यो को पारदर्शी रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।'' CIC ने आगे कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम की शर्तो के अनुसार एक सार्वजनिक प्राधिकार होने के चलते............ओलंपिक घोषणा-पत्र के मामले में अपनी स्थिति एवं कार्यो पर किसी भी प्रकार समझौता नहीं करता है।

तत्पश्चात, CIC ने IOA को मांगी गयी जानकारियां प्रदान करने तथा सूचना अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया। खेल मंत्रालय को इस आदेश के अनुपालन का निरीक्षण करने को कहा गया।[27]

RTI अधिनियम की सहायता से दिल्ली की जल आपूर्ति तथा सफाई कार्य के निजीकरण के प्रयास से संबंधित और अधिक विवरण खोज निकाले गये। इन प्रयासें के साथ दिल्ली जल बोर्ड और विश्व बैंक जुडे हैं। इसके बाद कई स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय निवासियों के कल्याणकारी संगठन, विशेषज्ञों तथा दिल्ली की जनता ने एकजुट होकर इस परियोजना का विरोध करने के लिए राइट टू वाटर कैंपेन (RWC) का गठन किया।

दिल्ली में आधारित संगठन 'परिवर्तन' द्वारा प्रकट परियोजना के विवरणों के आधार पर, हिसाब लगायर गया कि यदि परियोजना के पारित होने से दिल्ली के एक परिवार का औसत पानी का बिल पाँच गुना बढ़ जायेगा। 'परिवर्तन' ने

[27] भारतीय ओलंपिक संघ को केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने सूचना देने का निर्देश दिया : हिमांशी धवन, 28 नवम्बर, 2006 2333hrs IST TIMES NEW NETWORK] देखें :
http://timesofindia.indiatimes.com/NEWS/india/Explain_games_expense_CIC/articleshow/629451.cms



दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल-निर्यास (sewerage) परियोजना के आधिकारिक दस्तावेजों को हासिल करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग किया। इन दस्तावेजों में उपरोक्त निकाय राज्य जनउपयोगी सेवा, दिल्ली जल बोर्ड तथा विश्व बैंक के बीच करार को दर्ज किया गया था। बाद में इसे सार्वजनिक कर दिया गया।

इस परियोजना का कथित लक्ष्य, पूरी दिल्ली में 24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करना है। लेकिन, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेज, जो पारदर्शिता को सुनिश्चित कर शासन में सुधार की मांग करता है, दर्शाता है कि यह परियोजना जलापूर्ति में मौजूद वर्तमान असमानता को दूर करने में सहायक नहीं होगी। इसके अलावा, यह कतिपय निजी जल कंपनियों को भारी मुनाफा कमाने का मौका देती है।

'परिवर्तन' के संस्थापक अरविंद केजरीवाल कहते हैं, इस परियोजना में एक तरफ चुनिंदा कंपनियों तथा उनके विशेषज्ञों को भारी कमाई के लिए भरपूर स्थान है, जो खर्च को बढ़ाएगा, तथा दूसरी तरफ लागत की वसूली के लिए दबाव बढाया जा रहा है। कुल मिलाकर नतीजा यह होगा कि आम आदमी के पानी के बिल में भारी बढ़ोत्तरी होगी तथा इस भारी भरकम बिल का बोझ वहन नहीं कर सकने वाली गरीब जनता पानी से वंचित हो जायेगी।

'परिवर्तन' के अनुसार, प्रत्येक जल कंपनी को अपना.अपना वार्षिक संचालन बजट निर्धारित करने दिया गया है तथा इसमें वृद्धि के लिए संशोधन के प्रावधान हैं, जिसका दुरुपयोग सरकार से मनमानी मांग करने के लिए किया जा सकता है। संचालन के खर्चो पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

प्रत्येक जोन (Zone) को डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया (DMAs) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन अलग-अलग घर के बजाय डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया के वितरण के आधार पर किया जायेगा। यहाँ, इस बात की भी संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया में आपूर्ति किया जाना वाला जल, घर.परिवारों को नजरअंदाज कर, उच्च शुल्क भुगतान करने वाले होटलों आदि उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है।

एक बयान में RWC ने कहा कि यदि परियोजना को लागू किया जाता है, तो गरीबों को पानी की आपूर्ति लगभग असंभव हो जायेगी। RWC की संयोजक मधु भादुरी कहती हैं, दिल्ली में इस परियोजना के लागू होने से रोकने के लिए लोगों में असाधारण एकजुटता है, क्योंकि इसके लागू होने से गरीब परिवार, सर्वाधिक इस मूल जरूरत से वंचित हो सकते हैं। सरकार के कई प्रमुख विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ लोगों ने इस परियोजना के बारे में हमारी चिंताओं से सहमति जतायी है।

विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 5 करोड अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर विचार कर रहा है। यह ऋण 6 वर्षो तक व्यावसायिक ब्याज दर पर दी जायेगी। एक समय यह भी सूचना मिली थी कि इस ऋण की स्वीकृति मिलने वाली ही

है, लेकिन इस पर हालिया विवाद की वजह से अंतिम निर्णय को टाल दिया गया।

इस बीच RWC ने मांग रखी है कि दिल्ली सरकार विश्व बैंक से अपना ऋण का आवेदन अविलंब वापस ले। योजना आयोग तथा दिल्ली सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से इसका निरूपण किया गया है। सरकार कुछ विशेषज्ञ निकायों से परामर्श के लिए योजना आयोग की राय मांगी है।

दिल्ली में इस परियोजना पर 'परिवर्तन' एवं RWA द्वारा आयोजित एक बैठक में, सूचना अधिकार अभियान के एक प्रमुख नेता अरुना राय ने कहा, यह समूचा प्रकरण, किसी भी नुकसान के पहले, त्रुटिपूर्ण परियोजनाओं एवं नीतियों को रोकने में सूचना के अधिकार की बडी उपयोगिता को दर्शाता है। यह तभी संभव है, जब सूचना अधिकार अधिनियम विस्तृत और विश्वसनीय प्रामाणिक सूचना हासिल करने की शक्ति नागरिकों को दे।[28]

गोपनीय रिपोर्ट तथा सांसदों की याचिकाओं से लैस होने के बाद, कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित अपनी जिंदल स्टील तथा पॉवर लिमिटेड (JSPL) कंपनी से रेलवे के लिए रेल खरीदने का अभियान चला रहे थे। सूचना अधिकार अधिनियम की मदद से, एक पूर्व न्यायाधीश की एक गोपनीय कमिटी रिपोर्ट हासिल की गयी। रिपोर्ट में जिक्र था कि किस तरह त्रुटिपूर्ण रेल की पटरियों के कारण एक बड़ी रेल दुर्घटना घटी तथा उसमें 200 लोगों की मौत हुई। इस संबंध में, सांसद के प्लांट में गैस विसर्जन प्रक्रिया (हाइड्रोजन को हटाने की प्रक्रिया) में तकनीकी खराबी के कारण, उनके प्लांट द्वारा रेल टेंडर देने पर रोक लगा दिया गया (दुनिया भर में पुराने बंद पडे.कारखानों को खरीदने तथा उन्हें भारत में पुनः जोड़ने में जिंदल स्टील को पूरे स्टील उद्योग जगत में काफी प्रसिद्धि प्राप्त है)। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए धातु विज्ञानियों की समिति गठन करने की कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की मांग को मंत्रालय ने ठुकरा दी।[29]

---

[28] सूचना के अधिकार कानून की मदद से दिल्ली का विषादपूर्ण जल सौदों का पर्दाफाश हुआ। www.ipsnews.net, November 6, 2005

[29] रेल मंत्रालय : रेल स्टील में हाइड्रोजन का नियंत्रण, ७ दिसम्बर, ०६, पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति।

कंपनी के लिए यह एक बड़ा धक्का था, क्योंकि PIB की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रेल के लिए JSPL की बोली के पुनर्निरीक्षण के लिए धातु विज्ञानियों की समिति गठन करने से रेलवे मंत्रालय ने इनकार कर दिया था। गड्झङ ने तीन वर्ष पूर्व लंबी रेल के निर्माण के लिए एक यूनिट स्थापित की थी। कंपनी ने आरोप लगाया कि निजी क्षेत्रों के साथ प्रतिद्वंदिता से बचने के लिए रेलवे ने दुर्घटना का बहाना बनाया है। नवीन जिंदल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में उनका 1,500 करोड़ का लंबी रेल प्लांट अपनी क्षमता की केवल 40% ही उत्पादन कर रहा है।

कल्पवृक्ष[30] के काँची कोहली ने सूचना दी थी कि रमेश अग्रवाल के अनुरोध पर उन्होंने सूचना अधिकार आवेदन दाखिल किया था। प्रश्न यह था कि एन्वाययरॉनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट (EIA) रिपोर्ट में EIA परामर्शदाता द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के आधार पर स्थगित की गयी एक जन सुनवाई के मामले में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (MOEF) के क्या कोई दिशानिर्देश हैं। मंत्रालय के उत्तर से पता चलता है कि ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं है।[31]

यद्यपि, यह आवेदन मुख्यतः रायगढ़ स्थित मोनेट इस्पात के मामले से जुड़ा था, लेकिन यह उन सभी गतिविधियों के संबंध में अति महत्वपूर्ण है, जिनसे स्थानीय पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के दुष्प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। अब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के आदेश पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पर्यावरणीय प्राथमिकता के स्थान पर निवेश की प्राथमिकता वाली EIA अधिसूचना, 2006 के आ जाने से चिंताएं विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

जिनके बारे में पहले बात की जा चुकी है, उसी प्रकार के कई मामलों में सरकार ने किसी भी तरह की सूचना देने से इनकार किया है, यद्यपि मांगी गयी जानकारी बहुत मौलिक थी तथा पह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर नहीं थी। 'कल्पवृक्ष' ने ऐसे ही मुद्दों पर कार्यरत अन्य संगठनों के

[30] 'कल्पवृक्ष' एक गैर सरकारी संगठन है, जो पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा है।

[31] **देखें** : परिषिश्ट **V.**

साथ मिलकर एक सूचना अधिकार आवेदन दाखिल किया था, जिसमें पर्यावरण क्षरण तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की भूमिका पर जानकारी मांगी गयी है।

उन्होंने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (MoEF) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को 8 खुले पत्र भेजे थे, जिनमें MoEF द्वारा अपनायी जा रही नीतियों तथा पूरे देश में पर्यावरण नियामक शर्तो के लगातार क्षरण के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाये गये थे। लेकिन, न MoEF, न ही PMO ने इनका जवाब देना जरूरी समझा। इन मांगी गयी जानकारियों में दिलचस्पी रखने वाले सभी समूहों के साथ चर्चा करने के बाद, उन्होंने यह जानने के लिए सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करने का निर्णय लिया कि MoEF तथा PMO ने भेजे गये खुले पत्रों को प्राप्त किया अथवा नहीं, तथा इन पर क्या कार्यवाही की गयी है!

उत्तर में पहले MoEF का जवाब आया जो अपर्याप्त और भ्रामक था। आवेदन को केवल प्रभाव अकलन डिविजन (Impact Assesement Division–IAD) को अग्रसारित किया गया था। इसलिए, सिर्फ IAD से संबंधित चुनिंदा पत्रों पर अधूरी तथा भ्रामक जानकारी दी गयी थी। इसी आधार पर 22 जनवरी, 2007 को उपरोक्त सभी गैर सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा अपीलीय अधिकारी को एक अनुवर्ती पत्र भेजा गया।

अपीलीय अधिकारी ने NGOs को भेजे गये जवाब (आदेश) में लिखा था कि 'खुले पत्रों' में उठायी गयी विषय वस्तु की बहुलता के कारण विलंब हुआ। अपीलीय अधिकारी के अनुसार, 'खुले पत्र' लगभग सम्पूर्ण MoEF को अपने जद में लिये हुए था। और तो और, बताया गया कि संबंधित फाइल कहीं गुम हो गया था, जिसे हाल में ही खोज निकाला गया है। आदेश में यह भी कहा गया कि वे बाद में व्यक्तिगत सुनवाई की मांग कर सकते हैं। झचज से प्राप्त जवाब से पता चला कि उन्होंने चार पत्र प्राप्त किये थे, तीन नहीं मिले, तथा एक पत्र पर उन्होंने चुप रहने का निर्णय लिया। अनुवर्ती पत्रों पर भी उनके जवाब अस्पष्ट थे। 8 खुले पत्रों पर सूचना के अधिकार के तहत दी गयी प्रतिक्रियाएं क्रमशः इस प्रकार है :

- दिनांक 09.01.2007 को PMO का कमल दयानी, निदेशक, केन्द्रीय जनूसचना पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जवाब।
- दिनांक 09.01.2007 को MoEF का जवाब, भारत सरकार के संयुक्त सचिव जे.एम. माउसकर द्वारा हस्ताक्षरित।

प्रथम पत्र : *सरकारी तंत्र पर्यविरण को क्यों नष्ट कर रही है? 3 सितम्बर, 2004 को 66 लोगों के हस्ताक्षरों के साथ MoEF को भेजा गया तथा इसकी एक प्रति PMO को दी गयी।*

सूचना अधिकार आवेदन पर PMO को जवाब : 22.09.2004 को PMO ने इसे MoEF के सचिव के पास अग्रसारित कर दिया।

सूचना अधिकार आवेदन पर MoEF का जवाब : MoEF ने पावती को आधिकारिक रूप से अभिस्वीकृत नहीं किया।

द्वितीय पत्र : *सरकार महत्वपूर्ण वन्य जीवों के वासक्षेत्रों को क्यों 'साफ' करते जा रही है? 4 अक्टूबर, 2004 को 44 हस्ताक्षरों के साथ MoEF को दी गयी, तथा PMO को इसकी एक प्रति भेजी गयी।*

सूचना अधिकार (RTI) **आवेदन पर PMO का जवाब :** PMO को पत्र नहीं मिला।

आवेदन पर MoEF **का जवाब :** MoEF द्वारा पावती आधिकारिक रूप से अभिस्वीकृत नहीं की गयी।

तीसरा पत्र : क्या राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मसौदा सचमुच भारत के पर्यावरण की सुरक्षा करेगा? 92 हस्ताक्षरों के साथ 29 अक्टूबर, 2004 में MoEF को भेजा गया तथा PMO को इसकी प्रति भेजी गयी।

सूचना अधिकार आवेदन पर PMO का जवाब : दिनांक 11.11.2004 को झचज ने इसे MoEF सचिव को अग्रसारित कर दिया है।

आवेदन पर MoEF का जवाब : MoEF द्वारा पावती आधिकारिक रूप से अभिस्वीकृत नहीं किया गया।

चौथा पत्र : *पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (MoEF) की विशेषज्ञ समितियों में पूर्व नौकरशाहों, राज नेताओं तथा इंजिनियरों का वर्चस्व क्यों है? 66 हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 8 अप्रैल, 2005 में MoEF को भेजा गया तथा इसकी प्रति PMO को भेजी गयी।*

आवेदन पर PMO का जवाब : PMO को नहीं मिला।

आवेदन पर MoEF का जवाब : MoEF को नहीं मिला।

पाँचवां पत्र : *पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया (Environment clearance Process) में प्रतिग्रामी बदलावों को रोका जाये। 58 हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 29 जून, 2005 को भारत के प्रधानमंत्री को भेजा गया तथा इसकी प्रति MoEF के सचिव को भेजी गयी।*

आवेदन पर PMO का जवाब : PMO अनुसरण किया और फाइल किया।

आवेदन पर MoEF का जवाब : MoEF को नहीं मिला।

छठा पत्र : *अंतिम रूप देने के पहले कृपया राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को सार्वजनिक करें। 63 हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 26 अगस्त 2006 को भारत के प्रधानमंत्री को भेजा गया तथा उसकी प्रति MOEF के सचिव को दी गयी।*

PMO का जवाब : PMO को नहीं मिला।

MoEF का जवाब : MoEF द्वारा पावती औपचारिक रूप से अभिस्वीकृत नहीं की गयी।

सातवां पत्र : *जीव वैज्ञानिक विविधता पर समझौता के तहत भारत सरकार को अपने कर्तव्यों का अवश्य पालन करना होगा। 58 हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 20 मार्च, 2006 को प्रधान मंत्री के भेजा गया तथा इसकी प्रति MoEF सचिव को दी गयी।*

PMO का जवाब : PMO अनुसरण किया और फाइल किया।

MoEF का जवाब : MoEF द्वारा पावती औपचारिक रूप से अभिस्वीकृत नहीं की गयी।

आठवां पत्र : *EIA अधिसूचना 2006: संविधान, इसकी जनता तथा पर्यावरण के खिलाफ।* 58 हस्ताक्षरों के साथ 8 नवम्बर, 2006 को प्रधानमंत्री को भेजा गया तथा इसकी प्रति *MoEF* सचिव को भेजी गयी।

PMO का जवाब : PMO ने पत्र की प्राप्ति को स्वीकृत किया, न ही अस्वीकृत किया।

MoEF का जवाब : जब EIA अधिसूचना, 2006 की समीक्षा की जायेगी, उस वक्त इस पत्र पर उचित विचार किया जायेगा।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य को पुनःसाबित करता है कि नौकरशाही अपारदर्शिता की विरासत को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। न केवल नौकरशाह, बल्कि राजनेता भी जनता को यह अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है। निवेश पर आधारित सरकार की नीतियों के वर्तमान दौर में, अपारदर्शिता तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए किये गये अनुरोध को नजरअंदाज करने के मुद्दे और अधिक गंभीर हो जाते हैं। नीतियां कौन बनाते हैं तथा किनके लिए बनाये जाते हैं? क्या पर्यावरण सुरक्षा का मुद्दा, ऐसा मुद्दा हो सकता है, जहाँ सरकार सूचनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे से अलग रखने का दावा करें ? लेकिन, सिंगल विंडो क्लीयरेंस (Single window clearance) तथा जन सुनवाई के स्थान पर सार्वजनिक परामर्ष जैसी नीतियां लागू करना, और तब किसी भी पर्यावरण तथा सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव की परवाह किये बगैर उड़ीसा में ययवेदांता जैसी परियोजनाओं को पर्यावरण क्लीयरेंस दे दना सरकार के लिए सामान्य बात है। पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में यह मामला और अधिक संगीन है, जिन्हें पर्यावरण क्लीयरेंस प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखा गया है। नयी पर्यापरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के तहत, तटों, नम भूमि, वन्य जीवन अभ्यारण्यों, पहाड़ों तथा रेगिस्तानों जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनषील क्षेत्रों जैसे में भी पर्यटन परियोजनाओं को किसी पर्यावरण क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है।

कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक शोधकर्ताओं के अनुसार, पहले ऐसा हुआ है कि केवल गोपनीयता के नाम पर सूचना देने से इंकार करने के चलते विभिन्न प्रकार से जनहित खतरे में पडे थे। उदाहरण के लिए, सम्पूर्ण नर्मदा घाटी को 'गोपनीय' घोषित करके नर्मदा कार्यकर्ताओं (NBA) से जानकारी छुपाने के लिए ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 और 5 का उपयोग किया गया।[32]

जमीनी स्तर पर सामुदायिक तथा व्यक्तिगत पहल

पूरे देश में नागरिक, सरकारी अधिकारियों को आम आदमी के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सूचना अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। केवल महाराष्ट्र राज्य में ही नागरिकों ने लगभग 20 हजार आवेदन दायर किये हैं। ये आवेदन शहरी निवासियों को परेशान करने वाली पेयजल संकट तथा सड़कों की लगातार खुदाई जैसी कई जन समस्याओं से संबंधित सूचना के लिए दायर किये गये हैं। खुशी की बात यह है कि समाज का एक बड़ा तबका अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। **महाराष्ट्र में कटराज निवासी विजय मोरे की तरह जिन्होंने भीषण जलाभाव से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसके आसपास के स्थानीय लोग पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे थे। उसने सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए पूछा कि उसके जैसे निम्न मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में पुणे के डेक्कन जिमखाना तथा फर्गुसन कॉलेज रोड जैसे संपन्न इलाकों क्षेत्रों की तुलना में कितना पानी मिलता है। उसी तरह, संतोष जगताप नामक एक वीडियो लाइब्रेरी के मालिक हैं, जिन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग कर अपने क्षेत्र के एक निर्माणाधीन फ्लाइओवर के बारे में जानकारी मांगी, जिसके लिए सड़क चौड़ीकरण आवश्यक था ;इस वजह से स्थानीय निवासियों की जमीन का अधिग्रहण भी जरूरी थी।** जगताप अपने अनुभवों से खुद को सशक्त महसूस करने लगे तथा उन्हें लगा कि इस के द्वारा आगे अन्य नागरिकों को जागरूक किया जा सकता है। वे गर्व से

[32] राइट टू इन्फार्मेशन : ट्राँसपरेंसी टू बूस्ट इफिसीएंसी : धूरजटी मुखर्जी, INFA, द सेन्ट्रल क्रोनीकल, सितम्बर १६, २००६।

कहते हैं कि ययअब मैं अपने आस-पड़ोस में बैठकें आयोजित करता हूँ और अब तक 10-15 लोगों को सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। वे कहते हैं कि सूचना के अधिकार का महत्व मेरी समझ में आ गया, क्योंकि यदि अधिकारी कोई धोखाधड़ी करे तो अब एक आम आदमी भी उस पर दबाव डाल सकता है।

ये आवेदन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें उठाये गये सभी मुद्दे देश के सभी भागों में अनियंत्रित तथा अधारणीय पर्यटन के विस्तार के मामले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रासंगिक हैं।

एक व्यक्ति ने 2021 तक के दिल्ली के मास्टर प्लान के संशोधन पर जानकारी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में सूचना अधिकार आवेदन दाखिल किया। DDA ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) का उपयोग जानकारी नहीं देने के लिए किया। साथ ही DDA ने एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण के अंदर उसे एक जनसूचना पदाधिकारी (PIO) से दूसरे झखज को हस्तांतरित कर दिया। एक गैर सरकारी संगठन (NGO), कॉमनवेल्थ ह्यूमैन राइट इनिशिएटीव (CHRI), ने दलील दी कि धारा 7(9) जानकारी देने से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता है तथा जानकारी किसी वैसे दूसरे रूप में देना चाहिए, जो आवेदक को संतुष्ट कर सके। CHRI ने यह भी दलील दी कि एक अकेले सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण DDA, अधिक समय पाने के लिए, सूचना अनुरोध आवेदन को एक PIO से दूसरे PIO को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारीगण सहायता देने के लिए बाध्य हैं। यह सहायता अवश्य ३० दिनों के भीतर देना होगा। इस समय सीमा में विस्तार की अनुमति नहीं है।

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) ने दोनों दलीलों का समर्थन किया। निर्णय देते हुए आयुक्त ने कहा कि ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक हैं तथा जनता को इसकी जानकारी देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में DDA को 'स्वप्रेरणा' (बिना मांगे खुद की पहल से) से आम जनता द्वारा परीक्षण के लिए इसे उपलब्ध कराना चाहिए।

तमिलनाडु के उरूर कुप्पम में ग्रामीण मछुआरे श्रीनिवासपुरम में अडयार क्रीक के किनारे तथा किबल द्वीप कब्रिस्तान के आसपास चल रहे बहुत सारे निर्माणों तथा सिविल कार्यों से उद्वेलित थे। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वहाँ एक उत्थित (elevated) हाइवे बनने वाला है हालांकि, इस बारे में अधिकाधिक घोषणा नहीं की गयी थी। इस क्षेत्र के निवासियों में ज्यादातर ग्रामीण मछुआरा समुदाय से हैं। उनमें यह डर समा गया कि इस प्रस्तावित परियोजना के कारण बड़ी संख्या में उनके लोग विस्थापित हो जायेंगे।

उरूर कुप्पम, बसंत नगर, के एक स्थानीय निवासी के. सारावनन ने श्रीनिवासपुरम और पूर्वीतट रोड के बीच बनने वाले उत्थित हाइवे के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लोक निर्माण विकास (PWD) में सूचना के अधिकार का आवेदन दाखिल किया। PWD ने कई बहाने बनाने के बाद, यह कहते हुए आवेदन को हाइवे विभाग को स्थानांतरित कर दिया कि इस परियोजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए हाइवे विभाग ही सही प्राधिकरण है।

के. सारावनन ने PWD तथा हाइवे विभाग, दोनों के खिलाफ जानकारी देने में सहयोग न करने के लिए राज्य सूचना आयोग से अपील की। उसने PWD से किबलद्वीप कब्रिस्तान के बगल स्थित दलदल भूमि के भराव तथा बसंत नगर 'बीच' के दक्षिण ओडाइकुप्पम के समीप सड़क निकालने के बारे में PWD से जानकारी मांगी थी।

14 नवम्बर को भेजे गये एक पत्र में हाइवे विभाग, चेन्नई सिटी रोड डिविजन के प्रभागीय अभियंता (Divisional Engineer) ने स्वीकार किया कि विभाग बसंत नगर 'बीच' के दक्षिण में ओडाइकुप्पम में एक उत्थित हाइवे का निर्माण करने वाला है। इस परियोजना के वास्तविक खर्च का प्राक्कलन करना अभी बाकी है तथा क्बिल कब्रिस्तान से सटी जमीन के उद्धार के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पर्यावरण अधिनियम तथा तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone) अधिसूचना, 1991 (CRZ) के तहत अनुमति

तथा क्लीयरेंस, 'बीच कमेटी' (Beach Committee) के पास विचाराधीन है।

पिछले दिसम्बर में एक सुनवाई में, आयोग ने 'अत्यधिक विलंब' तथा मंथरगति से जानकारी मुहैया कराने के लिए PWD तथा हाइवे विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश दिया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) एस रामकृष्णन ने कहा कि प्रदत्त जानकारी 'अस्पष्ट' तथा 'अपर्याप्त' थी। उन्होंने विभाग के रवैये पर दुख जताते हुए अवलोकन किया कि आयोग को यह जानकार कष्ट हुआ कि इन दो विभागों से संबंधित (लापरवाही का) यह पहला मामला नहीं है तथा भारी गलतियां करने और अपनी नाकामी की ओर जनता का व्यापक ध्यान आकर्षित करने के बावजूद उन्होंने खुद को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में शिक्षित नहीं किया है।

पर्यावरणविदों का कहना है कि विकास की से गतिविधियां तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 (CRZ) को उलटने की योजना की तरफ इशारा करती हैं। कार्पोरेट एकाउंटेबिलिटी डेस्क के नित्यानंद जयरमण ने कहा, ''चूंकि CRZ केवल मौजूदा सड़कों की जमीन की तरफ ही विकास की अनुमति देती है, इसलिए हमें आशंका है कि प्रशासन ओडाइकुप्पम के नजदीक सड़क जैसा क्षेत्र बना सकता है। उसके बाद ये यह तर्क देंगे कि यह सड़क पहले से यहाँ मौजूद थी और यहां सडक के बगल में सागर तट पर भारी निर्माण कार्यो की सुविधा है।''[33]

विभिन्न राज्यों में यह प्रवृत्ति आम है। विशाखापत्तनम में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। जनता को यह जरा भी पता नहीं है क्या ये क्षेत्र के मास्टर प्लान के अनुरूप हैं या नहीं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति विकास परियोजनाओं की किसी योजना या प्रस्ताव की जाँच की मांग कर सकता है।

[33] 'परियोजना पर चुप्पी से सूचना आयुक्त खीज गया (Silence over project irkes information commission)' 29, दिसम्बर, 2006.

http://www.hindu.com/2006/12/29/stories/2006122905280400.htm

विशाखापत्तनम में हमें FYWA के द्वारा जानकारी दी गयी थी कि उनके एक सदस्य ने वर्ष 2007 में तेलुगु भाषा में विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण (Vizag Urban Development Authority) के मास्टर प्लान की एक प्रति प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार आवेदन दाखिल किया था, ताकि प्लान को समुदाय के लोग पढ़ तथा समझ सकें। अपनी मांग ठुकरा दिये जाने के बाद आवेदक ने उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया। उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि VUDA उपरोक्त मास्टर प्लान को तेलुगु में प्रकाशित करके इसे सभी को उपलब्ध कराये। फलस्वरूप, दस्तावेज का अनुवाद किया जा चुका है तथा जांच एवं अभिदेशन (reference) के लिए यह VUDA कार्यालय में आम जनता के लिए अभी उपलब्ध है।

एक कार्यकर्ता ने हाइवे पर पथकर वसूली के मुद्दे की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। पथकर युक्त सड़क मार्गो की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। यह अवलोकन किया गया है कि अपनी दैनंदिन आजीविका के लिए रोज यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों को करयुक्त सड़कों पर यात्रा करने के लिये खर्च करना पड़ता है, जबकि सरकारी वाहनों को पथकर से मुक्त रखा गया है। उसने सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करते हुए जानकारी मांगी कि क्यों और कैसे कुछ हस्तियों को राष्ट्रीय/राज्य हाइवे पर पथकर भुगतान करने से छूट दी गयी है तथा इस पर यदि मंत्रालय का कोई विशेष दिशा.निर्देश है, तो उसकी भी जानकारी दी जाये। उसे प्रथम चरण का उत्तर देते हुए भारत के राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण (National Highway Authority of India–NHAI) ने सिर्फ इतना बताया कि वे सड़क तथा उच्चपथ मंत्रालय की अतुशंसाओं का अनुपालन करते हैं। इसके बाद उसने एक दूसरा आवेदन दिल्ली में मूल मंत्रालय अर्थात् सड़क तथा उच्चपथ मंत्रालय को भेजा। लेकिन, मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई निर्दिष्ट जानकारी नहीं दी है।

गोवा जैसे पर्यटक केन्द्रिक स्थानों सहित सम्पूर्ण देश से प्राप्त अनुभव दर्शाते हैं कि किस प्रकार निवेश प्रेरित, अनायोजित एवं अधारणीय (unsustainable) पर्यटन मॉडल राज्य के संसाधनों की लूट की तरफ ले

जा सकता है और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों को कठिनाइयों की पराकाष्ठा तक धकेल देता है। पर्यटन स्थानीय समुदायों और उनको संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पर्यटन उद्योग की बढ़ती मांग के कारण स्थानीय समुदायों को जल की आपूर्ति कम कर दी गयी है। स्थानीय समुदायों के बजाय पर्यटकों को पानी तथा अन्य सुविधायें मुहैया कराना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। समुद्री तटों पर होटलों के निर्माण से मछुआरा समुदाय तथा छोटे व्यापारी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यही नहीं, तटीय क्षेत्रों में होटलों के निर्माण की स्वीकृति ने पर्यावरण को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। अन्य प्रकार के आधारभूत संरचना, परिवहन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण आदि जैसे विकास से भी पर्यटन का गहरा जुड़ाव है। इसलिए, पर्यटन के प्रभाव के मामले में इन सभी कारकों तथा प्रक्रियाओं पर विचार करना है। इसका प्रभाव आजीविका के स्वरूप, भूमि के उपयोग, समाज तथा संस्कृति पर पड़ता है जिनको मापना कठिन है।

एक वर्ष पहले दिल्ली के विभिन्न तकनीकी कॉलेजों के छात्रों ने शपथ लेते हुए सभी शहरी सड़कों को ठीक करवाने के लिए अपने किस्म का लक्ष्य बनाया था। दिल्ली आइआइटी के इंजीनियरिंग छात्रों के एक समूह ने दिल्ली के विभिन्न सड़कों में जारी सभी कार्यो के लिए ठेका तथा टेंडर की प्रतियों की मांग की थी। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी इस जानकारी में उन्होंने, इन कार्यो के निरीक्षण की भी मांग कर रहे हैं। सूचना अधिकार आवेदन दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (Public Work Department) में दाखिल किया गया था। **इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दो नागर संगठन, ज्वायंट ऑपरेशन फॉर सोशल हेल्प (JOSH)'' तथा ''ऐड दिल्ली (Aid Delhi)'' ने मिलकर एक 'यूथ टास्क फोर्स'[34] की शुरुआत की है, जिसमें चलाने वाले मुख्यतः दिल्ली आइआइटी के छात्र हैं।** यह टास्क

[34] अधिक जानकारी के लिए 'यूथ टास्क फोर्स' से सम्पर्क करें। अपने सहयोग के लिए हमें इस पते पर मेल करें : josh4india@gmail.com या सम्पर्क करें : सौरभ : (0) 9811872752, स्वाति : (0) 9968286262 JOSH का पता है : ज्वायंट आपरेशन फॉर सोशल हेल्प (JOSH), 405-एफ पाकेट II, फेज I, मयूर विहार, दिल्ली - 110091 फोन : +911143042669; contact @josh4india.org,josh4india@gmail.com

फोर्स PWD द्वारा निर्मित विभिन्न सड़कों के रिकॉडर्स तथा निरीक्षण की मांग करते हुए अभी तक लगभग 35 सूचना अधिकार आवेदन दाखिल कर चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य, शहर में चल रहे विभिन्न आधारभूत संरचना निर्माण कार्यो की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नागरिकों द्वारा एक समानांतर अनुश्रवण प्रणाली का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में यह उम्मीद की जा रही है कि यह टास्क फोर्स, जिसकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, शहर में झथऊ द्वारा निर्मित सड़कों तथा इसके द्वारा निष्पादन किये जाने वाले अन्य लोक निर्माण कार्यो पर सैकड़ों ठढख आवेदन दाखिल करेगा।[34]

मुम्बई के दादर के एक मामूली दर्जी ने हाल ही में मुम्बई के एक फुटपाथों को भ्रष्ट ठेकेदारों तथा घटिया कारीगरी का शिकार होने से बचाया। उसने जिस प्रकार इसे अंजाम दिया, वह उन लोगों के लिए एक अच्छा सबक है, जो अपने शहर के घटिया नागरिक सुविधाओं की शिकायत करते हैं हैं, पर इसके लिए ठोस कुछ काने के लिए तैयार नहीं हैं। **45 वर्षीय सुरेश प्रभु, दादर (पूर्व) के डॉ. अम्बेडकर रोड पर 350 वर्ग फुट की एक दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपनी दुकान के सामने सूचना अधिकार पर एक ठेकेदार द्वारा बेतरतीब तथा लापरवाह तरीके से लगाये गये इंटर लॉक सूचना अधिकार ब्लॉकों के बारे में कुछ करने की सोची और सूचना अधिकार के तहत, बम्बई नगर निगम (BMC) के सड़क विभाग से इसे सही तरीके से करने की विस्तृत जानकारी तथा इसमें इस्तेमाल की गयी सामग्रियों के ब्यौरे की मांग की।** जो जानकारी दी गयी, वह आश्‍चर्यचकित करने वाली थी। ठेकेदार ने टाइल्स लगाने में न सिर्फ गलत प्रक्रिया अपनायी थी, बल्कि इसमें उसने घटिया स्तर की सामग्री का भी उपयोग किया था। BMC द्वारा विशेष कार्य के लिए कदम दर कदम निर्देश निर्धारित हैं। प्रभु ने कथित कार्य में बरती गयी अनियमितता की जानकारी बम्बई उच्च न्यायालय को दी, जिसने एक सड़क अनुश्रवण समिति (Road Monitoring Committee – RMC) को नियुक्त किया।

RMC के सदस्यों ने विवादित स्थल से प्रभु को बालू के नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए सौंपने को कहा। लेकिन, प्रभु ने जब ठेकेदार से नमूने पर हस्ताक्षर

करने को कहा, ताकि यह स्थापित हो कि यह नमूना उसी विवादित स्थल का है, तब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर प्रभु ने दो अन्य दुकानदारों से इस नमूने को सत्यापित करवाया।

प्रभु द्वारा सौंपे गये नमूने की जांच के बाद, इससे पहले कि RMC ठेकेदार पर किसी कार्यवाही की शुरुआत करती, ठेकेदार ने विवादित स्थल में लौ घटिया सामग्रियों को बदल दिया तथा टाइल्सों को जोड़ने वाली प्लेट वाइब्रेटर मशीन समेत सभी जरूरी मशीनरी को निर्माण कार्य में लगा दिया। इस घटना ने पूरे मुम्बई शहर में चेतावनी की घंटी बजा दी। RMC के अधिकारियों ने पूरे शहर में इसी प्रकार के नमूना परीक्षण करने का निर्णय लिया। गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित सुझाव के साथ अवलोकनों को BMC को सौंप दिया गया। RMC द्वारा उच्च न्यायालय को सौंपी गयी रिपोर्ट में भी इनका उल्लेख किया गया।

RMC के सदस्यों के अनुसार, यदि प्रभु उनका ध्यान इस अनियमितता की तरफ नहीं खींचा होता तो ठेकेदार के इस घटिया काम का खुलासा नहीं होता। आने वाले दिनों में, आम आदमी की एक छोटी-सी सतर्कता हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कार्यो को रोकने में एक कारगर अंकुश का काम कर सकती है। उनके अनुसार, मुम्बई का हर नागरिक प्रभु की तरह कार्य करके एक बदलाव ला सकता है। सभी नागरिकों को सिर्फ इतना ही करना है कि सड़क से संबंधित अनियमितताओं पर नजर रखे तथा इसकी जानकारी RMC को दें।[35]

दिल्ली स्थित एक मैनेजमेंट परामर्शदाता, दिलीप कुमार उस समय स्तब्ध रह. गये, जब चेन्नई-दिल्ली मार्ग पर उनका विमान 9W 830 दिल्ली हवाई अड्डा

[35] **भास्कर प्रभु, द हीरो** : बापू दीदवानिया, मुम्बई मिरर
http://www.mumbaimirror.com/pmirror/mmpaper.aspx?page=article&sectid=158contentid=200702100221641281f2f1c528

प्रकाश कारदाले की तरफ से हमने HumJanenge@yahoogroups.co.in से केस स्टडी लिया था। यह निम्नलिखित वेबसाइट पर भी उपलब्ध है -

http://indiarti.blogspot.com RTIA, 2005Yahoo!grouplinks पर आपकी जानकारी के लिए उपलब्ध है।

RMC से सम्पर्क का पता : mumbai roads.volunteer@gmail.com

को छूने के चंद सेकंड पहले फिर से उड़ान भरने लगा। कुमार जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ तथा हादसे से विमान के यात्री कितनी दूर थे। ''उन्होंने बताया कि उनको क्लीयरेंस नहीं दी गयी थी, इसीलिए पायलट ने रनवे पर उतरने से पहले दोबारा उड़ान भरा। उनसे मेरा प्रश्न था कि पायलट इतना नीचे क्यों आया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?''

कुमार पायलट के उस जवाब से संतुष्ट नहीं थे कि उस वक्त विमान रनवे से महज 220 फीट दूर था; इस ऊंचाई से यात्री सड़क देख सकते थे, लेकिन चूंकि उसे एटीसी क्लीयरेंस नहीं मिला, इसलिए उसने दोबारा उड़ान भरा। कुमार ने नागरिक उड्डयन के निदेशक जनरल को पत्र लिखकर पूछा कि इतने यात्रियों के जीवन को खतरे में क्यों डाला गया। जब कुमार को कोई जवाब नहीं दिया गया, तब उसने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दाखिल किया। ऐसा पहली बार हुआ कि एक विमान यात्री द्वारा उडान के विवरणों से संबंधित जानकारी के लिए सूचना अधिकार आवेदन दाखिल किया गया।

कुमार ने बताया, इसके बाद एयरलाइन्स वालों ने मुझे फोन किया और बताया कि उनके सभी पायलट काफी प्रशिक्षित हैं। एक हवाई यातायात नियंत्रक ने भी मुझे फोन करके बताया कि उस वक्त रनवे पर एक अन्य विमान खड़ा था। इस पर मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन, तब मुझे अहसास हुआ कि सूचना अधिकार अधिनियम एक शक्तिशाली कानून है।''

भारत में नये निजी विमान आपरेटरों को आकर्षित करने के लिए सरकार गर्व से अपने खुले आकाश की नीति का प्रचार कर रही है। विकल्प दोगुने हो गये हैं, किराये कम हो गये हैं तथा वायुमार्गों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन, इन निजी ऑपरेटरों को समायोजित करने के लिए विनियमों में ढिलाई दी गयी है। इसका एक बड़ा नतीजा कमजोर सुरक्षा प्रणाली के रूप में आया। सुरक्षा तंत्र में ढिलाई दी गयी है। घरेलू उड़ानों की संख्या में आयी इस उछाल के साथ विमानयात्रियों के लिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गयी है। ऐसे में, विमान की उड़ान तथा हवाई पट्टी पर लैंडिंग को अचानक टालने की स्थिति पैदा हो सकती है।

लेकिन, इसके लिए किसी न किसी को इसकी जवाबदेही लेनी होगी, क्योंकि आखिरकार यह सभी यात्रियों की सुरक्षा के सवाल से जुड़ा मामला है। अन्य विमान सेवा कंपनियां इस बात से चिंतित हैं कि सूचना अधिकार आवेदन से लैस अन्य यात्री भी सूचना के अधिकार का प्रयोग करने लगें तब क्या होगा। अतः सूचना अधिकार आवेदन न केवल यात्रियों को जागरूक बनाने में, बल्कि जवाबदेही तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

एक अन्य दिलचस्प मामले में नयी दिल्ली के मयूर विहार के श्री रमेश अग्रवाल की सूचना अधिकार आवेदन को देखा जा सकता है, जिसमें पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (MoEF) से 1996 से 2007 की अवधि के बीच निम्नलिखित जानकारियां मांगी गयी थीं :

1. रायगढ़ जिला के टमनार में मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड की 1000 मेगाावाट टीपीपी परियोजना के प्रथम चरण के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस (नं. J.13011/15/93-1A.II(T) दिनांक 24 सितम्बर, 1997) से संबंधित जानकारी।

(i) पत्र संख्या JPL/RTPP/RKS/2.5/204, दिनांक 26 फरवरी, 1996 की प्रति।

(ii) पत्र संख्या JPL/RTPP/RKS/2.5/426, दिनांक 12 जून, 1996 की प्रति।

(iii) पत्र संख्या JPL/RTPP/RKS/2.5/1071, दिनांक 11 फरवरी, 1997 की प्रति।

(iv) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या 2077/TS/EZ/MPPCB/96, दिनांक 7 फरवरी, 1997 की प्रति।

(v) उन पंचायतों के नाम, जिनके अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Cerlificate-NOC) अनिवार्य हैं। परियोजना के प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी NOC की प्रति।

(vi) EIA अधिसूचना, 1994 तथा अप्रैल 1997 में इसके संशोधनों के तहत परियोजना के लिए क्या जन सुनवाई अनिवार्य थी ?

(vii) जन सुनवाई से संबंधित जानकारियां

(a) विवरण (minutes) की प्रति (b) जन सुनवाई का स्थान तथा तिथि (c) जन सुनवाई पैनल के सदस्यों के नाम (d) जनसुनवाई पैनल की राय।

(viii) कानूनी प्रावधानों, जैसे वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल किये बगैर परियोजना पर कार्य प्रांरभ करने के मामले में प्रस्तावक के खिलाफ की गयी दंडात्मक कार्यवाही की जानकारी।

2. रायगढ़ के टमनार में 1000 मेगावाट प्लांट के चरण-1 के लिए दिनांक 24 सितम्बर, 1997 (देखें : पत्र संख्या J.13011/15/93.IA.II(T), दिनांक 24 सितम्बर, 1997) में अनुमोदित पर्यावरण क्लीयरेंस की पुनर्वैधता के संबंध में जानकारी।

(i) मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड द्वारा पुनर्वैधीकरण के लिए सौंपे गये आवेदन एवं इसके संलग्नकों की प्रतियां।

(ii) जिस पर्यावरण क्लीयरेंस की वैधता तिथि समाप्त हो चुकी हो, उसके पुनर्वैधीकरण के लिए क्या प्रक्रियाए है ?

(iii) पुनर्वैधीकरण के लिए संचालित कार्यवाही की प्रति।

(iv) विशेषज्ञ समिति की बैठक के एजेंडा की प्रति, जिसमें पर्यावरण क्लीयरेंस को पुनः मान्यता देने का निर्णय लिया गया था।

3. 1000 मेगावाट ओपी जिंदल थर्मल पॉवर प्लॉट के द्वितीय चरण के लिए अनुमोदित पर्यावरण क्लीयरेंस से संबंधित जानकारियां -

(i) छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा 23 फरवरी, 2006 में जारी NOC की प्रति।

(ii) कुरकट नदी कर रोबो बाँध के निर्माण के लिए मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड द्वारा सौंपी गयी जरूरी क्लीयरेंसों की प्रति। दिनांक 20.04.2006 की विवरणिका (minutes) उल्लिखित रूप से पारा (1) के अनुसार कमिटी द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी के खिलाफ।

(iii) इस शर्त को जोड़ने के पीछे क्या कारण है कि प्रवाह क्षेत्र उपचार योजना (Catchment's Area Treatment Plan) का कार्य अविलंब शुरू किया जाये तथा इसे प्लांट के स्थापित होने के पहले पूरा किया जाये, जैसाकि दिनांक 20.04.2006 में कमिटी द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी के पारा (ix) में उल्लिखित है। कृपया उपरोक्त रेखांकित किये गये शब्दों प्लांट स्थापित होने के पहले (before installation of Plant)" का तात्पर्य स्पष्ट करें।

(iv) उन पंचायतों के नाम, जिनसे NOC लेना विस्तार कार्य के लिए आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा NOC की प्रति सौंपी गयी।

(v) परियोजना (रोबो बांध तथा तमनार प्लांट) के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों की सूची, जिन्हें परियोजना में नौकरी मिली है।

(vi) कमिटी द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी के खिलाफ मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड द्वारा दाखिल निवेदन की प्रति, जैसा कि 20.04.2006 की विवरणिका, पारा (xvii), में वर्णित है।

(vii) दिनांक 9 मई, 2006 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की 32वीं बैठक में विस्तार परियोजना (आइटम संख्या 2.2) पर विवरणिका की प्रति।

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) से की गयी शिकायत में श्री अग्रवाल ने बताया कि MoEF के सेक्शन अधिकारी; (SO) द्वारा 318 रुपये का शुल्क, (देखिए दिनांक 22.08.06 में SO द्वारा भेजा गया संलग्न पत्र) का भुगतान 29.08.06 में कर देने की सूचना देने के बावजूद, आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी। इसलिए, आवेदक ने CIC को भेजी अपनी शिकायत याचिका में निम्नलिखित क्षतिपूर्ति की मांग की :

1. मांगी गयी जानकारी बिना शुल्क के दी जाये।

2. अदा किया गया शुल्क 24% ब्याज दर के साथ वापस किया जाये।

3. सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दंड।

4. आवेदन के साथ सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गयीं, फिर भी मांगी गयी जानकारी की अनुपलब्धता के कारण आर्थिक हानि के साथ मानसिक परेशानी भी हुई, इसलिए शिकायतों के निष्पादन तक मुआवजा न्यायोचित है।

CIC ने सक्रिय रूप से स्वयं पहल करते हुए निर्णय दिया कि मांगी गयी सूचना के लिए शुल्क स्वीकार करने के बाद भी जानकारी न देने का कोई आधार नहीं हो सकता है। यह तथ्य कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) के तहत शुल्क की राशि की सूचना 30 दिनों की समय सीमा के लगभग आखिर में दी गयी, जो वास्तव में सूचना देने की समय सीमा है, अपने आप में MoEF के जन सूचना अधिकारी (PIO) तथा संयुक्त सचिव (cross-cutting issues-II) की नेकनीयती पर शक पैदा करता है।

सामान्यतः, RTI अधिनियम के तहत, आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए प्रक्रिया के लघुपथन (शार्ट–सर्किटिंग) से बचने के लिए ऐसे मामलों में धारा 19 के तहत अपील के करने के बजाय शिकायत द्वारा ही समाधान की मांग की जाती है। यहाँ उचित यही है कि सबसे पहले धारा 19 के प्रावधानों अर्थात् प्रथम अपील का पूरा प्रयोग किया जाय। इसका एक फायदा भी है कि यह जानकारी तक पहुंच को आसान बनाता है, क्योंकि प्रथम अपील जन अधिकारी के दायरे में होता है, जो जानकारी देने के लिए ही नियुक्त हैं, और इस प्रकार सीधी पहुंच बनाता है।

लेकिन, इस मामले में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) ने पाया कि वास्तव में झखज ने जरूरी शुल्क प्राप्त किया था, फिर भी उसने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) के तहत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इसलिए, उसे इस आदेश के पारित होने की तरीख से 10 कार्य दिवस के भीतर मांगी गयी जानकारी देने का निर्देश दिया गया। चूंकि, इसे 30 दिनों के भीतर नहीं दिया गया था, इसलिए उसके एवज में वसूले गये शुल्क को वापस कर, सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 7(6) के तहत मांगी गयी जानकारी मुफ्त में देने का निर्देश जन सूचना अधिकारी (PIO) को दिया गया। CIC ने PIO को यह

भी निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता श्री रमेश अग्रवाल को जानकारी प्रदान करने से दुर्भावनापूर्ण इनकार करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दंडित करने के बारे में MoEF के SO को लिखित या व्यक्तिगत रूप से कारण बताओ सूचना जारी करे।[36]

दिनांक 05.08.06 को श्री पुनीत बी जुनेजा ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एक सूचना अधिकार आवेदन दाखिल कर कुछ प्रश्न पूछे थे।[37] इस आवेदन में एक प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित था। इस सीमा तक आवेदन को PMO के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) द्वारा दिनांक 24.08.2008 को कथित मंत्रालय में अग्रसारित कर दिया गया। प्रश्न इस प्रकार था :

- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 (2005 का 43) के धारा 37 के प्रावधानों के तहत क्या कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हाँ, तो कृपया मुझे उसकी एक प्रति दें। अगर नहीं तो कृपया बतायें कि क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य के प्रति सरकार समर्पित है?

दिनांक 04.09.2006 को उनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) से जवाब मिला, जिसमें कहा गया कि -

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, आपके दिनांक 05.08.2006 के आवेदन के संबंध में उपरोक्त विषय पर एक प्रति PMO के केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत नियमों से संबंधित आपकी पड़ताल के प्रसंग में जानकारी मुहैया कराने के लिए इस मंत्रालय को अग्रसारित की गयी है। इच्छित जानकारी इस प्रकार है:

---

[36] शिकायत संख्या CIC/WB/C/2006/00224 दिनांक 29/9/06 सूचना अधिकार अधिनियम 2005. धारा 18

द्वारा: Chhattisgarh-net@yahoogroups.com

रमेश अग्रवाल द्वारा शनिवार 18 नवम्बर, 2006 को00 :06 बजे प्रेषित

[37] HumJanenge@yahoogroups.co.in से संदर्भ

(i) अधिनियम के तहत नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किये गये हैं। अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत, जिन नियमों को निर्धारित करने हैं, उनमें अन्य बातों के अलावा रक्षा अधिकारी (Protection officer) की सेवा की अर्हता, अनुभव तथा निबंधन एवं शर्तें, सर्विस प्रोवाइडर की अर्हता तथा अनुभव तथा उनका पंजीकरण, विभिन्न फॉर्म आदि को इस मंत्रालय में अंतिम रूप दिये जा रहे हैं।

(ii) सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य यानी परिवार में हिंसा की शिकार महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के प्रति समर्पित है।

इस जवाब में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अवर सचिव के हस्ताक्षर थे।[38]

सूचना अधिकार अधिनियम लागू होने के पहले, सरकारी अधिकारी जानकारी मांगने वाले नागरिकों को अपमानित किया करते थे तथा कभी.कभी धमकी भी दिया करते थे। अपनी अहंकार के कारण, वे बही-खाते का हिसाब-किताब रखने की भी परवाह नहीं करते थे।

सूचना अधिकार अधिनियम ने गैरजवाबदेही की स्थिति को बदल दिया है। आज, यदि एक साधारण ग्रामीण, एक आवेदन के साथ जानकारी मांगने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाता है, तब उसे झिड़की या धमकी नहीं दी जाती है। सूचना अधिकार आवेदन को वापस लेने के लिए किसी व्यक्ति को मनाने में अधिकारी उसके प्रश्नों का उत्तर देने का वादा भी करते हैं। यद्यपि, हर अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि अब वे उस प्रकार से कार्य करना जारी नहीं रख सकते जैसा कि वे पहले किया करते थे। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बिहेंदर प्रखंड के बीडीओ (BDO) ने हाल ही में यह स्वीकार किया कि हाल के दिनों में जब से लोगों ने सूचना की मांग करना शुरू किया है, कार्यालय अद्यतन बही खाता रखने पर मजबूर हुआ है।

[38] (F.No.19-3/2005-ww(pt), August,2006

अध्याय 3

सूचना के अधिकार को लोकप्रिय बनाने में विभिन्न स्तरों पर उठाये गये कदम

गुजरात स्थित एक गैर सरकारी संगठन ष्माहिती अधिकार गुजरात पहलष ने सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करने वाले सभी आवेदकों के लिए मोबाइल फोन (9924085000) सेवा शुरू की है। इसकी विधिवत शुरुआत 12 मई, 2006 में की गयी थी। इस नम्बर को स्थानीय तथा क्षेत्रीय अखबारों में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। दो सप्ताह के भीतर उन्हें 800 से ज्यादा कॉल किये गये। गुजरात राज्य में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग था। उन्हें इस बात पर ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इनमें से 50% कॉल आम नागरिकों, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, आम मजदूरों, फेरीवालों, कुम्हारों, को.आपरेटिव बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं आदि थे। ये लोग किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन समय.समय पर अखबारों में प्रकाशित लेखों एवं खबरों को पढ़कर इन्होंने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया। प्रतिदिन लगभग 80 से लेकर 100 तक कॉल प्राप्त होते थे। पूछे गये प्रश्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, राजस्व से संबंधित मामले, बनाये गये चेक डैम, अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार में जगह आदि विभिन्न विषयों से संबंधित थे।

गांवों के आम आदमियों ने इसका कैसे उपयोग किया है? गुजरात के छह जिलों में से एक सबरकांथा जिले को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (NREGA) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके प्रांतिज ब्लॉक के बालीसाना गाँव में मजदूरों को उनके काम के लिए 3 रुपये से लेकर 7 रुपये तक प्रतिदिन दिया जा रहा था। 'सबर एकता मंच'[42] और 'जनपथ'[43] ने प्रांतिज ब्लॉक में एक तथ्ययखोजी सर्वे किया और पाया कि नरेगा लागू होने के बाद, वर्ष 2006 के

[42] सबरकांठा जिला में दलितों के अधिकार के लिए कार्यरत एक सामुदायिक मंच।

[43] गुजरात में स्वयंसेवी संगठनों का एक नेटवर्क।

फरवरी तथा मार्च में किये गये सभी कार्यों में इसी प्रकार की स्थिति है। सबर एकता मंच के श्री नाटू बारोट ने मस्टर रोल (नामावली) तथा कार्यों का भुगतान पत्र पाने के बारे में 'माहिती अधिकार गुजरात पहल' से मार्गदर्शन के लिए सम्पर्क किया। चूंकि, यह सूचना 'प्रो-एक्टिव डिसक्लोजर' श्रेणी (Pro-active Disclosure Category) में शामिल है, इसलिए उसे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नामावली तथा भुगतान खाता की प्रति मांगने के लिए केवल एक आवेदन देने की सलाह दी गयी। आवेदन दाखिल करने के तुरंत बाद उसने फोटोकॉपी का वास्तविक शुल्क का भुगतान कर इच्छित जानकारी हासिल कर ली। मस्टर रौल के अध्ययन के बाद, यह बात प्रकाश में आयी कि कार्य के परिमाण के आधार पर गणना की गयी राशि को मस्टर रौल के कालम 7 में दर्ज किया गया है तथा जरूरी न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान की जानेवाली राशि को कॉलम 10 में दिखाया गया है। मुद्रित मस्टर रौल में यह स्पष्ट निर्देश लिखा गया था कि कॉलम 7 तथा कॉलम 10 में जो न्यूनतम हो वही राशि भुगतान करना है। प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से इन अनियमितताओं और उल्लंघनों को मीडिया की जानकारी में लाया गया।

मुद्दे को प्रमुखता से उजागर करते हुए 'जनपथ' की सहायता से इस पर एक छोटी-सी वीडियो फिल्म बनाकर मीडिया को दिखाया गया। राज्य सरकार की नरेगा योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त इन खामियों को सरकार के सामने रखा गया। इसने सरकार पर एक बड़ा दबाव पैदा कर दिया।

इसके बाद सभी भुगतान, न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान के अनुसार किये गये। जहां कार्य का परिमाण अधिक था, वहां मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी से अधिक भुगतान करने का दबाव दिया। इस प्रकार, सूचना अधिकार आवेदन के माध्यम से प्राप्त मस्टर रौल (नामावली) की प्रति ने नरेगा के असरदार क्रियान्वयन में एक मुख्य भूमिका अदा की।

'माहिती अधिकार गुजरात पहल', सूचना अधिकार आवेदनों के तहत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोगों को अपने 'माहिती योद्धाओं' के रूप में संबोधित करता है। उनके शब्दों में 'हमें विश्वास है

कि आने वाले दिनों में ये माहिती योद्धा तंत्रों को जवाबदेह बनायेंगे तथा भ्रष्टाचार से लोहा लेंगे!''

हम सभी के लिए यह एक महान सीख है। यह एक उत्साहवर्धक तथ्य है कि पूरे देश में हजारों आम नागरिकों ने अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार को समझना तथा इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है।

बंगलोर में सूचना के अधिकार पर कार्य कर रहे NGOs ने बंगलोर में एक सूचना अधिकार बैंक की शुरुआत की है। इसमें आम जनता के उपयोग के लिए बंगलोर महानगरपालिका (BMP) से एकत्रित प्रिंटआउट रखे गये हैं। कोई भी व्यक्ति 'माहिती हक्कू अध्ययन केन्द्र'[44] (आगे इसके बदले केवल केन्द्र लिखा गया है) में जाकर दस्तावेजों एवं रिकॉर्डो का अध्ययन कर सकता है। वे अपने खर्च पर इन दस्तावेजों की जेरोक्स कॉपी (प्रतिलिपि) भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक महत्व के लगभग 200 दस्तावेज यहाँ पर दर्शाये गये हैं। प्रत्येक दस्तावेज में निम्नलिखित भाग हैं:

(A) सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल आवेदन।

(B) जन सूचना अधिकारी (PIO) से प्राप्त उत्तर।

(C) सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत आयोग समक्ष की गयी शिकायत/ प्रथम अपील।

(D) सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारी से प्राप्त सूचना

(E) कर्नाटक सूचना आयोग (KIC) के आदेश।

यह केन्द्र आवेदन दाखिल करने, KIC से शिकायत करने तथा अपीलीय अधिकारी से प्रथम अपील करने में नागरिकों की सहायता कर रहा है। सूचना के अधिकार के समर्थक, कार्यकर्ता, सुनवाई के दौरान KIC के समक्ष शिकायतकर्ताओं/अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिसम्बर से लेकर अब तक उन्होंने 400 अधिक मामलों को KIC के समक्ष प्रस्तुत किया है।

---

[44] बंगलोर के विजयनगर के एमसी लेआउट, नं. 54, 17वें क्रॉस में स्थित।

इन दस्तावेजों का उपयोग खास तौर से से विधि, प्रबंधन तथा अन्य स्नातकोत्तर छात्र अपने संदर्भ तथा सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अध्ययन के लिए कर रहे हैं। कुछ अधिवक्तागण भी इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अपने संदर्भ के लिए कर रहे हैं। जन सूचना पदाधिकारी भी इस डाटा बैंक का दौरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि केन्द्र ने कुछ लोक प्राधिकारों को RTI अधिनियम की धारा 4(1)(b) के तहत निर्धारित उनके स्वप्रेषित घोषणा के लिए मसौदा तैयार करने में भी सहायता प्रदान की है।

कुछ प्रथम अपीलीय अधिकारी, इन दस्तावेजों का उपयोग अपने प्रथम अपीलों के निष्पादन में संदर्भ के रूप में कर रहे हैं। पत्रकार भी खबरों के लिए इस डाटा बैंक का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार दस्तावेजों का प्रयोग नागरिकों को जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें शिक्षित करने में हो रहा है। यहाँ एकत्रित दस्तावेजों की संख्या करीब 400 है।

सार्वजनिक अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष अभी तक लगभग 40 शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं। केन्द्र के पास उपलब्ध जानकारियों को डिजिटलकृत नहीं किया गया है। वे लोग निकट भविष्य में एक वेबसाइट खोलने की योजना बना रहे हैं।

यद्यपि, वर्तमान में उनकी गतिविधियां बंगलोर शहर में स्थित कुछ चुनिंदा लोक प्राधिकारों तक ही सीमित है, फिर भी, वे कम से कम प्रतिदिन पांच आवेदन बंगलोर के विभिन्न लोक प्राधिकारों में दाखिल कर रहे हैं।[45]

दिनांक 19 नवम्बर, 2006 में 'परिवर्तन' तथा मंजुनाथ शणमुगम ट्रस्ट (MST) ने 'नेषनल राइट टू इंफार्मेषन हेल्पलाइन' की षुरुआत की। इसी उद्देश्य के साथ एक अन्य केन्द्र की भी शुरुआत की गयी है। इसका नया नम्बर (080) 666-00-999 है जो 1 मई, 2007 से कार्यरत है। यह हेल्पलाइन तीन भाषाओं इंगलिश, हिन्दी एवं तमिल में जानकारी प्रस्तुत देता है। यह

सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। इसके एजेंटों को निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षित किया गया है[46]

- सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी देना;
- निर्दष्ट मुद्दों के समाधान में सूचना अधिकार अधिनियम कैसे सहायक हो सकता है, इसका मार्गदर्शन करना
- आवेदन के माध्यम से प्रथम तथा द्वितीय अपील प्रक्रियाओं के लिये कॉल करने वालों को मार्गदर्शन देना
- जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूयना अधिकारियों की सूचना देना।
- पूरे देश के सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं का सम्पर्क पता देना।

---

[45] वर्तमान में, निम्नलिखित कार्यकर्ता केन्द्र से पूर्णरूप से जुड़े हैं अर्थात् फुलटाइमर हैं :
श्री अमरेश, ट्रस्टी, माहिती हक्कू अध्ययन केन्द्र।
श्री विक्रम सिन्हा, ट्रस्टी, माहिती हक्कू अध्ययन केन्द्र।
श्री गोपाल, अध्यक्ष, बंगलोर नागरीकारा वेदिका।
श्री के शिवरमण्णा, सम्पादक, नुडीगन्नडा।
श्री जी विंसेट, अध्यक्ष, केनगेरी रेसीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन।
श्री वेंकटेश भोवी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन।
श्री रवि रेड्डी, अध्यक्ष, नगर नागरीकारा क्रियावेदिका, बंगलौर।
श्री टी रामू, सचिव, विजयनगर रेसीडेंट्स ऐसोसिएशन।
श्री लक्ष्मी नरसिम्हैया, उप सचिव (रिटा.) कर्नाटक सरकार।

[46] 'परिवर्तन', दिल्ली स्थित एक नागरिक आंदोलन है, जो न्यायोचित, पारदर्शी तथा तवाबदेह अभिशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है। इसे जनवरी 2000 में अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया था, जो वर्ष 2006 के मैगसेसे पुरस्कार विजेता तथा आइआइटी, खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं।
मंजूनाथ षणमुगम ट्रस्ट (MST), आइआइएम (IIM) के पूर्व छात्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसकी स्थापना भारतीय जन जीवन में अभिशासन सुधारने के लिए की गयी है। मंजुनाथ षणमुगम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (IOCद्ध में सेल्स ऑफिसर तथा IIM- लखनऊ के पूर्व छात्र थे, जिनकी, 19 नवम्बर, 2005 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हत्या कर दी गयी थी, जब उन्होंने पेट्रोल में मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा था। दिनांक 23 मार्च, 2007 में लखीमपुर खीरी सेशन कोर्ट ने एक पेट्रोल पंप डीलर तथा 7 अन्य सहअपराधियों को दोषी मानते हुए, मुख्य आरोपी को मौत तथा अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। मंजूनाथ की बरसी पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन (The National Helpline) शुरू की गयी थी।
मंजूनाथ षणमुगमके ट्रस्टी, जयशंकर से आप संपर्क कर सकते हैं। सम्पर्क नम्बर है : +9199805-57735
www.manjunathshanmugamtrust.org

अभी तक यह हेल्पलाइन देश भर से 7500 से ज्यादा कॉल्स प्राप्त कर चुका है।

ग्राम सरकार (Grama Sarkara) के रूप में जमीनी स्तर पर एक और पहल की गयी है, जिसने कर्नाटक के स्थानीय ग्राम पंचायतों को और अधिक जवाबदेह बनाया है। कर्नाटक के जिला मंड्या के नगरकेरा ग्राम पंचायत द्वारा प्रकाषित यह एक दीवार पत्रिका (wall-journal) है। पंचायत, इसकी गतिविधियों तथा जनता के बीच एक नेटवर्क स्थापित करने में यह सफल रहा है।

पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं से जनता को परिचित कराने के उद्देश्य से दो पृष्ठों वाले इस दीवार पत्रिका को मई, 2006 में शुरू किया गया था। इसे किसी सरकारी सर्कुलर या कोई अन्य नियम के फलस्वरूप शुरू नहीं किया गया था। अप्रैल 2006 में ना. ली. कृष्णा के पंचायत अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही यह संभव हुआ। पंचायत के मुखिया के तौर पर, उन्होंने तंत्र के अधिकारों तथा इसकी जिम्मेदारियों को तलाशा। मैसूर में स्थापित ग्रामीण विकास संस्थान (Rural Development Institute) के अब्दुल नजीर साहब द्वारा प्रकाशित एक दीवार पत्रिका, 'नम्मा पंचायती' के बारे में कृष्णा को जानकारी थी। उनके शब्दों में, ''विकेन्द्रीकरण के प्रयासों ने ग्राम पंचायत को वृहत्तर शक्तियां दी हैं। इसके साथ, इसने उसके सदस्यों की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया है। इसलिए, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने तथा एक सक्षम प्रशासन देने हेतु हमने कुछ विशेष कदम उठाये हैं।'' उपरोक्त बातें यह दर्शाती हैं कि जनता द्वारा मांगे जाने से पहले, उन्हें जानकारी से परिपूर्ण करने की यदि प्रतिनिधियों में इच्छाशक्ति हो, तो वे सभी को जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

इस दीवार पत्रिका के प्रथम अंक में विभिन्न करों का विस्तृत वर्णन तथा पंचायत द्वारा वसूले गये कर तथा उसके खर्च का ब्यौरा प्रकाशित किया गया था। उसने राशन दुकानों को आवंटित राशन की मात्रा भी मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया था। जबकि अगस्त के अंक में पंचायती प्रशासन की समीक्षा के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम ययजामाबंदीङ्ख के महत्व को दर्शाया गया। अक्टूबर के अंक में विभिन्न प्रस्तावों तथा उनके क्रियान्वयन पर खर्च का ब्यौरा प्रकाशित किया गया था।

ग्रामीण पंचायत प्रशासन की इस पादर्शिता से प्रभावित हैं तथा इस बात को महसूस करते हैं कि दीवार पत्रिका उन लोगों के लिए वरदान है, जो अन्यथा अपने विशेष अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ में होते। उदाहरण के लिए, जनता को इस सुविधा की जानकारी नहीं थी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपये देने के प्रावधान है। जब इस बात की जानकारी 'ग्राम सरकार' के सितम्बर अंक में छपी, तब लोगों ने इस सुविधा का लाभ लेना शुरू किया। अब, उप्पारा दोड्डी गाँव के एक किसान, शिवप्पा को किसी बिचौलिए पर यह जानने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता कि उसको कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितना टैक्स भरना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'ग्राम सरकार' के अंकों ने किसी आयोग के बिना यह काम कर दिया। शिवप्पा के अनुसार इस जवाबदेही ने पंचायत के प्रति ग्रामीणों में अपनत्व का भाव पैदा किया है।

'ग्राम सरकार', कर्नाटक में अपनी तरह का पहला प्रयास है तथा विभिन्न क्षेत्रों से इसे उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के पूर्व राज्य सचिव वी.पी.बालीगर ने अपने पत्र में इस नये प्रयास पर खुशी जाहिर करते हुए आशा व्यक्त की कि अन्य ग्राम पंचायत भी इसका अनुसरण करेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी अन्य ग्राम पंचायतों से इस प्रयास के बारे में बताया है।

कुछ पंचायतों ने इसी प्रकार की पहल के लिए मार्गदर्शन का निवेदन किया हैं। नतीजतन, पंचायत, छापी गयी कुल 1000 प्रतियों में से 70 प्रतियां डाक द्वारा दूसरे पंचायतों को भेज रहा है। बाकी प्रतियों हाथों से वितरित किये जाते हैं तथा सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शित किये जाते हैं। इस पत्रिका के प्रथम अंक को पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी घरों में बांटा गया था, लेकिन अब लोग इसकी मांग करने लगे हैं।[47] इस प्रयास की सराहना करते हुए इसके बारे में अखबार में लिखने वाली पत्रकार अनिता पेलूर ने बिलकुल सही कहा कि ऐसा

[47] इस पर और अधिक जानकारी के लिए ना ली कृष्णा से 9242834721 पर सम्पर्क करें।
 दि राइट टू नो (The Right to know)': अनिता पेंलूर की रिपोर्ट देखें :
http://www.deccanherald.com/deccanherald/dec52006/spectrum18332006124.asp

भी वक्त था, जब लोक कार्य भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है तथा जनता अपने पंचायत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, वैसे समय 'ग्राम सरकार' जैसे प्रयास पारदर्शिता तथा निष्ठा की आशा कायम पैदा करती है।

यह याद रखना जरूरी है कि स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है – स्थानीय आयोजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के अवसर, सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा लागू की गयी योजनाओं में सम्मिलित होने तथा जनता की समस्याओं के प्रभावशाली समाधान एवं उनके पैसों के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ सीधे व्यवहार के लिए हैं। जन सुरक्षा तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए सूचना अधिकार अधिनियम एक मुख्य हथियार है। जब जानकारी से लैस विकल्प जनता को उपलब्ध रहेंगे तथा जनता, राजनीतिक घोषणापत्रों के बजाय, वास्तविक तथ्यों के आधार पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल होगी, तब स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के कार्य अवश्य और अधिक प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण होंगें। यद्यपि, कई राज्य पंचायती राज संस्था अधिनियम, ग्रामसभा को पंचायतों के कार्यो के पर्यवेक्षण तथा जांच की शक्तियाँ तथा अधिकार देते हैं, पर जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामसभा की बैठकों में भागीदारी एवं कोरम का स्तर आज भी काफी कम हैं। ऐसे परिदृश्य में, इस प्रकार की पहल पंचायतों के कार्यो, उनके कर्तव्यों तथा स्थानीय जनता से जुड़े अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करती है।

सूचना अधिकार अधिनियम को लोकप्रिय बनाने के लिए जमीनी स्तर के इन प्रयासों के अलावा, सरकार ने भी विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्तरों पर, इसे लोकप्रिय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

एक नयी तरह की पहल करते हुए छत्तीसगढ़ ने स्कूल के पाठ्यक्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम को शामिल किया है। इस पहल का उद्देश्य कम उम्र में ही लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा बाल्यावस्था में उनमें पारदर्शिता की संस्कृति बढाना है।

राज्य शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council for Educational Research and Training – SCERT) ने आने वाले शैक्षिक सत्र में, कक्षा आठ के लिए प्रस्तावित पुस्तकों में सूचना अधिकार अधिनियम पर एक विस्तृत अध्याय शामिल करने का निर्णय लिया है, जो शायद देश में प्रथम ऐसा प्रयास है। कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान पुस्तक में 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के साथ यह अध्याय, विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाता है कि कैसे इसे किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए इस अधिनियम का प्रयोग किया जा सकता है।

इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी खास सूचना के लिए किसी सरकारी विभाग के पास जा सकता है, उसके लिए कैसे और कितना शुल्क जमा करना है तथा अधिकारियों द्वारा दी गयी जानकारी से यदि व्यक्ति असंतुष्ट है, तो उसके समाधान के क्या उपाय या प्रक्रियाएं हैं। इस अध्याय में एक केस स्टडी का भी जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े गाँव में दिहाड़ी मजदूरों के एक समूह को निर्धारित जरूरी न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था। उन्हीं में से एक मजदूर की भतीजी को सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी मिलती है, तब वह इसके तहत एक याचिका दायर करती है और मजदूरों को उनकी वास्तविक मजदूरी दिलवाने में कामयाब होती है।

SCERT के निदेशक नंद कुमार ने बताया, श्एक प्रयोग के तौर पर इस अध्याय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, लेकिन, इसे सभी ऊंची कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन के छात्रों के पाठ्यक्रम का एक स्थायी हिस्सा बनाना हमारा उद्देश्य है।''[48]

आज जहां गुड़गांव तथा बंगलोर जैसे शहरों में बीपीओ कॉल सेंटरों (BPO call centres) का व्यवसाय धूम मचा रहा है; वहीं एक नया कॉल सेंटर पूरी विनम्रता के साथ क्रांति की राह पर चल पड़ा है– वह भी

---

[48] छत्तीसगढ़ पुट्स ए चैप्टर ऑन आरटीआई एक्ट इन बुक्स, द इंडियन एक्सप्रेस, बृहस्पतिवार, 18 जनवरी, 01.42. AM

ऐसी जगह एवं ऐसे राज्य में, जिसका नाम सूचना प्रौद्योगिकी वाले राज्यों की सूची में आपके जेहन में सबसे आखिर में आता है – पटना, बिहार।

विदेशी व्यवसायों की सहायता करने वाले केन्द्रों से अलग, यह केन्द्र (centre), बिहार के आम नागरिकों की सेवा करेगा। ''जानकारी'', जो इस केन्द्र का सार्थक नाम है, सूचना के अधिकार के आवेदनों को दाखिल करने तथा बिहार के सभी सरकारी विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने में बिहार के ग्रामीण आबादी की सहायता करेगा।

वास्तव में, ग्रामीण आबादी की बड़ी संख्या, सूचना अधिकार अधिनियम की समझ तथा इसके आवेदनों को दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी से आज भी वंचित है तथा सरकार एवं नौकरशाह उन्हें इस बारे में शिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में वे स्वयं ऐसे कदम उठायेंगे, इसकी भी बहुत कम संभावना है।

इन परिस्थितियों में बिहार सरकार ने सूचना अधिकार कॉल सेंटर स्थापित करके एक नये सोच को मूर्त रूप दिया हैं। 'जानकारी' के नाम से परिचित इस केन्द्र में, अन्य कॉल सेंटरों की भांति सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रोफेशनल्स उपलब्ध रहेंगे। ये दो अलग.अलग लाइनों - सूचना लाइन तथा आवेदन लाइन - पर कॉल ग्रहण करेंगे। सूचना के अधिकार पर सामान्य प्रश्न पूछने के लिए जनता 'सूचना लाइन' का उपयोग कर सकती है। यह सुविधा मुफ्त है। आवेदन दाखिल करने के लिए 'आवेदन लाइन' का प्रयोग करने में 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसे आवेदक के टेलीफोन बिल में जोड़ा जाता है। इससे डिमांड ड्राफ्ट बनाने या मनी आर्डर भेजने में लगने वाले समय की बचत होती है।

परिवर्तन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया यह नया कार्यक्रम एकदम अनूठा है। इस सुविधा का उपयोग करने पर आम आदमी को एक लाभ यह है कि व्यक्ति को आवेदन कहां और कैसे करना है, यह जानने की जरूरत नहीं होती; साथ ही यहाँ लेखन कला जानने की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि

'जानकारी' में मौजूद पेसेवरों की मदद से एक निरक्षर व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। इस सोच के मुख्य समर्थकों में से एक, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए सूचना के अधिकार के प्रसार के प्रयासों को अपना लगातार समर्थन देने के वादा भी किया।

आवेदक आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, यदि जन सूचना अधिकारी से सीधे जवाब नहीं पाता है, तो वह प्रथम अपील के लिए फिर से 'जानकारी' से सम्पर्क कर सकता है।

परिवर्तन ने सूचना अधिकार के प्रसार के प्रयासों के लिए सरकार से निरंतर समर्थन की मांग की है तथा सभी जन आंदोलनों से इस विचार को प्रत्येक गांव में प्रसारित करने का निवेदन किया है।[49]

हिमाचल प्रदेश में पंचायत विभाग को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूचना के अधिकार को भी शामिल करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री पी.जे. राणा ने हिमाचल पंचायती राज विभाग को पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में RTI अधिनियम को शामिल करने का निर्देश दिया है।

सूचना अधिकार अधिनियम को ऐतिहासिक घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जानकारी उपलब्ध करके सबसे कमजोर तबके को सशक्त बनाता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के लिए सूचना अधिकार का प्रशिक्षण विशेषरूप से महत्वपूर्ण था।[50]

स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को सक्षम बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे प्रशिक्षण

[49] 11 फरवरी, 2007
http://www.southasian.org/archives/2007/bihar_government_Reads_right_t.html 'बिहार गवर्नमेंट लीड्स राइट टू इन्फार्मेशन'': लेखक, सोमू कुमार भारत में AID स्वयंसेवी हैं तथा सूचना अधिकार के समर्थन में काम कर रहे हैं।

[50] देखें: http://www.newkerala.com/news4.php?action=fullnews&id=57640, 27 नवम्बर, 2007, द्वारा PTI

से, राज्य तथा जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों से सूचना पाने के उनके अधिकारों के प्रति पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के प्रतिनिधियों की जागरूकता बढ़ेगी। बदले में, उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रतिनिधि, जनता की सूचना के अधिकारों के प्रति ज्यादा जवाबदेह और उत्तरदायी बनेंगे। अन्य राज्यों में भी सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण, PRI प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण मॉड्यूल का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।

कोलकाता नगर निगम (KMC) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वह अपने को 'खोलने' की तैयारी कर रहा है। जल्दी ही, शहरवासियों को निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाने का मौका मिलेगा :

- आपके घर के सामने स्थित सड़क को कितनी बार पुनः निर्मित किया गया है?
- KMC ने अपने भवन के नवीकरण पर कितना खर्च किया है ?
- नये नल लगाने के लिए कितना खर्च किया गया है ?
- कितनी निर्माण योजनाएं अनुमोदन का इंतजार कर रही है ?
- शहर के कूड़ा.कचरा से निपटने के लिए KMC का बजट क्या है ?

सबसे भ्रष्ट सार्वजनिक एजेंसियों में से एक माना जाने वाला यह नागरिक निकाय, अब एक वरिष्ठ अधिकार को अपना जन सूचना पदाधिकारी नियुक्त किया है। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप डीएमसी (कार्मिक) पशुपति बासिक को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

नागरिक अधिकारीगण इस बात से सहमत हैं कि बासिक की नियुक्ति एक जन-मित्र सूचना तंत्र की स्थापना की दिशा में पहला बड़ा कदम है। इस सूचना तंत्र के क्रियाशील होने में अभी कुछ समय लगेगा। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यतः 'राजनीतिक कारणों' से ही सूचना अधिकार अधिनियम लागू होने

तथा सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति में विलंब हो रहा है। एक सूत्र के अनुसार, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली कुछ अधिकारी सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति को लंबे समय से बाधित कर रहे हैं, क्योंकि इसे एक शक्तिशाली पद समझा जाता है। लेकिन, कुछ अधिकारियों की राय है कि सूचना अधिकार अधिनियम, नागरिकों को कुछ मूल सूचनायें प्राप्त करने में मदद तो कर सकता है, पर कर घोटाला, क्रय, वापस किये गये चेकों (bounced cheques), भुगतानों में सामांजस्य आदि जैसे जटिल मुद्दे, पर्यावलोकन (scan) से बाहर ही रह जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ज्यादातर मुद्दों के सिलसिले में कहीं कुछ दर्ज नहीं रहता है। यहां तक कि नगरपालिक लेखा समिति के अध्यक्ष द्वारा उठाये गये सवाल भी बेअसर हो चुके हैं। कारण यह था कि यहां कोई अभिलेख (record) उपलब्ध नहीं हैं। मिश्रित प्रतिक्रियाओं के बावजूद, उम्मीद है कि सूचना अधिकार अधिनियम बाबूगिरी को काफी हद तक हिला कर रख देगा।[51]

उपरोक्त उदाहरण थोड़े हैं, पर विरल नहीं। इससे यह सूचित नहीं होता कि सूचना अधिकार अधिनियम ने सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। लड़ाई जारी है तथा इसे हमारे, आपके तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जारी रखना है।

यह कहना जल्दबाजी होगी कि सूचना अधिकार के लिए आंदोलन सफल रहा है तथा केन्द्र एवं राज्य में हमारी सरकारें सूचनाएं देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है। *आज भी मंत्रालय तथा विभाग, सूचना अधिकार के आवेदकों को विशेष फॉरम में आवेदन करने के लिए कहते हैं, जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पूर्णत: अकारण (un-warranted) है। सादे कागज पर भी लिखे आवेदनों को स्वीकार करने के लिए वे कानूनन बाध्य हैं।*

आवेदक को परेशान करने वाला एक और मुद्दा है- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन करते समय शुल्क भुगतान करने का तरीका।

---

[51] ष्इन्फार्मेशन ऑफिसर इन प्लेस, कोलकाता म्यूनिसिपल कार्पोरेशन गेट्स इंटू RTI मोड', इंडियन एक्सप्रेस, सोमवार, फरवरी 12, 02:36 Am देखे : http://in.news.yahoo.com/070211/48/6c03a.html

ज्यादातर मंत्रालय तथा विभाग डिमांड ड्राफ्ट के लिए दबाव डालते हैं। स्पष्टतः, 10 रुपये के शुल्क के लिए भी डिमांड ड्राफ्ट की मांग की जाती है। इसलिए, अंततः एक आवेदन पर 10 रुपये के बजाय 40 रुपये खर्च आता है, अर्थात् शुल्क के 10 रुपये + डिमांड ड्राफ्ट बनाने के 30 रुपये। आवेदन के दौरान नगद राशि स्वीकार करने के बारे में सूचना अधिकार अधिनियम काफी स्पष्ट है। श्री केजरीवाल के अनुसार, वे ड्राफ्ट के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं। नकद भुगतान पूर्णतः कानूनी है तथा उन्हें इसे स्वीकार करना है। श्री

केजरीवाल मुख्य सूचना आयोग के एक सदस्य के अलावा उन चंद लोगों में से एक हैं, जिनके निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप, सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम को पारित किया।

सूचना अधिकार अधिनियम अब हमारा अधिनियम है। जब कोई सरकारी निर्णय, नीति इसके आदेश की भावना के खिलाफ हो तथा जनविरोधी हो, तब हमें इस अधिनियम का प्रयोग सरकार से यह जानने के लिए करना चाहिए कि क्यों और कैसे उन्होंने ये निर्णय लिये।

हम आशा करते हैं कि सूचना के अधिकार तथा पर्यटन से संबंधित मुद्दों पर हमारा यह संवाद और लड़ाई जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए 'इक्वेशंस' (EQUATIONS) को लिखें। हमारा पता है :

इक्वेशंस – इक्विटेबुल टूरिज्म ऑप्शंस
415, 2सी–क्रॉस
4th मेन, ओएमबीआर लेआउट
बनसवाड़ी, बंगलौर – 560043
फोन : + 91–80–25457607/25457659
फैक्सः + 91–80–25457665
ई मेल : info@equitabletourism.org
णीश्र : www.equitabletourism.org

परिशिष्ट : I

पर्यटन की वृद्धि – कुछ चिंताजनक संकेतक

- जहां तक पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों का संबंध है, यह आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय इस पर लगातार निगरानी रखें तथा नयी घुसायी गयी या प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में सूचना मांगें। यह तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि 'स्वच्छ और हरित तथा रोजगार पैदा करने वाली कहकर प्रचारित पर्यटन विकास परियोजनाएं जनता के अधिकारों, उनको आजीविका के संसाधनों की उपलब्धता तथा सामाजिक ताने-बाने पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, और विस्थापन भी करती हैं। पर्यटन ने आदिवासियों, मछुआरा समुदायों तथा अन्य सामान्य जनता को 'इको टूरिज्म', 'बीच टूरिज्म', 'एडवेंचर टूरिज्म' तथा 'वाइल्ड लाइफ टूरिज्म' जैसे विभिन्न लुभावने नामों की आड़ में पर्यटन के विकास के लिए बेदखल करने की भूमिका निभायी है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पर्यटन की गतिविधियों के लिए ज्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह सच नहीं है। पर्यटन तथा मनोरंजन SEZ गोराई-मनोरी में 1000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत करने जा रहा है; दिल्ली के कॉमनवेल्थ खेलों के लिए 250 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। 'डिजनीलैण्ड' बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में 'पर्यटन आर्थिक क्षेत्र' की योजना बनायी है, जो बड़े-बडे भू-खण्ड हड़पने वाली है, यद्यपि आधिकारिक रूप से इस परियोजना का आकार अभी घोषित नहीं किया गया है। कुशीनगर के कास्या में (जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताये थे), बुद्ध की भव्य प्रतिमा का निर्माण करने तथा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए करोड़ों डॉलर की परियोजना बनायी गयी है, जिससे 600 एकड़ की कृषियोग्य भूमि से विस्थापन का खतरा 700 परिवारों पर मंडरा रहा है।[52] इसके अलावा यह मान लेना कि पर्यटन बड़े पैमाने पर विदेशी

[52] देखें: ''द बुद्धा वुड नॉट हैव वांटेड दिस''
http://www.thesouthasian.org/ अगस्त 25th, 2007.

मुद्रा लायेगा और इसके साथ जुड़ी सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, भ्रामक है। क्योंकि, बारीकी से निरीक्षण करने पर खुलासा होता है कि पर्यटन-विकास लोगों का अनैच्छिक विस्थापन, प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र दोहन, सामुदायिक साझा सम्पत्तियों पर अतिक्रमण तथा मजदूरों के शोषण को जन्म देता है। पर्यटन उद्योग स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्वच्छ जल, भूमि, स्थानीय आधारभूत संरचनाओं जैसे संसाधनों का उपयोग एवं दोहन करता है। अतएव, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के पहले स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए। फिर भी, जमीनी अनुभव दर्शाते हैं कि पर्यटन-विकास पूर्णतः ऊपर से नीचे की ओर संचालित प्रक्रिया है, जिसमें संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के द्वारा प्रदत्त स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की शक्तियों, उनके अधिकारों, कार्यो और कर्तव्यों को नजरअंदाज किया जाता हैं या दरकिनार कर दिया जाता है।

- निजीकरण बढ़ता जा रहा है। केन्द्र की यूपीए सरकार तथा ज्यादातर राज्य सरकारें, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमियों से निरपेक्ष, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं के निजीकरण का इस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं, मानो इन सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का यही एक विकल्प बचा हो। भारत के संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के गलियारों में यह मंत्र चल पड़ा है कि निजीकरण ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करेगा और ज्यादा निवेश से बेहतर तथा व्यापक सेवाएं उत्पन्न होंगी। निजीकरण को सभी बीमारियों के लिए रामबाण के रूप में स्थापित किया जा रहा है। निजीकरण को बढ़ावा देने की साजिश के पीछे विश्वबैंकए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा एशियन विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का हाथ है।

- यद्यापि, पर्यटन को अभी एक महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में पहचान नहीं मिली है, फिर भी, पर्यटन के लिए विश्व बैंक से ऋण पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, हाल के दिनों में विकासशील देशों की तरफ से

समर्थन तथा सलाह की मांग के साथ-साथ विश्वबैंक के भीतर पर्यटन पर साहित्य में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई (Hutchins & Mann, 2007)। एक तरफ IBRD और ग्लोबल एन्वायरॉनमेंट फैसीलिटी (GEF) का पर्यटन के साथ जैवविविधता, सांस्कृतिक परिरक्षण तथा परिवहन पर पारस्परिक क्रिया जारी है, वहीं IFC तथा MIGA मुख्यतः विदेशी-मालिकाना वाली पर्यटन परियोजनाओं, विशेषकर ठहरने के स्थानों वाले प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दे रहे हैं। वर्तमान में, विश्वबैंक की तीन सक्रिय परियोजनाएं विशेषरूप से पर्यटन पर केन्द्रित हैं (जोर्डन कल्चरल हेरीटेज टूरिज्म एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मोंटेनिग्रो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और द मोजाम्बिक ट्रांसफ्रंटियर कंजरवेशन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) और इनमें अन्य सैकड़ों परियोजनाएं पर्यटन घटकों के रूप में शामिल हैं। लेकिन, पर्यटन उद्योग में विश्वबैंक के इस पुनः प्रवेश के क्या.क्या संभावित नतीजे हो सकते हैं? क्या बैंक ने अपने पिछले अनुभवों से कोई सबक सीखा है तथा क्या पर्यटन में इसके हस्तक्षेप यह ध्यान में रखकर किये जा रहे हैं कि इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण पर संभावित दुष्प्रभाव क्या होंगे? उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सीधे जुड़े होने से इंकार करने के बावजूद, बैंक समूह का पर्यटन नीतियों एवं मॉडलों पर काफी प्रभाव है। विचारधारा स्तर पर हो या इसे लागू करने की बात हो, बैंक अपने पर्यटन संक्रियाओं में गंभीर रूप से गलत कदम उठाया है।[53]

- केन्द्रीय बजट 2006-2007 में, पर्यटन क्षेत्र के लिए योजना आवंटन 786 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 830 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसमें से 422.5 करोड़ रुपये पर्यटन की आधारभूत संरचना के विकास के लिये था। राष्ट्रीय उच्चपथ विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन वर्ष 2005-2006 में 9,320

53 देखें :

हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ - एन एकाउंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स कंट्रोवर्शियल रोल इन टूरिज्म डेवलपमेंट, ''इक्वेशंस, 2007।

यह भारत में विश्व बैंक समूह पर 'इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्रायब्यूनल' में पर्यटन क्षेत्र समूहों के अभिसाक्ष्यों के लिए एक दस्तावेज है;। 21, 24 सितम्बर, 2007 नयी दिल्ली।

करोड़ रुपये था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2006-2007 में 9,945 करोड़ रुपये किया गया। सरकार ने 1000 किमी. लंबे ष्प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गो (access controlled expressway)' को विकसित करने का निर्णय लिया। ज्यादातर मामलों में योजनाओं के निष्पादन को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया। आधारभूत विकास कार्य, जैसे पूरे देश में सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की वर्तमान नीतियों को देखते हुए, उनकी नीतियों एवं निवेशों की जानकारी हासिल करना नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। मामला तब और चिंताजनक हो जाता है, जब सड़क समेत देश की आधारभूत संरचना की प्रक्रिया पर निजी कंपनियां अत्यधिक हावी हो जा रही हैं। विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विस्तारण की नीतियों को सुकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। वे नीतियों में बदलाव एवं संस्थागत सुधारों की सिफारिश कर रहे हैं, ताकि निजीकरण का रास्ते साफ हों।

- वर्ष 2007-08 के बजट में पर्यटन की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के प्रावधानों को 420 करोड रुपये (2006-07) से बढ़ाकर 520 करोड रुपये प्रस्तावित किया गया है। सड़कों तथा आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में सबसे अधिक निवेश किया गया है। अनुमान है कि 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेलों के लिए और 20,000 होटल कमरों की जरूरत है। इन कमरों की मांग को पूरा करने के लिए 2 स्टार, 3 स्टार तथा 4 स्टार होटलों तथा कम से कम 3,000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों के लिए 5 वर्षो तक आयकर से छूट का प्रस्ताव किया गया है। इस कर छूट को पाने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या इसके आसपास के जिलों, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर, में 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च 2010 के दौरान इनका निर्माण पूरा करके इनका संचालन प्रारंभ करना होगा। इतना ही नहीं, एक खास ढंग और आकार के होटल सह सभागारों में निवेश करने वाले ययवेंचर कैपिटल फंडोंङ्ख को हाल के बजट में सीधे पारित किये जाने की सुविधा दी जायेगी। यह कदम इस क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने जैसा है।

परिशिष्ट : II

सूचना के अधिकार के तहत सूचना के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

यद्यपि सूचना अधिकार आवेदन का तय प्रारूप नहीं है, फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आवेदन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

सेवा में,
जन सूचना पदाधिकारी
(कार्यालय के नाम के साथ पता)

(1) आवेदक का पूरा नाम

(2) पता :

(3) मांगी गयी सूचना का विवरण :

(i) सूचना की विषय वस्तु :

(ii) सूचना किस कालावधि से संबंधित है :

(iii) मांगी गयी सूचना का वर्णन :

(iv) क्या सूचना डाक द्वारा चाहिए या व्यक्तिगत रूप से चाहिए :
(अतिरिक्त शुल्क में वास्तविक डाक खर्च शामिल करना होगा)

(v) यदि डाक द्वारा भेजने का विकल्प दिया गया है:
(साधारण, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

(4) क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (इझङ) श्रेणी का है :
(यदि हाँ तो यहाँ इसके प्रमाण पत्र की एक फोटोप्रति संलग्न करें)।

स्थान :

तारीख : आवेदक का हस्ताक्षर

10 रुपये नगद या पे ऑर्डर द्वारा भुगतान करें। महाराष्ट्र सरकार निकायों के लिए आप आवेदन पत्र पर 10 रुपये का न्यायालय शुल्क स्टांप (court fee stamp), आवेदन शुल्क के रूप में चिपका सकते हैं। केन्द्र सरकार के निकायों के लिए आवेदन शुल्क अदा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भुगतान है।

आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें तथा इसकी एक जेरोक्स प्रति रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखें। इसके बाद, जिस कार्यालय से आप सूचना चाहते हों, वहां इसे भेजें। यदि आप या आपका प्रतिनिधि व्यक्तिगतरूप से इसे सुपुर्द कर रहा हो, तो इसकी जेरॉक्स प्रति पर पावती लें। आप इसे (आवेदन को) कूरियर या पावती के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते हैं। ऐसे तरीकों से आवेदन भेजने पर पावती अपने पास जरूर रखें। कुछ कार्यालय हाथ से सौंपे गये आवेदनों को स्वीकार करने में परेशानी खड़ी करते हैं। ऐसे मामलों में कूरियर या डाक प्रयोग करना उचित होता है। सबसे सुविधाजनक तरीका यह है कि ज्यादातर डाक घरों में उपलब्ध 10 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर भेजें तथा भुगतान करें (Pay to) कॉलम को खाली छोड़ दें।

निर्धारित 30 दिनों के भीतर, निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

1. आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी आपको मिल जायेगी। जनसूचना पदाधिकारी (PIO) आपसे शुल्क भुगतान करने के लिए कह सकता है, जो इस प्रकार निर्धारित है :

(i) ए4 आकार की प्रतियों या टंकित; (typed) सूचना के लिए 2 रुपये प्रति पेज।

(ii) फ्लॉपी या सीडी में जानकारी के लिए 50 रुपये।

(iii) पहले से मूल्य निर्धारित नक्शों, पुस्तकों या दस्तावेजों के लिए निर्धारित शुल्क।

(iv) फाइलों या अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं है तथा इसके बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 रुपये।

(v) डाक खर्च इसमें जोड़ा जायेगा।

PIO द्वारा शुल्क भुगतान के लिए कहे जाने तथा वास्तविक शुल्क भुगतान के बीच का समय, PIO से सूचना के लिए निर्धारित समय सीमा (30 दिन) के अतिरिक्त है।

2. PIO सीमा से बाहर उपबंधों का हवाला देते हुए, मांगी गयी सूचना देने से इंकार कर सकता है :

(i) यदि दिये गये कारण उचित हैं, तब आप सूचना नहीं पा सकते।

(ii) कारण गलत हो सकते हैं या अप्रासंगिक हो सकते हैं।

3. आपको अधूरी या अप्रासंगिक जानकारी (सूचना) दी जा सकती है।

4. आपको कोई भी जवाब नहीं भेजा जा सकता है। धारा 7(2) के तहत, यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो इसे 'जवाब देने से इनकार' माना जायेगा।

उपरोक्त 2(ii), 3 और 4 के मामले में, आपको जनसूचना पदाधिकारी; PIO के खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील करना चाहिए, जो उसी विभाग में च्प्० का वरिष्ठ होता है। यदि च्प्० सूचना देने से इंकार करता है, तब भी उससे अपेक्षा की जाती है, वह आपको अपीलीय अधिकारी के नाम और पता की जानकारी दे। यदि कोई जवाब नहीं प्राप्त होता है या च्प्० अपीलीय अधिकारी का नाम और पते का जिक्र नहीं करता है, तब आप कार्यालय के प्रधान को अपील भेज सकते हैं। यदि च्प्० दुर्भावनाग्रस्त होकर आपको जानकारी देने से इंकार करता है या कोई जवाब ही नहीं देता है, तब ऐसी स्थिति में वह विलंब के लिए विलंब की अवधि तक अर्थात जब तक वह कोई सूचना नहीं देता है, प्रतिदिन 250 रुपये के दंड का भागी होगा। दंड की राशि च्प्० के वेतन से काटी जायेगी। इसके अलावा उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। धारा 20 का दंडात्मक प्रावधान इस अधिनियम की असली ताकत है, जिसके उचित कार्यान्वयन से हमारे अभिशासन में कानून का शासन कायम

होगा। यदि, सूचना 30 दिन के बाद दी जाती है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

- जनसूचना पदाधिकारी (PIO) का पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील करना जरूरी है, या, यदि कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ हो, तब सूचना देने के लिए निर्धारित समय सीमा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील करना जरूरी है।
- अपीलीय अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपील पर कार्यवाही करनी है, या विलंब के लिए कारण देते हुए अतिरिक्त 15 दिनों के समय में अर्थात् कुल 45 दिनों के भीतर विलंब के कारण का जिक्र करते हुए अपील पर निर्णय देना है।
- अपीलीय अधिकारी आपको तथा (PIO) को व्यक्तिगत सुनवाई दे सकता है। लेकिन, आपका उस सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।
- अपीलीय अधिकारी जन सूचना पदाधिकारी (PIO) के विभाग से ही संबंधित होने के बावजूद वह वास्तव में न्यायिक कल्प (quasi Judicial) कार्यवाही को संचालित कर रहा है और उनसे अपील में आपके तर्कों के आधार पर उचित एवं निष्पक्ष आदेश की अपेक्षा की जाती है। उसे किसी निर्णय पर पहुंचने के कारणों का भी जिक्र करना है। अपील के वास्तविक नतीजे इस प्रकार हो सकते हैं :

(a) सूचना देने के लिए (PIO) को निर्देश देने वाला एक आदेश आपको भेजा जा सकता है (युक्तिसंगत अवसर)।

(b) अपील को खारिज करने तथा सूचना देने से इनकार करने का आदेश आपको भेजा जा सकता है।

(c) आपको कोई जवाब प्राप्त नहीं भी हो सकता है। 30/45 दिनों का समय पार हो जाने के बाद, सूचना या कोई जवाब नहीं मिलने पर अपील को नामंजूर माना जाता है।

यदि, आप नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग से द्वितीय अपील कर सकते हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकार की संस्थाओं के लिए अलग.अलग आयोग हैं। PIO को दंडित करने का अधिकार केवल सूचना आयुक्तों के पास है। ऐसी स्थिति आने पर, अधिनियम और उसके नियमों पर एक नजर डालना आपके लिए उपयोगी होगा।

यदि कोई जनसूचना पदाधिकारी (PIO) आपसे नियमों के तहत निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क की मांग करता है, तो आप उसे भुगतान करने से इनकार करें और सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(d) के अंतर्गत इसकी शिकायत सूचना आयुक्त से करें।

सेक्शन अधिकारी की सलाह पर शिकायत को एक नंबर के साथ संबंधित सेक्शन को भेज दिया जायेगा। यदि आप एक सप्ताह बाद (कभी.कभी एक सप्ताह लग सकता है, अन्यथा अगले दिन) ययतपालङ्क सेक्शन से सम्पर्क करेंगे, तो आपको नंबर और संबंधित सेक्शन को शिकायत अग्रसारित करने की तारीख मिल जायेगी। तत्पश्चात संबंधित सेक्शन से सम्पर्क करने पर आवेदन (शिकायत) की प्रास्थिति (status) की जानकारी मिलेगी।

यह याद रखना जरूरी है कि पावती न केवल सूचना अधिकार आवेदनों के लिए अनिवार्य है, बल्कि अन्य पत्रों के लिए भी उतनी ही अनिवार्य है। पत्रों को हमेशा ययतपाल सेक्शन में जमा करें, वहाँ आपको पावती (acknowledgement) जरूर मिलेगी। संबंधित अधिकारियों को सीधे शिकायत सौंपना उचित नहीं है। उनके पास पावती देने के लिए मुहर नहीं होते हैं।

परिशिष्ट : III

सूचनाएँ, जिन्हें इंकार किया जा सकता है

यहाँ कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर जानकारी देने से इंकार किया जा सकता है। इन्हें सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 तथा 9 में निर्दिष्ट किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम से उद्धृत ये इस प्रकार हैं :

धारा 8

(1) इस अधिनियम शामिल किसी विषय के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(a) जो सूचना या प्रकटीकरण देश की संप्रभुता तथा अखंडता, सुरक्षा, राज्य के रणनैतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों या जिससे अपराध उद्दीप्त हो।

(b) वैसी सूचनाएं, जिन्हें किसी न्यायालय या ट्रायब्यूनल द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट मनाही की गयी हो या जिनके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना होती हो।

(c) सूचनाएं, जिनके प्रकटीकरण से संसद तथा राज्य की विधायिकाओं के विशेषाधिकार का हनन होगा।

(d) व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापार रहस्य या बौद्धिक सम्पत्तियों की जानकारियाँ, जिनके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का नुकसान होगा, जबतक सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि बृहत जनहित के लिए ऐसी सूचनाओं का प्रकटीकरण जरूरी है।

(e) किसी व्यक्ति को अपने न्यासीय संबंध में उपलब्ध जानकारी; जबतक सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि बृहत जनहित ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण की मांग करता है।

(f) विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय जानकारी।

(g) वैसी जानकारियाँ, जिनके खुलासे से किसी व्यक्ति के जीवनया शारीरिक सुरक्षा खतरे में पडेगी या यह सूचना के स्रोत या कानून लागू करने या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में लेकर दी गयी सूचना के स्रोत या सहायता का प्रकटीकरण होगा।

(h) ऐसी जानकारियाँ, जो जाँच की प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन में बाधा उत्पन्न करेंगी।

(i) मंत्रिपरिषद, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख समेत कैबिनेट के दस्तावेज,

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद् के निर्णयों, उनके कारणों तथा सामग्रियों को, जिनके आधार पर निर्णय लिए गये थे, के निर्णय के बाद सार्वजनिक किया जाना है तथा मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है;

बशर्ते कि इस धारा में अपवादों के तहत निर्दिष्ट बातें सार्वजनिक नहीं की जायेंगी;

(j) व्यक्तिगत सूचनाएं, जिनका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति के एकांतता (प्राइवेसी) में अकारण अतिक्रमण हो, जबतक न कि इनकी सूचना तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक न कि केंद्रीय जन सूचना पदाधिकारी या राज्य जन सूचना पदाधिकारी या अपीलीय अधिकारी, यथास्थिति, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि बृहत जनहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न्यायसंगत है;

बशर्ते कि जो सूचनाएं संसद या एक राज्य की विधायिका को देने से रोकी नहीं जा सकती हैं, उन्हें किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जायेगा।

(2) ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 या उप.धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी अपवाद के होते हुए भी, कोई सरकारी अधिकारी सूचना को उस स्थिति में उपलब्ध कर सकता है जब संरक्षित हितों को नुकसान की अपेक्षा जनहित ज्यादा महत्वपूर्ण हो।

(3) उप.धारा (1) के उपबंध ;द्धए ;बद्ध तथा ;पद्ध के प्रावधानों के अधीन, धारा 6 के तहत मांगी गयी सूचना से संबंधित कोई घटना या मामला सूचना आवेदन की तारीख से बीस वर्ष पूर्व की हो तो इस सेक्शन के तहत आग्रह करने पर किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है :

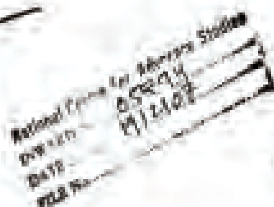
बशर्ते कि जिस तारीख से बीस वर्ष की गणना की गयी हो, उस तारीख के संबंध में कोई भी सवाल उठने पर, केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा जो इस अधिनियम के लिए की गयी सामान्य अपीलों के अधीन होगा।

धारा 9

धारा 8 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी, यथास्थिति, वैसी जानकारी के लिए किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं, जिसे देने से अन्य राज्य के किसी व्यक्ति के कॉपीराइट के उल्लंघन होता हो।

परिशिष्ट : IV

InformationgivenbyMinistryofCommerce& IndustryonSEZ



F. No. R-22(1)/2007-RTI
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce

To,

New Delhi, the 14[th] February, 2007

Ms Madhumanti,
Research Associate,
NCAS, Serenity Complex,
Ramnagar Colony, Pashan,
Pune 21, Maharastra.

Madam,

Please refer to your appeal dated 11/1/2007 addressed to the Appellate Authority, Right to Information Act in this Department. The Appellate Committee has considered your application in its meeting dated 13.2.2007 and passed an order in the matter. A copy of the above order is enclosed.

As per Section 19(3) of Right to Information Act, 2005, you may file an appeal to Central Information Commission, New Delhi within 90 days of the issue of this order.

Yours faithfully

(V Ashok)
Alternate Coordinating CPIO for Appellate Authority
Tel: 23061024

Copy along with copy of the order to:

1. Shri A.G Mukim, Joint Secretary, DOC.
2. Shri Dinesh Sharma, Joint Secretary, DOC.
3. Shri Yogendra Garg, Director, DOC for compliance with the order.
4. Sr. PPS to SS(GLF).
5. PS to SS&FA

APPELLATE COMMITTEE
DEPARTMENT OF COMMERCE

(Right To Information Act - Section 19)

Name of the Appellant: Ms Madhumanti

Name of CPIO : Shri Yogendra Garg, Director

Composition of Appellate Committee:

(i)	Dr. Christy Fernandez, Special Secretary	-	Chairman
(ii)	Shri A.G.Mukim, Joint Secretary	-	Member and Officer senior to CPIO
(iii)	Shri Dinesh Sharma , Joint Secretary	-	Member and Joint Secretary (RTI)
(iv)	Dr. A.R.Goyal, Deputy Secretary	-	Member Secretary and Coordinating CPIO

Order

1. **Information sought by applicant:** Information on SEZ proposals

2. **Decision of CPIO:** The applicant has sought information on SEZ proposals like POSCO, Tata Steel, IDCO, Jindal, Reliance etc. from CPIO. The CPIO through his letter dated 12th December, 2006 has rejected u/s 8(1)(d) and 9 of the RTI Act.

3. **Grounds of Appeal:**

a. SEZ projects have large public impact as they have either started with land acquisition, or issued notices or are in the process of conducting ground level surveys etc and by doing so, impacting large number of people directly and indirectly.

b. Thus these SEZ projects are likely to violate, or have already violated the economic, social and cultural rights of local communities and threaten their right to life and livelihoods; hence information about them cannot be kept in the private domain.

c. Therefore for upholding public interests, proactive disclosure should have been followed by the state and central government, which has not happened. Any further failure to disclose this information at this retroactive level violated the public interest. Since very basic level of information is available regarding the projects and the nature of the projects remain unknown, this kind of secrecy and lack of transparency is leading to potentially explosive situations in various parts of the country.

d. Project proposals do not constitute as trade secrets, therefore there is no question of infringement of copyrights when such information is provided. Also project proposals cannot be treated as commercially classified information in the light of the fact that decisions regarding them have already been taken by the government and disclosure of such information will not harm the competitive position of the third party.

e. The appellant's work as a researcher for promoting human rights and governance transparency does not involve any commercial activities. Thus she does not have any commercial interest or trade interest either in the project proposals, or she or her organization is in any competitive position with respect to the third party which may undermine their competitiveness.

f. Therefore the information sought clearly falls in the preview of the disclosure within the RTI Act 2005 and cannot be denied on any grounds to the public.

4. **Appeal Details:** Same as above

5. **Decision:** The Appellate Committee considered the appeal of the appellant and directed the CPIO to provide the copies of project proposals submitted by the promoters if it does not violate any confidentiality clause.

6. Vide Section 19(3) of the RTI Act a second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within 90 days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission.

A.R. Emil.

Member Secretary and Coordinating CPIO
Department of Commerce
Dated 14.2.2007

परिशिष्ट : V

By Speed Post

Government of India
Ministry of Environment and Forests
IA Division

Paryavaran Bhawan, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi- 110 003

Date: 20th September 2007

File No. J-11012/31/2007-IA-II (I)

To,

Ms Kanchi Kohli
134, Tower 10
Supreme Enclave
Mayur Vihar-I
Delhi- 110 091

Subject: **Information sought under RTI Act regarding Authorization/Rules/ Guidelines to be followed when a Public Hearing is postponed and EIA Consultant acknowledges his faults in the report by Ms. Kanchi Kohli, Delhi.**

Madam,

This is with reference to your application no. Nil dated 17.08.2007 under the RTI seeking information regarding Authorization/Rules/Guidelines to be followed when a Public Hearing is postponed and EIA Consultant acknowledges his faults in the report.

2. I am directed to inform you that there are no guidelines for such cases.

(Sanchita Jindal)
Additional Director

परिशिष्ट : VI

सूचना अधिकार पर महत्वपूर्ण हालिया सूचनाओं के उद्धरण

सूचना के अधिकार पर गठित राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य। [54]

सूचना अधिकार अधिनियम पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्यों को सूचना अधिकार अधिनियम में सुझाये गये संशोधनों की समीक्षा तथा अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न राज्य सूचना आयोगों के सुझावों में समन्वय का काम सौंपा गया है।

समिति के सदस्यों में पंजाब राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) राजन कश्यप, हरियाणा के SCIC जीण्माधवन, कर्नाटक के SCIC के. के. मिश्रा, महाराष्ट्र के SCIC सुरेश वी जोशी, नगालैण्ड के SCIC तालितेमजेन आओ, उत्तराखण्ड के SCIC आर एस तोलिया, छत्तीसगढ़ के SCIC विजयावर्गीया, बिहार के SCIC एस एस सिंह तथा केन्द्रीय सूचना आयुक्त एम एम अंसारी शामिल हैं।

समिति के सदस्यों के अनुसार, सूचना अधिकार अधिनियम के प्रभावशाली क्रियान्वयन की राह में सबसे बड़े अवरोध हैं: आम लोगों के साथ.साथ अधिकारियों में भी पर्याप्त जागरूकता का अभाव; सार्वजनिक अधिकारियों की मनोवृत्ति, जिसने हमेशा उन्हें अपने कार्यो के बारे में बताने से रोका है; और सरकार कार्य पद्धति में पारदर्शिता का अभाव।

समिति द्वारा छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे जाने की अपेक्षा है।

समिति के सदस्यों ने कहा कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद सूचना अधिकार अधिनियम आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

---

[54] 'हम जानेंगेङ्ख के एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता श्री विशाल कुदचारकर द्वारा भेजी गयी खबर

मुख्य सूचना आयुक्त कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) की प्रासंगिकता अब सीमित हो गयी है, अगर OSA तथा RTI के बीच सीधे भिडंत हो तो सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) अभिभावी होगा।[55]

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC), वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा है कि उनका अनुमान है कि सरकार 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) की समीक्षा करने जा रही है। उन्होंने कहाः ''मैं इस बात पर स्पष्ट हूं कि जब भी OSA तथा RTI के बीच सीधा संघर्ष होगा, तब RTI ही अभिभावी होगा । OSA का प्रयोग इस तरह नहीं किया जा सकता कि वह ठढख के प्रावधानों के साथ असंगत हो।''

उन्होंने कहा, ''OSA एक औपनिवेशिक कानून है जो जनता से सरकार की रक्षा करती है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार है। इससे पूर्व, सरकार के पास मौजूद सूचनाओं की अभिरक्षा के मामले में ै। दिशानिदेशक सिद्धांत का काम करता था। अब सरकार के पास मौजूद जानकारी की अभिरक्षा सूचना अधिकार अधिनियम को सौंप दी गयी है।

श्री हबीबुल्लाह के अनुसार, ''गुप्त'' निशान (इस प्रकार उसे OSA के अंतर्गत लाकर) वाली सूचना या दस्तावेजों को देने के प्रश्न पर भी सक्षम प्राधिकार या सूचना अधिकारी ब्यौरा देने के मसले पर अपने वैवेकिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि, उदाहरण के लिए, यह RTI की धारा 8(j) के संबंध में प्रासंगिक है, जहाँ कोई केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मांगी गयी व्यक्तिगत जानकारियों को भी सार्वजनिक कर सकते हैं बशर्ते कि ययङ्कसूचना के प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित का महत्व में रक्षित हितों को नुकसान की अपेक्षा ज्यादा है।

RTI अधिनियम की धारा 8(d) तथा (e) के प्रावधानों के अनुसार, यदि सूचना अधिकार के लिए अनुरोध व्यावसायिक सूचना या सूचना किसी व्यक्ति के

[55] यह संदेश श्री राहुल मानगांवकर द्वारा ययहमजानेंगेङ्क में भेजी गयी थी।

http://www.indianexpress.com/story/228511.html, रितू सरीन द्वारा ऑनलाईन लेख : सोमवार, 15 अक्टूबर, 2007, 00000 घंटा।

न्यासीय संबंध में उससे जुड़ी है तो सक्षम प्राधिकार अगर इस बात से कायल है कि इससे एक ''बृहत्तर जनहित'' पूरा होगा, तब वह उसे दे सकता है। हबीबुल्लाह ने कहा कि यह 'सक्षम प्राधिकार' कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, जिसके नियंत्रण में RTI का प्रशासनिक पर्यवेक्षण है। यहाँ तक कि सामान्यत: OSA प्रावधानों के तहत लिये जाने वाले गुप्त या गोपनीय का निशान लगे वैसे दस्तावेजों को भी सार्वजनिक किया जा सकता है, क्योंकि RTI अधिनियम में 'स्वविवेक प्रावधान' भी है।

उन्होंने कहा, ''यदि ये अनुरोध ठुकरा दिये जाते हैं, तो आवेदक CIC से अपील कर सकता है तथा इसमें निहित जनहित का तर्क प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए ऐसे RTI प्रावधानों के समक्ष, OSA की प्रासंगिकता बहुत सीमीत हो गयी है।''

इस तथ्य के आलोक में श्री हबीबुल्लाह की टिप्पणियाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने OSA को रद्द करने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

न्यायपालिका कानून से ऊपर नहीं है[56]

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) वाइ के सभरवाल के खिलाफ लगाये गये कुछ आरोपों के साथ एक बार फिर न्यायिक जवाबदेही और न्यायपालिका को सूचना अधिकार के कानून के दायरे में लाने का मुद्दे सामने आये हैं। 21 सितम्बर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ खबर लिखने के मामले में तीन ययमिड डेङ्ग पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा किया।

कान बंद कर लेना बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायधीशों की नियुक्तिओं के मामले से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) द्वारा कानून मंत्रालय को दिये निर्देश को स्थगित

56 विशाल कुदचारकर द्वारा 'हमजानेंगे' में भेजी गयी खबर। देखें : http://timesofindia.indiatimes.com/Editorial/Not_above_the_law/articleshow/2395915.cms

कर दिया। खूद के लिए सूचना के अधिकार के कानून के प्रयोग को अवरुद्ध करके न्यायपालिका अपना कोई भला नहीं कर रहा है।

उच्चतम न्यायालय (SC) ने सरकार से कहा कि वह सूचना अधिकार अधिनियम में संशोधन करके उसे एक स्वायत्त निकाय, मुख्य सूचना आयुक्त के दायरे से बाहर निकाल दे और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कोई भी सूचना देने पर रोक लगाने की शक्ति दे। फिर भी, कई मौकों पर उच्चतम न्यायालय ने सूचना अधिकार अधिनियम की प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण के मामले में उसने प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा निर्देश वाली ययनीली किताबङ्ग (blue book) पर सरकार के विशेषाधिकार के दावे को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अपनी नियुक्तियों तथा तबादलों के संबंध में केन्द्रीय कानून मंत्रालय एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच हुए पत्राचार को प्रकट करने की मांग इस आधार पर कर रहे थे कि सरकार एक संवैधानिक कार्य कर रही है और, यह एक लोक हित का मामला हैं कि क्यों किसी खास न्यायाधीश को हटाया गया या उसकी सेवा जारी रखने दिया। न्यायालय ने यह कहते हुए एक बार फिर पत्राचार पर सरकार के विशेषाधिकार के दावे को खारिज कर दिया : ''जहां किसी समाज ने लोकतंत्र को अपनी आस्था के रूप में स्वीकृत किया है, वहां यह एक बुनियादी बात है कि सरकार के कार्यो की जानकारी नागरिकों को हो। यह सच ही कहा गया है कि एक खुली सरकार स्वच्छ सरकार होती है और राजनीतिक एवं प्रशासनिक भटकाव एवं अक्षमता के खिलाफ एक शक्तिशाली बचाव है''।

न्यायाधीशों ने सूचना के अधिकार का अवलंब तब लिया जब उन्होंने देखा कि उनका खुद का हित खतरे में है। लेकिन, इसी अधिकार का अवलंब तब क्यों नहीं लेना चाहिए, जब जनता न्यायपालिका से सूचना या जवाबदेही की मांग करती है? न्यायाधीश आमतौर पर यह दलील देते हैं कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पारदर्शी है, क्योंकि न्यायिक कार्यवाही खुले न्यायालय में होती है और प्रत्येक फैसला एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है, जो आलोचना के अधीन है।

लेकिन, वर्ष 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद, अन्य पदाधिकारियों के निर्णय भी पहले की अपेक्षा और ज्यादा संवीक्षा/जांच के दायरे में आये हैं।

न्यायपालिका की प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

ज्यादातर उच्च न्यायालयों ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपेक्षित रूप से जन सूचना पदाधिकारियों (PIOs) की नियुक्ति भी नहीं की है। जिन्होंने PIOs नियुक्त किये भी हैं, उन्होंने अपने अलग नियम बना लिये हैं, जो स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा वर्ग III एवं IV के कर्मचारियों की नियुक्तियों में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं पर खर्च संबंधी मामलों की सूचना सार्वजनिक करने पर निषेध लगाता है।

यह अधिनियम के उल्लंघन के समान ही है, क्योंकि प्रकटीकरण से छूट की अनुमति सिर्फ धारा 8 के तहत खास आधारों दी गयी है। उच्च न्यायालय के नियमों ने मनमाने तरीके से आवेदन के 10 रुपये के नाममात्र के शुल्क को बढाकर 500 रुपये का दिया है। दूसरी तरफ, जानकारी न देने पर दंड को 25000 से घटाकर महज 500 रुपये कर दिया गया है, जो शायद ही, एक डरावे के रूप में कारगर हो सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह समझना चाहिए कि एक बार दिये गये अधिकार वापस नहीं लिये जा सकतें हैं। कुल मिलाकर, चाहे न्यायाधीश सभरवाल विवाद हो या न्यायपालिका की व्यापक कार्यप्रणाली, बृहत्तर पारदर्शिता की आवश्यकता है।

न्यायिक निकाय सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन हो सकते हैं[57]

केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) कार्यालय एक ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी कर रहा है, जो न्यायिक तथा अर्ध.न्यायिक निकायों पर सूचना के अधिकार की प्रयोज्यता (applicability) के विस्तार को परिभाषित कर सकती है।

यह आयकर अपीलीय ट्रायब्यूनल (ITAT), दिल्ली, से जुड़े एक मामला है जहां कोई निर्दिष्ट जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। देश के मुख्य सूचना

[57] 'न्यायिक निकाय RTI के अधीन आ सकते हैं (Judicial bodies may come under RTI),' 4th सितम्बर, 2007,0233 hrs IST, शिशिर आर्या, TNN, http://timesofindia.indiatimes.com/Nagpur/Judicial_bodies_may_come_under_RTI/articleshow/2335970.cms लेखक से shishir.arya@timesgroup.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। यह संदेश श्री राहुल मानगांवकर द्वारा 'हम जानेंगे' में भेजा गया था।

आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने बताया कि इस व्यवस्था के एक-दो दिनों में आने की अपेक्षा है।

अन्य योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जन सुनवाइयां आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित पक्षकारों को दूरस्थ स्थानों से दिल्ली आने की जरूरत के कारण यह नयी व्यवस्था काफी लोकप्रिय हो रही है। ऐसी सुनवाई ऐसे किसी भी शहर में आयोजित की जा सकती है, जहां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (National Informatics Centre) है। हालिया दिनों में, 90 मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये सुनवाई की गयी है।

हबीबुल्लाह ने आगे बताया कि कैबिनेट कमिटी, ठढख अधिनियम के तहत खास सरकारी विभागों को दी गयी छूटों पर पुनर्विचार कर रही है, जिनके संबंध में यह महसूस कि गया है कि उन्हें छूट नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में यह मामला पिछले करीब छह महीने से लंबित है।

सूचना का अधिकार मांगना आसान है, पाना कठिन[58] :

सूचना के अधिकार को बोलने और अभिव्यक्त करने के संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसमें सूचना पाने या एकत्रित करने तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के अधिकार शामिल हैं।

विवेचनात्मक मूल्यांकन

सूचना अधिकार अधिनियम की शक्ति निम्नलिखित पांच मानदंडों पर आँकी गयी है :

1 – अधिनियम का प्रयोग:

अधिनियम के तहत, सूचना का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है, यद्यपि ज्यादातर देशों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

[58] 'राइट टू इन्फार्मेशन : ईजी टू सीक, हार्ड टू सेक्योर' : लेखक नेहा सातव, शुक्रवार 27 जुलाई, 2007. http://www.dnaindia.com/report.asp?newsID=1112045

सूचना केवल किसी सार्वजनिक प्राधिकार से ही पायी जा सकती है। अधिनियम निर्दिष्ट रूप से की सीमा से निजी प्राधिकारों को बाहर रखा गया है। निजीकरण के इस युग में, निजी सूचनाओं का उपलब्ध न होना अवांछनीय है।

2. **अभिगम्य सूचनाएं (Accessible Information)**: शुरुआती चरण में, फाइल नोटिंग (फाइल टिप्पणी) को ''सूचना एवं अभिलेख'' (record) की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया था। इस पर काफी आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं के दबाव में सरकार ने इसमें नाममात्र का परिवर्तन करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नियमों में कुछ खास बदलाव किये।

   यह निर्णय लिया गया कि अभिज्ञेय (identifiable) व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह, संगठनों तथा विभागीय कार्यवाहियों एवं जांच से संबंधित नियुक्ति के मामलों के ययफाइल नोटिंगङ्क की जानकारी नहीं दी जायेगी।

3. **विच्छेदनीयता** : सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 10, सूचना के आग्रह को, धारा 8 तथा 9 में वर्णित छूटों की सख्ती से बचने की राहत देता है। यह प्रावधान बहुत अच्छा है तथा सर्वत्र इसका अनुसरण होता है। फिर भी, यहाँ दो बदलाव सुझाये गये हैं - (a) विच्छेद करने के निर्णय को भी अपील के अधीन करना चाहिए तथा (b) विच्छेनीय हिस्सों को काला करके (छुपाकर) दस्तावेज की मूल प्रति उपलब्ध करानी चाहिए।

स्वप्रेरित प्रकटीकरण : स्वप्रेरित प्रकटीकरण, सूचना अधिकार अधिनियम का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है; सरकारीं अधिकारियों को अपने निर्णयों के कारणों का उल्लेख करना, प्रकाशित करना तथा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचित करना है, और साथ ही, परियोजना शुरू होने से पहले प्रासंगिक जानकारी देनी है।

कानून को प्रकाशन करने और प्रकाशनीय सूचना की मुख्य श्रेणियों को निर्धारित करने की सामान्य बाध्यता स्थापित करनी चाहिए।

छूट : अधिनियम की धारा 8 तथा 9 मिलकर छूट के 11 आधार बताते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा पर खतरा, न्यायालय द्वारा व्यक्त रूप से प्रतिबंधित विषय का प्रकटीकरण, व्यक्तिगत सूचना, न्यासीय संबंध में स्थित जानकारी आदि।

लेकिन, धारा 8;कद्ध में निर्दिष्ट व्यावसायिक रहस्यों से संबंधित प्रावधान अहानिकर प्रतीत होते हैं। साथ ही, यदि कैबिनेट के कागजात जन हित के साथ समझौता करते हों तो उन्हें सूचना देने से छूट की जरूरत नहीं है।

छूट के दायरे में आने वाले संगठन : धारा 24, सरकार को वैसे संगठनों की एक सूची जोड़ने की शक्ति प्रदान करती है, जिन पर सूचना अधिकार अधिनियम लागू नहीं होगा। इस धारा के तहत दी गयी शक्ति व्यापक एवं अनावश्यक है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि इसका कोई तर्काधार नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से इस सूची में पुलिस बल भी शामिल है।

अधिभावी प्रावधान (overriding provision) : इस प्रकार का एक अधिभावी प्रावधान बनाना जरूरी है कि किसी भी सूचना को, जिसे संसद या राज्य विधायिकाओं को देने या वहां पेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी नागरिक के लिए भी इनकार नहीं करना होगा।

अधिनियम में इसी प्रकार का एक प्रावधान है, लेकिन, यह केवल एक शर्त के रूप में है, जिससे इसका प्रयोग जनहित की व्यक्तिगत सूचना तक ही सीमित है। इस प्रावधान का अन्य सभी छूटों पर एक अधिभावी प्रभाव होना चाहिए।

4. संस्थाएं एवं निर्णायी प्राधिकार :

अधिनियम के क्रियान्वयन के प्रति समर्पित एक सूचना आयोग का गठन, सूचना अधिकार अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अधिनियम, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक मुख्य सूचना आयुक्त पर भी विचार करता है।

जन सूचना अधिकारी : अधिनियम की एक अन्य अच्छी विशेषता यह है कि यह कार्यपालिका को सूचना की स्वतंत्रता को लागू करने की व्यवस्था करता

है। यह लोक प्राधिकार को वैसे जन सूचना अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है, जो सूचना के लिए किये गये अनुरोधों पर कार्रवाई करते हैं।

लेकिन, धारा 5 इसका जिक्र नहीं करता है कि सूचना पदाधिकारी को प्रशासनिक सीढ़ी के किस स्तर पर नियुक्त करना चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या एक जन सूचना पदाधिकारी जानकारी देने या रोकने का एकतरफा निर्णय ले सकता है, या क्या यहाँ कोई आंतरिक प्रणाली होगी।

याय निर्णय का अधिकार : इस अधिनियम की एक गंभीर कमजोरी यह है कि इसमें किसी स्वतंत्र प्राधिकार के समक्ष अपील का प्रावधान नहीं है।

दोनों अपीलें सरकार से ही की जानी हैं। अधिनियम की धारा 23 भी इस अधिनियम के तहत पारित आदेशों के खिलाफ क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रकार, सरकार द्वारा अपील में पारित आदेशों के खिलाफ एक मात्र प्रतिकार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में याचिका ही है, जो ज्यादातर नागरिकों के लिए व्यावहारिक नहीं है।

5. दंड :

अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि, कुछ रक्षोपायों के अधीन, सूचनाओं की उपलब्धता जनहित में है। अधिनियम प्रावधान करता है कि सूचना नहीं देने से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जायेगा।

निष्कर्ष :

इस अधिनियम के पारित होने से, संसद ने एक महत्वपूर्ण अधिकार को मान्यता दी है। लेकिन, नागरिकों को सूचना के अधिकार को हासिल करने तथा सरकार एवं इसकी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए इस अधिनियम को एक प्रभावशाली साधन में बदलने के लिए अभी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। जनता को सूचना देने का कर्तव्य पूरा करने के लिए देश के विधायकों तथा नौकरशाहों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिनके लिए शासन व्यवस्था में गोपनीयता एक प्रमुख विरासत है।

ग्रामीण क्षेत्रों फैलता सूचना अधिकार अधिनियम[59]

शहरों में अपनी सफलता की कई गाथाएं लिखने बाद, अक्टूबर, 2007 में दो वर्ष पूरा करने वाला सूचना अधिकार अधिनियम, अब गांवों में पहुंच रहा है, और ग्रामीण अपनी शिकायतों के समाधान के लिए इसके प्रावधानों का उपयोग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के सिद्धाकान्हा जाट केशव गांव इसका एक उदाहरण है। गांव के पांच जागरूक ग्रामीणों ने सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करते हुए जिला प्रशासन से गाँव की सड़कों तथा नालियों की स्थिति पर प्रश्न पूछे। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि 'इंदिरा आवास योजना' के तहत वहां कोई आवंटन क्यों नहीं हुआ है।

प्रशासन ने इस पर तुरंत कार्रवायी की और गांव में सड़कों और नालियों का निर्माण शुरू किया। तब से, 32 ग्रामीणों को ययइंदिरा आवास योजनाङ्क के तहत घर आवंटित किये गये। प्रशासन ने गांव की दीवारों पर एक सूची प्रदर्शित की, जिसमें इस योजना के तहत आवंटन के पात्र लोगों के नाम अंकित थे।

सूचना अधिकार आंदोलनकारी तथा मैगसेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 'सूचना के अधिकार का उपयोग ग्रामीणों के सशक्तीकरण का एक मार्ग है, ''यह ग्रामीण भारत के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। सूचना अधिकार ने ग्रामीण समाज के जीवन में रूपान्तरण लाने की दिशा में असीम संभावनायें पैदा की हैं।'' लेकिन, उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें अभी कुछ बाधाएं हैं, ''इसकी पूरी क्षमता को अभी भी तलाशना बाकी है, विशेषकर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ आवेदन दाखिल करना आज भी एक दुरूह कार्य है। प्रक्रिया को सरल एवं जन-मित्र बनाना होगा।'' बिहार का एक उदाहरण देते हुए श्री केजरीवाल कहते हैं, सूचना के अधिकार के लिए समर्पित एक फोन सेवा शुरू करके बिहार ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, जिसके माध्यम से आवेदन

59 antibriberycampaign@yahoogroups.com से लिया गया।
देखें : http://www.outlookmoney.com/scripts/ptifile.asp?pti_news_id=1232, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट की गयी, 20 सितम्बर, 2007 नयी दिल्ली।

दाखिल किये जा सकते हैं। अब तो गाँव का एक अनपढ़ व्यक्ति भी एक फोन कॉल करके सूचना अधिकार आवेदन कर सकता है।''

सूचना अधिकार अधिनियम जनता को आगे आकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके फलस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम तथा महाराष्ट्र जैसे अति पिछड़ा क्षेत्रों में एक सकारात्मक बदलाव हो रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह के अनुसार, यद्यपि शहरों की अपेक्षा गांवों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता कम है, तब भी, कई गांवों में सूचना के अधिकार का काफी उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के गांवों में सूचना अधिकार के प्रति काफी अच्छी जागरूकता है तथा वहां के ग्रामीण इसका उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में, सूचना अधिकार को लेकर मुम्बई की झोपड़पट्टियों में काफी उच्च स्तर की जागरूकता है। यह पूछे जाने पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनायी है, श्री हबीबुल्लाह ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन नरेगा (National Rural Employment Guarantee Act) सूचना अधिकार की भावना के अनुरूप है। उन्होंने सूचना अधिकार के प्रति जागरूकता के प्रसार के प्रयासों के लिए मीडिया तथा नागरिक एजेन्सियों की सराहना की।

महाराष्ट्र के राज्य सूचना आयुक्त विजय कुवालेकर कहते हैं, ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित सूचना के लिए हाल के दिनों में सूचना अधिकार का प्रयोग करना शुरू किया है। सूचना अधिकार की शक्तियों के प्रति अब ग्रामीण जग रहे हैं।ङ्क फिर भी, उन्होंने स्वीकार किया कि जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए अभी काफी कुछ करना है।

उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त मेजर संजय यादव बताते हैं कि सूचना अधिकार आवेदन में ज्यादातर प्रश्न, जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, इंदिरा आवास योजना, भूमि, सिंचाई, कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार तथा स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के दैनिक कार्यो से संबंधित होते हैं।

इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लॉक के घरा कटारा गाँव के दिहाड़ी मजदूरों को दो जून की रोटी जुगाड़ करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं मिल रहे हैं। दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में 21 ग्रामीणों ने सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करके प्रशासन से इस बाबत प्रश्न पूछा। उसके दूसरे ही दिन, सभी राशनकार्डधारियों को उनका राशन वितरित किया गया। यहां तक कि ग्रामीण समाज के दलित जैसे अति पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार तथा महिलाओं ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राशनकार्ड, मध्याह्न भोजन, स्कूलों में उनका एक समान वितरण तथा गांव की सड़कों की स्थिति से संबंधित सूचनाओं की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में सूचना अधिकार आंदोलनकारी, निखिल डे महसूस करते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम के उपयुक्त क्रियान्वयन तथा प्रोत्साहन में ही गाँवों के सशक्तीकरण की चाबी है।

आरबीआई (RBI) रंगपट्टिकाओं तथा ब्रशों के जरिये वित्तीय सुझाव दे रहा है

कॉमिक्स के बाद छोटी फिल्में, सीडी तथा एफ एम रेडियो कार्यक्रमों की बारी आती है।[60]

बैंकों का नियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक अब एक स्क्रिप्टराइटर की भूमिका में है। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र से संबंधित अपने आवश्यक कार्यो की देख.रेख के अलावा, RBI ने वित्त संबंधित बारीक विषयों के बारे में भारतीय नागरिकों को शिक्षित करने का बीड़ा भी उठाया है। RBI अधिकारियों ने पिछले वर्षो में दो कॉमिक किताबें प्रकाशित की है। इनमें एक बैंकिंग की मूल जानकारियों से संबंधित है, तो दूसरा करेंसी नोटों के बारे में है। इसमें रोचक बात यह है कि इनकी लेख सामग्री RBI ने स्वयं तैयार की है, जो इसके अधिकारियों की रचनात्मकता के प्रति झुकाव को दर्शाता है।

शीर्षस्थ बैंक की यह सूचना प्रसार की असामान्य गतिविधि एक वर्ष पहले शुरू हुई, जब उसने अपने वित्तीय साक्षरता विज्ञापन कार्यो के लिए 15 सदस्यों की एक संचालन समिति का गठन किया था।

[60] विद्या शिवरामकृष्णन/चेन्नई, 10 अगस्त, 2007

उसने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों को चिन्हित किया है।

इसी के आधार पर शिक्षण सामग्री तथा पद्धति तय की जायेगी। जहाँ शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः लिखित सामग्रियों पर जोर दिया जायेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों विशेषरूप से ऑडियो विजुअल का प्रयोग होगा।

जनता के एक बड़े भाग तक पहुंचने के लिए कमिटी विभिन्न विकल्पों को तलाश रही है। छोटी फिल्मों के निर्माण तथा देश के विभिन्न जिलों में इसके प्रदर्शन के लिए यह डायरेक्टोरेट ऑफ एडवरटाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी (DAVP) तथा डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी (DFP) के साथ बातचीत चला रही है।

एक RBI अधिकारी ने कहा, ‘‘हमे इस कार्यक्रम को शुरू करने में सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 है। इस अधिनियम के तहत, जनता से हमे अनगिनत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बैंकों के लिए लागू विनियमों से संबंधित थे। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत की आबादी का एक खासा बडा प्रतिशत मौलिक वित्तीय जानकारी से अपरिचित है।’’

सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर अधिकारियों को जेल हो सकती है[61]

सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत, ग्रामीण विकास कार्यो से संबंधित सूचना आवेदनों के जवाब न देने पर सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठायेगी। इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, RTI अधिनियम के तहत सूचना देने के मामले में गलती करने वाले अधिकारियों को हम नहीं बख्शेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं, ताकि जनता अपने अधिकारों के बारे में जान सके।’’

मंत्री का यह बयान तब आया जब उनसे असम में सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यो के बारे में सूचना

[61] बुधवार, 08 अगस्त, 2007। http://www.nerve.in/news:25350079468Jchannel:india

मांगे जाने पर राजनेता-नौकरशाह-ठेकेदार की मिलीभगत से उन्हें परेशान करने की घटना के संबंध में पूछा गया। रघुवंश प्रसाद असम में जारी अपने मंत्रालय की योजनाओं पर एक प्रेस कांफ्रेन्स को संबोधित कर रहे थे।

इंदिरा आवास योजना (IAY), गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए सरकार की आवासीय योजना है। इस योजना को ठेकेदारों के हाथों में सौंपने पर पूछे गये एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, `IAY' के कार्य ठेकेदारों को आवंटित करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यदि, कोई ऐसा करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवायी की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत पैसा सीधे लाभुकों के बैंक खाते में जाता है तथा इसमें बिचौलियों द्वारा पैसा हड़पने की कोई जगह नहीं है। IAY के तहत प्रत्येक परिवार को 22 हजार रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 27 हजार रुपये दिये जाते हैं।

बृहत हैदराबाद निगम निगम (GHMC) ने सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम को पैसा ऐंठने का जरिया बनाया[62]

सरकारी निकाय, शक्तिशाली सूचना अधिकार अधिनियम का प्रयोग करने से जनता को निरुत्साहित करने के लिए नायाब तरीके निकाल रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण बृहत हैदराबाद नगर निगम (GHMC) है, जिसने एक सत्यापित प्रति की मांग करने वाले एक आवेदक से एक प्रति के लिए 1.29 लाख रुपये की भारी राशि का भुगतान करने को कहा।

यद्यपि, संसद ने RTI अधिनियम वर्ष 2005 में आम जनता को सूचना देने के लिए पारित किया था, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी निकायें जनता को उनसे आधिकारिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों की मांग करने से निरुत्साहित कर रहे हैं।

हाल के एक मामले में, येल्लारेड्डीगूडा निवासी डॉ. के झांसी रानी ने सूचना अधिकार के तहत 'जुबिली हिल्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड' के नक्शे की एक सत्यापित प्रति मांगी थी, लेकिन जो जवाब मिला,

---

[62] 26 दिसम्बर, 2007 0252 hrs IST कोरिडे महेश, TNN

वह उन्हें सकते में डाल दिया। GHMC ने दिनांक 6/7, 2007 को अपने पत्र (पत्रांक 305/टीपीएस/जीएचएमसी/एच/आरटीआइ/07/2731) में शुल्क के रूप में GHMC के खजाने में 1,29,389 रुपये जमा करने को कहा, ताकि इस मामले में आगे जरूरी कदम उठाये जा सकें अर्थात सत्यापित प्रति जारी की जा सके।

GHMC के शहरी योजना अधिकारियों ने पुराने अभिलेखों (records) की छानबीन कर एक शुल्क का खाका तैयार किया, क्योंकि RTI अधिनियम सूचना प्रदान करने वाले को आवेदक से 'वास्तविक खर्च' वसूलने की अनुमति देता है।

झांसी रानी ने जुबिली हिल्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के 1,173.26 एकड़ जमीन पर बनने वाली योजना के नक्शे की प्रति मांगी थी, इसलिए GHMC के अधिकारियों ने पुराने नियम को लागू करते हुए शुल्क निर्धारित किया।

1173.26 एकड़ योजना में से पहले 2 एकड़ के लिए उन्होंने 550 रुपये प्रति एकड़ की दर तथा बाकी के लिए 110 रुपये प्रति एकड़ की दर से कुल 1,28,839 रुपये निर्धारित किया। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, सरकारी विभाग, सूचना देने के एवज में फोटोस्टेट प्रतियों के रूप में ययवास्तविक खर्चङ्क ही वसूल कर सकते हैं। लेकिन, GHMC, हैदराबाद नगर निगम अधिनियम 1955 में अनुसूचित दर के अनुसार RTI से संबंधित आवेदनों के लिए बढ़ा.चढ़ाकर शुल्क निर्धारित कर रहा था।

संयोग से, आवेदनों के लिए निगम द्वारा अतिशय शुल्क निर्धारित किये जाने की यह पहली घटना नहीं है। शहरी योजना विभाग ने एक NGO ''फोरम फॉर ए बेटर हैदराबाद'' को शहर में कुछ अवैध निर्माणों की जानकारी देने के लिए 72 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया। फोरम ने नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे ऐसे शुल्क के खिलाफ राज्य सूचना आयोग से शिकायत की है।

आयोग के सूत्रों ने बताया, इस मुद्दे पर 'फोरम फॉर ए बेटर हैदराबाद' द्वारा दाखिल आवेदन पर हम विचार कर रहे हैं तथा दोनों पक्षों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। मामले को कुछ कानूनी स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया है।

GHMC के अतिरिक्त मुख्य शहरी प्लानर के. बालकृष्णा के अनुसार, वे सत्यापित प्रतियों के लिए अनुसूचित दर पर वसूली कर रहे हैं, क्योंकि उन प्रतियों पर संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं तथा उन्हें अनुलिपि की तरह माना जायेगा। सामान्य सूचनाओं तथा फोटोस्टेट प्रतियों के लिए निगम केवल कागज के शुल्क वसूल रहा है। दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियों का कोई कानूनी मूल्य नहीं होता है, बल्कि प्रमाणित प्रतियों का कानूनी मूल्य होता है, यहाँ तक कि इसके आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

गोवा में उच्च न्यायालय ने सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अभिलेखों (records) को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया[63]

गोवा सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी तब खड़ी हो गयी, जब उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव जे.पी. सिंह को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने को कहा। न्यायालय ने उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि बैम्बोलिम में एक निर्माण परियोजना के विस्तृत ब्यौरे की फाइल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) विभाग असफल न हो। न्यायालय ने TCP विभाग को 'गोवा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड' (GRECL - आमतौर पर Aldeia de Goa के नाम से प्रसिद्ध) के निर्माण स्थल पर बन रही निर्माण परियोजना से जुड़ी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) के अनुमोदन, योजना नक्शा तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र की फाइल न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, कुरका बैम्बोलिम (Curca Bambolim) पंचायत के सरपंच तथा सचिव को जरूरी कागजात के साथ न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया।

न्यायाधीश एफ आइ रिबेलो तथा न्यायाधीश एन ए ब्रिटो की खंडपीठ ने ययपीपुल्स मूवमेंट फॉर सिविक एक्शन (झचउअ)ङ्ख की महासचिव पैट्रीसिया पिंटो द्वारा दाखिल एक शपथपत्र पर सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किये। पैट्रीसिया पिंटो, ऋठएउङ के खिलाफ एक याचिकाकर्ता हैं। याचिकाकर्ता की वकील नोर्मा अलवारेस ने न्यायालय को बताया कि दिनांक 21 अगस्त, 2007 में पिंटो

[63] rti4ngo@yahoogroup.com, December 15, 2007 Aldeia de Goa

ने ठढख अधिनियम के तहत ढउझ विभाग के सहायक जन सूचना पदाधिकारी से बैम्बोलिम में प्रस्तावित निर्माण परियोजना से जुड़ी ढउझ अनुमोदन, नक्शा तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र की फाइल निरीक्षण के लिए मांगी थी, जो झचउअ तथा गोवा फाउंडेशन द्वारा ऋठएउङ के खिलाफ दाखिल एक याचिका की भी विषयवस्तु है।

लेकिन, दिनांक 18 सितम्बर, 2004 में भेजे गये एक पत्र के द्वारा पिंटों को जानकारी देने से इंकार करते हुए बताया गया कि संबंधित फाइल को खोजा नहीं जा सका।

यहां तक कि RTI के तहत, कुरका बैम्बीलिम पंचायत के सचिव से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने के प्रयास भी विफल हो गये। दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 को याचिकाकर्ता ने RTI अधिनियम के तहत 1-V में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया, ताकि पहले आवेदन की गयी फाइल को खोजा जा सके, जिसके बारे में कहा गया था कि वर्ष 2003 में प्रखण्ड विकास अधिकारी (BDO) के पास इसे भेजने के बाद से ही यह गुम है। लेकिन, 24 नवम्बर, 2007 को सुश्री पिंटो को पंचायत की तरफ से एक औपचारिक पत्र भेजा गया, जिसमें सूचित किया गया था कि न तो BDO कार्यालय को भेजे गये स्मारपत्र, न ही फाइल को BDO कार्यालय में भेजने संबंधी पंचायत के पत्र का ही कोई पता चल पाया है।

न्यायालय ने इन सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी दी कि यह संभव नहीं है कि किसी विशेष परियोजना से संबंधित फाइल रातोंरात गायब हो जाये। इसके साथ ही न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को जांच के लिए फाइलों को न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उड़ीसा में RTI अधिनियम में सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता : वित्त, ऊर्जा, जी ए तथा वन विभाग[64]

[64] Biggest deniers of info : Depts of Finance, Energy, GA, Forest : Data; लेखक प्रदीप बैशाख, भुवनेश्वर।

http://www.dailypioneer.com/indexn12asp?main_variable=BHUBANESWER&file_name=bhub17%2 Etxt&counter_img=17

उड़ीसा राज्य सूचना आयोग (SIC) द्वारा जारी 31 मार्च, 2006 तक के आंकड़ों के अनुसार, उड़ीसा के वित्त, ऊर्जा, गृह, सामान्य प्रशासन (GA) तथा वन व पर्यावरण विभाग सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना देने से इंकार करने की सूची में शीर्ष पर हैं। वित्त विभाग ने 24 आवेदकों में से 15 के आवेदनों को खारिज कर दिया (62.5%)। ऊर्जा विभाग ने सूचना के आठ आवेदकों में से 5 के आवेदनों पर सूचना देने से इंकार किया है (62.5%)।

इसी प्रकार, गृह विभाग ने 65 आवेदकों में से 26 को ना कहा है (40%), GA विभाग 77 से 28 (36%), वन तथा पर्यावरण विभाग 50 में से 14 (28%); सहकारिता विभाग 10 में 3 (30%) तथा सूचना व जन सम्पर्क विभाग 9 में से 2 (22%) आवेदन को सूचना देने से इंकार किया है।

जल संसाधन विभाग के मामले में, उपरोक्त अवधि के दौरान विभाग में RTI के तहत 39 आवेदन डाले गये, लेकिन कितने आवेदकों को सूचना देने से इंकार किया गया, इस बाबत विभाग ने कोई जानकारी प्रदान नहीं की है।

अधिनियम की धारा 25 के तहत, सभी राज्य सूचना आयोग को संबंधित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन पर वर्ष के अंत में एक रिपोर्ट जारी करना जरूरी है।

4 जनवरी, 2007 तक लगभग 19 विभागों ने दाखिल सूचना अधिकार आवेदनों की संख्या तथा नकारे गये आवेदनों की संख्या के लिए SCI के अनुरोधों का अनुपालन किया है। शेष विभागों को SCI द्वारा नवम्बर, 2006 में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजे गये पत्र का अनुपालन करना बाकी है।

यह एक विडम्बना है कि अभी तक SCI ने 398 शिकायतों तथा द्वितीय अपील के मामलों का निपटारा करने के दौरान केवल दो अधिकारियों को ही दंडित किया है।

1985 में इक्वेशन्स की स्थापना खासकरके उदारीकृत व्यवस्थाओं, आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था को खोल देने के संदर्भ में पर्यटन के प्रभावों को समझने के लोगों के आग्रह के उत्तर में की गयी। हम ऐसे एक पर्यटन की कल्पना करते हैं जो शोषणकारी न हो, लैंगिक न्याययुक्त हो और स्थायित्वपूर्ण हो जहां निर्णय–प्रक्रिया जनतांत्रिक हो और पर्यटन के फायदे न्यायसंगत रूप से सबको उपलब्ध और वितरित हों।



इक्वेशंन्स्

इक्वेशंन्स्-न्यायोचित पर्यटन विकल्प
न. 415, 2सी-क्रॉस,
4था मेन, ओ.एम.बी.आर. लेआउट
बानसवाडी
बंगलोर-560043
फोनः +91-80-25457607/25457659
फैक्सः +91-80-25457665
ईमेलः info@equitabletourism.org
वेबसाइट : www.equitabletourism.org